Volume 10 Number 01 January 2015 ISSN 0974-7702

अन्वेषिकाः अध्यापक शिक्षा की शोध पत्रिका

NCTE

National Council for Teacher Education
New Delhi - 110002

ANWESHIKA: Journal of Teacher Education

[ISSN 0974-7702]

AIMS AND SCOPE

Anweshika (Hindi Journal) is a peer reviewed National Journal published by the National Council for Teacher Education (NCTE), New Delhi (a statutory body of Government of India) three times a year viz. in January, May and September. It aims at engaging with policy, theory, research and practice in teacher education and their interface at different levels of education. It also intends to create a forum for academic discussions, debates and other forms of exchange of ideas in teacher education among different stakeholders. It encourages multi-disciplinary, comparative and praxis based analysis in the domain of teacher education regionally and globally.

To realize these aims, the journal invites reflective articles, research papers, critical reviews, philosophical analysis of concepts and theories of education, book reviews and commentaries on both historical and contemporary issues and concerns in a variety of areas involving professional development of teachers and teacher educators, experiential accounts of educational practitioners, and ethical and quality concerns in teacher education. (All contributions to *Anweshika* shall be in Hindi.). Views expressed by authors belong to them, and not to NCTE. The views expressed by authors belong to them, and not to NCTE.

EDITORIAL ADVISORY BOARD
Dinesh Amin, Lahukush Yoga University, Ahmedabad
Swami Atmapriyananda, Ramakrishna Mission Vivekananda University, Kolkata
Bharati Baweja, CIE, University of Delhi, Delhi
C.P.S. Chauhan, Aligarh Muslim University, Aligarh
Gayatri Goswami, Gauhai University, Guwahati
B.P. Khandelwal, former Director, NUEPA, New Delhi
R.G. Kothari, M.S. University, Vadodara
C.L. Kundu, former VC, H.P. University, Shimla
Kamla Menon, Mirambika, New Delhi
Sudesh Mukhopadhyay, Rehabilitation Council of India, Delhi
B.K. Passi, former Vice-Chairperson, NCTE, Delhi
H.C.S. Rathore, Banaras Hindu University, Varanasi
P.K. Sahoo, Allahabad University, Allahabad
C.B. Sharma, School of Education, IGNOU, New Delhi
Mohd. Akhtar Siddiqui, former Chairperson, NCTE, New Delhi
Jatin Soni, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhi Nagar, Gujarat
B.K. Tripathi, NCERT, New Delhi
R.P. Vadhera, Mizoram Central University, Aizawl
U.C. Vashishtha, Lucknow University, Lucknow
Santosh Panda, Chairperson, NCTE, New Delhi

EDITORS
B.S. Dagar, (Retd.), Maharishi Dayanand University, Rohtak
K.K. Vashishtha, (Retd.), NCERT, New Delhi

ASSOCIATE EDITORS
Vartika Chaudhary, Miranda House, University of Delhi
Asish Ranjan, CIE, University of Delhi, Delhi

EDITING MANAGER
R.K. Tomar, Under Secretary, NCTE, New Delhi
Published by **Shri Juglal Singh**, Member Secretary, NCTE, New Delhi 110 002, India.
Printed at Sagar Printers & Publishers, New Delhi – 110003.

EDITORIAL CORRESPONDENCE

All papers, book reviews, and subscription should be addressed to: Editing Manager, *Anweshika* (Hindi Journal), NCTE, Hans Bhawan (Wing II), 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, India. (Email: us_cdn@ncte-india.org)

SUBSCRIPTION RATES

Institutional: *Indian* 1500 INR; *Foreign* 150 US$ (Rs. 500/$ 50 single copy)
Individual: *Indian* 500 INR; *Foreign* 50 US$ (Rs. 200/$ 25 single copy)

Subscription amount to be sent through a Bank Demand Draft drawn in favour of "National Council for Teacher Education", payable at Syndicate Bank, 124, Players Building, Delhi Secretariat Branch, New Delhi-110002 (or money transfer to Account Number 603010110003240 and IFS code BKID0006030, Bank of India, Hans Bhawan, Bahadur Shah Zafar Marg, Tilak Bridge, New Delhi 110 002) to: Editing Manager, *Anweshika* (Hindi Journal), Hans Bhawan (Wing II), 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, India. Tel.: 91+11+23370125; Fax: 91+11+23379980, (Email: us_cdn@ncte-india.org).

COPYRIGHT

©The copyright of the journal remains with the NCTE, New Delhi.

ABSTRACTING/INDEXING

Anweshika is being abstracted and/or indexed in international services.

GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS

The Editorial Board invites articles, research papers, book reviews and commentaries on contemporary issues in a variety of areas including professional development of teachers and teacher educators, education as a discipline and profession, experiential accounts of practitioners, and policy, planning, administration and quality concerns in teacher education. Any local contextualisation must be explained and defined so that an international readership can clearly follow the argument. Please ensure to avoid all stereotypes with regard to class, gender, caste, race, among others.

While submitting the paper, the author is required to give a disclaimer that the same has not been published or sent for publication in any medium (print, electronic or optical) elsewhere. The contribution of paper (Word file by email) should be submitted to the Editing Manager, *Anweshika* (Hindi Journal), NCTE, Hans Bhawan (Wing II),1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 (Email: us_cdn@ncte-india.org)

Peer Review: All contributions submitted for publication are subject to peer review. To enable anonymous refereeing, authors are requested to submit their personal details like: name, e-mail ID, institution and address etc. on a separate sheet and certainly not on the text of the paper submitted for publication.

Papers: Research papers, articles/critical reviews should be within 4000 to 6000 words; reviews of books and other educational materials should be 1000-1500 words. It should be neatly typed on one side of A4 size paper with one and the half spacing, Kruti Dev font size 11, for word processing. The general organization of the paper should be: "abstract" of about 100-150 words (in Times New Roman font size 9 in italics with single space); the main paper (Introduction, including research review; Objectives; Hypotheses, if any; Method including i) research method, ii) population and sample, iii) tools and techniques, iv) procedure; Analysis and Results; Discussion; References; Appendix, if any. Conceptual/reflective papers should have at least three sections: i) Background/Introduction; ii) Main section with sub-sections; and iii) Discussions/ Implications (and References). A brief about the author(s) including full address, email, etc. be given on a separate sheet in about 50-100 words each. (In this regard, the Anweshika document template may be obtained and referred to available on the website: www.ncte-india.org).

References: As per APA (latest) style of referencing.

Offprint: A copy of the journal be posted and a .pdf file of the published paper shall be emailed to the author(s).

अन्वेषिका: भारतीय अध्यापक शिक्षा की शोध पत्रिका

[ISSN 0974-7702]
Volume 10 Number 01 January 2015

प्रकरण

शोध पत्र

पृष्ठ

वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के उपचारीकरण में अध्येता केंद्रित तथा कार्यकलाप-आधारित अधिगम-अध्यापन उपागम की प्रभावशीलता का प्रायोगिक अध्ययन 1
इंदु दहिया

माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों एवं सम्बन्धित कारकों का अध्ययन 17
आर.पी. पाठक

उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग का उनके व्यक्तिगत कारकों के सन्दर्भ में अध्ययन 27
छाया सोनी, बीरमती सिंह, अखिलेश चौबे

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा का बदलता स्वरूप 39
मीना, कल्पना पारीक

मनोगामक योगयताओं का स्कूली छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का सहसंबंधात्मक अध्ययन 49
रश्मि मिश्रा

कामुकता के तंत्र जाल से युवाओं का संरक्षण: अकादमीय तथा नीतिगत विश्लेषण 53
प्रभास रंजन

बच्चों में भावात्मक बन्धनों के विकास पर उनके द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों के प्रभाव का अध्ययन 67
मीना शर्मा

पुस्तक समीक्षा

प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत (2013), *शिक्षा की गतिशीलता,* ISBN-978-96-82114-99-4. पृ.सं. 296 मूल्य ₹520 75
भीमसिंह डागर

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 1-16.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के उपचारीकरण में अध्येता केंद्रित तथा कार्यकलाप–आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम की प्रभावशीलता का प्रायोगिक अध्ययन

इंदु दहिया
असिस्टैंट प्रोफैसर,
सीरी फोर्ट कालेज ऑफ कंप्युटर
टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमैंट,
सैक्टर 25, रोहिणी, नई दिल्ली,
ई. मेलः indudahiya67@yahoo.com

सारांशः *यह सर्वविदित है कि भाषा आत्माभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम होता है, और अतः यह बच्चे के विकास का अनिवार्य घटक होता है। व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति प्रायः बोल कर या लिख कर करता है। लिखित संप्रेशण के लिए यह आवश्यक है कि उसकी वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी भाषा में शुद्ध वर्तनी विकास के लिए शुद्ध उच्चारण एक पूर्वपेक्षा होती है। इस शोध पत्र में शोधकर्त्री ने उच्चारण व वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न प्रकारों तथा कारणों का गहन विश्लेषण किया है और तत्पश्चात् अशुद्ध वर्तनी उपचार के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन किया जिसमें अध्येता केंद्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम का प्रयोग किया। इस उपागम की प्रभावशीलता के लिए पूर्व परीक्षण–पश्च परीक्षण नियंत्रण समूह अभिकल्प का प्रयोग किया गया। शोधकर्त्री ने इस प्रयोग के लिए 200 परीक्षण पदों का एक निदानात्मक वर्तनी संबंधी परीक्षण का निर्माण किया। पूर्व और पश्च् दोनों परीक्षणों से प्राप्त प्रदत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण के लिए युग्मित न्यादर्श परीक्षण का प्रयोग किया गया।*

प्रदत्तों के सांख्यकीय विश्लेषण के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि बच्चों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधाराने में परंपरागत अध्यापन–अधिगम की अपेक्षा अध्येता केंद्रित तथा कार्य कलाप आधारित उपागम स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी पाया गया। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि इस उपागम का प्रभाव ग्रामीण विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार पर अधिक था और लड़के और लड़कियों के वर्तनी सुधार में कोई सार्थक अन्तर नही देखा गया।

प्रस्तावना

जैसा कि सभी जानते हैं कि भाषा संप्रेषण का सशक्त साधन है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के विकास से पूर्व भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने के लिए संकेतों का सहारा लिया जाता था और आज भी मूक तथा बधिर व्यक्ति श्रवण शक्ति के अभाव में जिनका भाषिक विकास नहीं हो पाता वे संकेतों के माध्यम से संप्रेषण कर पाते हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि अभाषिक संप्रेषण इतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना कि भाषिक, क्योंकि बोलकर तथा लिखकर हम अपना संदेश आवश्यकतानुसार पहुँचा सकते हैं। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपना संप्रेषण शुद्ध सामाजिक रूप से स्वीकार्य भाषा में कर सके। संप्रेषण में बोलने (उच्चारण) अथवा लिखने (वर्तनी) संबंधी अशुद्धि से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा आत्मभिव्यक्ति का अनिवार्य तथा सशक्त साधन होता है तथा हमारे विकास में सहायक भी होता है। कुछ विकासवादी विचारकों का यह मानना है कि व्यक्ति में योग्यताएँ व क्षमताएँ बीज रूप में विद्यमान होती हैं परंतु इनका विकास करने में भाषा सहायता प्रदान करती है। भाषा के विकास के द्वारा ही हम अपने विचारों और भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं जो कि व्यक्ति के सामाजिक विकास में भी सहायक होती है।

जहाँ भाषा, आत्मभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता का विकास करती है वहाँ दूसरी ओर ज्ञान प्राप्ति का साधन भी होती है। भाषा के सही विकास के अभाव में मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में असहाय भी हो जाता है। भाषा का विकास व्यक्ति की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है और भाषा के विकास के बिना किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता।

भाषा का विकास बच्चे के जन्म से आरंभ हो जाता है। सर्वप्रथम बच्चा माँ द्वारा बोली गई भाषा को ही समझता है। यही कारण है कि मातृभाषा बच्चे के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व अनिवार्य घटक होती है। उसके भाषिक विकास में माँ के पश्चात् परिवार के अन्य सदस्यों तथा समुदाय या क्षेत्र के लोगों के उच्चारण का प्रभाव पड़ता है।

जिसके कारण बच्चे के उच्चारण को क्षेत्र की बोली गहन रूप से प्रभावित करती है। जैसे सभी उत्तर भारतीय राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों का हिन्दी का उच्चारण पर्याप्त रूप में भिन्न होता है।

विद्यालय जाने के पश्चात् उसकी भाषा के विकास में प्राथमिक कक्षा के अध्यापकों का हाथ होता है। अगर घर तथा विद्यालय में बोली जाने वाली भाषा का उच्चारण समान है या असमान है तो बच्चे का मूल उच्चारण गलत होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार बोलने के साथ–साथ उसका लेखन भी अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा की विशेषता है कि कुछ अवस्थाओं को छोड़कर किसी शब्द को जिस रूप में बोला जाता है उसी रूप में लिखा भी जाता है या जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। हिन्दी में उच्चारण और वर्तनी में एक धनात्मक अंतःसंबंध होता है।

इस शोधकर्त्री का यह अनुभव रहा है कि उचित भाषिक कौशलों के विकास के अभाव में बच्चे वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियाँ करते हैं। वर्तनी और उच्चारण के सहसंबंध तथा वर्तनी अशुद्धि विश्लेषण के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। साथ–साथ यह भी इंगित किया गया है कि हिन्दी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ किस–किस प्रकार की होती है तथा उन्हें कैसे संशोधित किया जा सकता है।

वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि विश्लेषण

जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा शिक्षण के चार कौशल होते हैं: शुद्ध सुनना (श्रवण), शुद्ध बोलना (वाक्), शुद्ध पठन तथा शुद्ध लेखन। इन चारों कौशलों का विकास की दृष्टि से एक गहन संबंध है। भाषा के प्रयोग में जितनी भी अशुद्धियाँ देखी जाती हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध इन कौशलों सम्बन्धी अशुद्धियों से होता। उदाहरणार्थ, जैसा बच्चे दूसरों को बोलते सुनते हैं वे वैसा ही बोलने लगते हैं। और जैसा वे बोलते हैं वैसा ही वे लिखते भी हैं। अर्थात् यदि हम अशुद्ध रूप में सुनेंगे तो अशुद्ध ही हमारा उच्चारण हो जाएगा, और यह अशुद्ध उच्चारण हमारी वर्तनी (लेखन शुद्धि) को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, जो अन्ततोगत्वा हमारे पठन व बोध को भी प्रभावित कर सकता है।

तिवारी एवं भाटिया (1980) के अनुसार अशुद्धि विश्लेषण और अशुद्धि शोधन की दृष्टि से हिन्दी भाषियों को हिन्दी प्रायः मातृभाषा और मातृबोली के बीच की भाषा के रूप में दिखाई जाती है। अर्थात् जब बच्चे को मातृभाषा की शिक्षा दी जा रही हो। उदाहरणार्थः हिन्दी भाषी क्षेत्र में अलग–अलग बोलियाँ हैं जैसे हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, भोजपुरी आदि। मातृभाषा सीखने वाले बच्चे को जब मानक हिन्दी की शिक्षा दी जाती है तो वे बच्चे एक विशेष प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं इसे आंचलिक प्रभाव भी कह सकते हैं। हिन्दी भाषी क्षेत्र में (विशेषतः हरियाणा में) लगभग 30 कि.मी. पर इस प्रकार के आंचलिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अर्थात् 30 कि.मी. पर बोली बदल जाती है। जैसे गुड़गाव से पूर्व व दक्षिण में बोलियों में अंतर है। पूर्व में (फरीदाबाद के आसपास) ब्रज का प्रभाव देखने को मिलता है तथा दक्षिण में अहीरवाटी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार रोहतक तथा कैथल या कुरुक्षेत्र की बोलियों में भी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हिसार के दक्षिण नारनौल के आसपास तथा हिसार के पूर्व की बोलियों में प्रभावी है वही हिसार के पूर्व में पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है।

यदि क्षेत्र को जरा बड़ा कर दें तो उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी तथा पूर्व भागों की बोलियों में अंतर है। अतः मानक हिंदी का अध्यापन करते समय बोलियों पर होने वाले आंचलिक प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उच्चारण व वर्तनी की अशुद्धिओं के प्रकार

तिवारी एवं भाटिया (1980) ने अपनी पुस्तक *"हिन्दी भाषा शिक्षण"* में बोलने और लिखने सम्बन्धी अशुद्धियों का विशद् विश्लेषण किया। उनके अनुसार मानक हिन्दी सीखने वाला व्यक्ति आचंलिक या अन्य प्रभावों के कारण प्रायः निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ करता है:

ध्वनि विषय

i)	बोलने में मूल स्वर सम्बन्धी	जैसेः औरत को ओरत बोलता है।
ii)	मूल व्यंजन सम्बन्धी	जैसे शहर को सहर, स्टेशन को श्टेश्न।
iii)	स्वरानुक्रम सम्बन्धी	जैसे पाउडर को पौडर
iv)	व्यंजनानुक्रम सम्बन्धी	जैसे ममता को मम्ता, समता को सम्ता, भारत को भार्त।
v)	संयुक्त स्वर	भैया को भइया
vi)	संयुक्त व्यंजन	भस्म को भसम, किस्म को किसम, स्कूल को सकूल
vii)	अनुनासिकता	दुनिया को दुनियाँ
viii)	अक्षर विभाजन	आ–मदनी को आम–दनी
ix)	बलाघात	बाजार को बजार

मातृभाषा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनका बोलने या लिखने वाले को पता ही नहीं होता। अतः वह बिना बताए इनको ठीक नहीं कर सकता। मातृभाषा शिक्षण में विद्यार्थियों को इनका ज्ञान कराना आवश्यक है और अभ्यास भी ताकि वे इनसे बचकर शुद्ध भाषा बोल व लिख सकें। ये भूलें कई प्रकार की हो सकती हैं जैसे अज्ञानजनित, अतिशोधन जनित, अनिश्चयजनित। इस लेख में हमारा अभिप्रायः अन्य अशुद्धियों की अपेक्षा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के निवारण से है। ये अज्ञानजनित भूलें (अशुद्धियाँ) उच्चारण व लेखन दोनों में हो सकती हैं जैसे जबरजस्त (शुद्ध – जबरदस्त), विद्धार्थी (शुद्ध : विद्यार्थी), विद्यालय (शुद्ध : विद्यालय)। इस प्रकार की अशुद्धियों में कुछ विद्यार्थी द्य को द्ध का दूसरा रूप समझते हैं। व के स्थान पर ब की ध्वनि; इसी प्रकार श्रृंगार (शुद्ध शृंगार), स्रोत को स्त्रोत लिखना केवल लेखन संबंधी अशुद्धियाँ है।

कुछ अशुद्धियाँ शब्द रचना के कारण भी होती हैं जैसे उज्जवल को उज्वल लिखना, कवयित्री को कवित्री लिखना, अनुगृहीत को अनुग्रहीत लिखना आदि। इन अशुद्धियों का प्रभाव उच्चारण और लेखन दोनों पर ही पड़ता है।

कई बार अतिशोधन के चक्कर में भी भूल हो जाती है जैसे "शाप" का श्राप लिखना इसी का परिणाम है।

हिन्दी वर्तनी शिक्षण (मातृभाषा के रूप में)

मातृभाषा के रूप में हिन्दी वर्तनी की शिक्षा देने का अर्थ है हिन्दी की विभिन्न बोलियों (जैसे हरियाणवी, ब्रज, भोजपुरी, अवधी) के बोलने वालों को हिन्दी उच्चारण की शिक्षा देना, क्योंकि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का एक मुख्य कारण उच्चारण हैः

वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के उपचारीकरण में अध्येता केन्द्रित कार्यकलाप इसके लिए यह अपेक्षित होगा कि सर्वप्रथम मातृ बोली और मातृभाषा (हिन्दी) के व्यतिरेकी विश्लेषण के आधार पर अंतरों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। साथ ही उस बोली के बोलने वालों से मानक हिन्दी उच्चारण में होने वाली अशुद्धियों का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि उच्चारण की गलतियाँ केवल मातृबोली या मातृभाषा के व्यवधान से ही नहीं होती। लक्ष्य भाषा (जो भाषा सीखी जा रही है) की ध्वनि रचना की ठीक जानकारी का अभाव भी अशुद्धियों को जन्म देता है। इस के बाद वर्तनी की शिक्षा के लिए शिक्षण बिन्दु स्पष्ट रूप से लिख लेने चाहिए।

हिन्दी को मातृभाषा के रूप में सीखने वाले उच्चारण तथा वर्तनी की जो अशुद्धियाँ करते हैं वे दो प्रकार की हो सकती हैं।

क) सभी हिन्दी बोली भाषियों में प्राप्त

कुछ भूलें और त्रुटियाँ ऐसी हैं जिन्हें अधिकांशः हिन्दी बोलियाँ बोलने वाले मानक हिन्दी उच्चारण में करते हैं। जैसे:

i) *शब्दांत में इ, उ का ई, ऊ उच्चारण:* चूँकि हिन्दी की किसी भी बोली में अंत्य इ, उ स्वर नहीं है, तथा हिन्दी के अपने शब्दों में भी यह स्थिति नहीं है, अतः अंत्य इ, उ की ध्वनि व्यवस्था अपनी न होकर गृहीत है। यह कारण है कि यह अशुद्धि (भक्ती, शक्ती, कवी, रवी, वस्तू गुरू, लघू) लोगों से प्रायः हो जाती है।

इसके लिए इ – ई, उ – ऊ में मात्रा का अंतर स्पष्ट करते हुए युग्मों (जाति–जाती, भाँति–भाँति, पाँति–पाती, साधु – साधू) के द्वारा उनमें अर्थ का अंतर बताते हुए शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी का अभ्यास कराना चाहिए।

ii) *"ण" के स्थान पर "न"* – इसका कारण भी उपर्युक्त ही है। मानक हिन्दी में ण केवल तत्सम शब्दों में ही है, जो हिन्दी के न होकर गृहीत है। मानक हिन्दी के तत्भव तथा देशज शब्दों में ण नहीं है, किन्तु न है, अतः "ण" उच्चारण में "न" का रूप ले लेता है। वीणा–वीना, गण – गन; प्रण–प्रन; प्रणाम–प्रनाम, प्राण–प्रान) इनके अभ्यास के लिए अनु (उपसर्ग)–अणु, अनुवाद–अणुवाद (दर्शन का शब्द) जैसे युग्म काम के हैं।

iii) *श का स* – "श" केवल गृहीत (विदेशी तथा तत्सम) में ही है, हिन्दी के अपने तत्भव और देशज शब्दों में नहीं है। अतः इस प्रकार की अशुद्धि भी स्वाभाविक है। शहर – सहर; शोर – सोर; शक – सक। इनके अभ्यास के लिए भी युग्म हो सकते हैं : शीश – सीसा; शादी – सादी; शेर – सेर; शाल – साल।

iv) *व का ब* – तत्सम शब्दों में यह भूल प्रायः हो जाती है। यथाः ब्यवहार, बिवाह, बिद्यार्थी, बिश्व, बिद्यालय, ब्यायाम आदि।

v) *क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऑ, का क, ख, ग, ज, फ आ* – हिन्दी के अपने शब्दों में क़, ख़, आदि ध्वनियाँ नहीं हैं। अतः हमारी ध्वनि व्यवस्था में इनका सहज स्थान नहीं है। इसी कारण गलती हो जाती है। इसके लिए युग्मों (ताक़ – ताक; ख़ाना – खाना; बाग़ (घोड़े की) – बाग; ज़रा – जरा; राज़ – राज;) फ़न – फन (साँप का); कॉफी – काफ़ी; हाल–हॉल के आधार पर अभ्यास कराना अच्छा रहेगा।

vi) *संयुक्त व्यंजन:* उन संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में जो हिन्दी के अपने शब्दों में नहीं हैं, प्रायः अशुद्धि हो जाती है, जैसे,

अ) आदि स्वरागम – इस्कूल, अस्थान, इस्ट्ल, इस्टेश्न, इस्लेट, अस्नान, इस्पष्ट इत्यादि।
आ) मध्य स्वरागम – धरम, करम, शरम, जनम, भसम।
इ) अन्त्य स्वरागम – इन्दर, राजेंदर, सुरेंदर आदि।

ख) कुछ हिन्दी बोली – भाषियों में प्राप्त

खड़ी बोली

i) "ऋ" का "र" – जैसे क्रष्ण, त्रप, प्रथ्वी
ii) "ऐ" का "ए" – जैसे ऐनक – एनक; ऐसा – एसा
iii) "औ" का "ओ" – जैसे औरत -- ओरत, पौधा – पोधा
iv) प्रारंभ के स्वर का लोप : अनाज – नाज; असाढ़ – साढ़।
v) "न" का "ण" – जैसेः जाना – जाणा; कौन – कौण।
vi) महाप्राणता बहुत कमः जैसेः भूख – भूक, हाथ – हात; धोखा – धोका।
vii) मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित्वः राज्जा, बेट्टा, चाच्चा, माट्टी।

हरियाणवी

मध्य "ल" का ळ (काला – काळा, शेष खड़ी बोली के (ii), (iii), (vii)।

भोजपुरी: मूल स्वर ऐ, और का संयुक्त स्वर, अर, अओ (ऐसा–अएसा, औरत–ओरत)।

ii) आदि तथा मध्य "य" का तत्सम शब्दों में "ज": जैसे, यदि – जदि; यज्ञ – जग्य; अयोधा–अजोधा।
iii) ल का र – जैसे हल – हर, साल – सार, कुदाल – कुदार, फल – फर
iv) क्ष का आदि में छ – जैसेः क्षत्रिय – छत्री, क्षोभ – छोभ, तथा मध्य में "च्छ" जैसेः भिक्षा–भिच्छा, शिक्षा – सिच्छा या क्ष का क्ख : जैसे : दक्षिण – दक्खिन, दच्छिन।

अनुनासिकता : जैसे : आटा – आँटा, दुनिया – दुनियाँ, बुढ़िया – बुढ़ियाँ, कापी – काँपी, डॉक्टर – डाँक्टर।

उदाहरण रूप में यहाँ पर तीन बोलियाँ दी गई हैं। इन तीन बोलियों में सभी अशुद्धियों को मिला दें तो ये सभी हिन्दी बोली – भाषियों में पाई जा सकती हैं। इनके अलग–अलग बोलियों के अभ्यास सामग्री तैयार करके उनके अभ्यास द्वारा उच्चारण की शिक्षा दी जा सकती है। इस शोध का अंतिम लक्ष्य ऐसे अभ्यास तैयार कर वर्तनी सम्बन्धी दोषों को दूर करना है। इस शोध का सही कथन निम्न प्रकार हैः

समस्या कथन

वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के उपचारीकरण में अध्येता केंद्रित तथा कार्यकलाप–आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम की प्रभावशीलता का प्रायोगिक अध्ययन

शोध के उद्देश्य

1) अध्येता केंद्रित तथा कार्यकलाप–आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम का विद्यार्थियों के वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2) उपर्युक्त उपागम का केवल लड़कों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3) उपर्युक्त उपागम का केवल लड़कियों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
4) उपर्युक्त उपागम का ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
5) उपर्युक्त उपागम का शहरी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
6) इस उपचारात्मक उपागम का लड़के और लड़कियों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना करना।
7) इस उपचारात्मक उपागम का शहरी और ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की वर्तनी पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

इस शोध के लिए शोधकर्त्री ने निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं की रचना कीः

1) अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम तथा सामान्य कक्षा अध्यापन में बच्चों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।
2) उपर्युक्त उपचारात्मक उपागम तथा सामान्य परम्परागत अध्यापन में लड़कों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।
3) उपर्युक्त उपचारात्मक उपागम तथा सामान्य परम्परागत कक्षा अध्यापन में लड़कियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।

4) उपर्युक्त उपचारात्मक उपागम तथा सामान्य परम्परागत कक्षा अध्यापन में ग्रामीण विद्यालयी विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।
5) उपर्युक्त उपचारात्मक उपागम तथा सामान्य परम्परागत कक्षा अध्यापन में शहरी विद्यालयी विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।
6) इस उपचारात्मक उपागम का लड़कें तथा लड़कियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।
7) उपर्युक्त उपचारात्मक उपागम का ग्रामीण और शहरी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन प्रयोगात्मक विधि द्वारा सम्पन्न किया गया है।

शोध उपकरणों का निर्माण एवं शोध प्रक्रिया

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तथा संगत परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए शोधकर्त्री ने एक निदानात्मक वर्तनी संबंधी परीक्षण का निर्माण किया जिसमें 200 परीक्षण मद सम्मिलित किए गए।

अध्ययन के लिए नौवीं कक्षा के चार विद्यालयों में पढ़ने वाले 285 विद्यार्थियों का एक न्यादर्श (sample) चुना। इन विद्यालयों में से 2 शहरी तथा दो ग्रामीण क्षेत्र में थे जिनमें प्रत्येक में एक बालिकाओं का तथा एक बालकों का विद्यालय था। प्रत्येक विद्यालय के दो सैक्शन लिए गए जिनमें एक सैक्शन को प्रायोगिक समूह और दूसरे सैक्शन को नियंत्रण समूह बनाया गया।

प्रयोग आरंभ करने से पूर्व निदानात्मक परीक्षण सभी चारों विद्यालयों के 8 सैक्शनों पर संचालित किया गया और फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की जाँच की गई क्योंकि यह एक प्रायोगिक अध्ययन था। पूर्व परीक्षण के आधार पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का विश्लेषण किया गया इस के अनुरूप शिक्षण अभ्यास तैयार किए गए तथा तदनुरूप व्यक्तिगत स्तर पर अध्यापन कराया गया। इसके लिए प्रायोगिक समूह को प्रतिदिन विशेष कालांश में व्यक्तिगत अवधान देते हुए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा वर्तनी का अभ्यास कराया गया। प्रतिदिन के लिए अलग–अलग अभ्यास मालाएँ तैयार की गई। तीन मास की अवधि तक यह कार्यक्रम चलता रहा। नियंत्रण समूह का ऐसे ही चला, जैसे पहले चलता था। अंत में पश्च परीक्षण किया गया। निदानात्मक परीक्षण में कुछ क्रियाएँ पढ़ने से संबंधित थी तथा कुछ लिखने से संबंधित विशेष उपचारात्मक अध्यापन अधिगम के अंतर्गत बच्चों को कुछ अभ्यास मालाएँ भी दी गई जिनका अभ्यास वे अपने खाली समय में कर सकते थे। प्रत्येक बच्चे की शंकाओं का समाधान अध्यापक अपने तरीके से करता है। एक बार एक अक्षर संबंधी अक्षर माला का अंश बच्चों को दिया जाता था। स्वःअभ्यास तथा स्व–क्रियाकलाप के लिए एक या दो दिन का समय दिया जाता था। इसके पश्चात् अध्यापक अतिरिक्त कालांश में बच्चों के साथ अन्योन्यक्रिया करते थे।

सांख्यिकीय अभिकल्प

क्योंकि यह एक प्रायोगिक अध्ययन था इसलिए साख्यिकीय विश्लेषण के पूर्व–परीक्षण – पश्च–परीक्षण नियंत्रण समूह का उपयोग किया गया। दोनों परीक्षणों से प्राप्त प्रदत्तों का साख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए युग्मित न्यादर्श परीक्षण (Paired Samples Test) का प्रयोग किया।

परिणामों का प्रस्तुतीकरण तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 1 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 1 के अनुसार हमारा आशय अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम की प्रभाविता का बच्चों की वर्तनी पर अध्ययन करना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने शून्य

प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया जिसके अनुसार बच्चों की वर्तनी सुधार की दृष्टि से उपचारात्मक तथा सामान्य परम्परागत अध्यापन उपागम में कोई अंतर नहीं है।

उद्देश्य 1 की प्राप्ति तथा परिकल्पना 1 के परीक्षण हेतु हमने युग्मित न्यादर्श परीक्षण का प्रयोग किया जिसके परिणाम तालिका संख्या 1A तथा 1B में दिए गए हैं।

तालिका 1A: *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2–tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 1 CG_Pre – EG_Pre	1.02817	17.64381	1.48064	0.694	141	.489
Pair 2 CG_Pre – CG_Post	7.04225	2.32127	0.19480	36.152	141	.000
Pair 3 EG_Pre – EG_Post	34.39161	13.78917	1.15311	29.825	142	.000
Pair 4 CG_Post – EG_Post	28.45070	28.06188	2.35490	12.081	141	.000

तालिका 1A: *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	CG_Pre	80.0986	142	13.80220	1.15826
	EG_Pre	81.1266	142	12.56860	1.05473
Pair 2	CG_Pre	80.0986	142	13.80220	1.15826
	CG_Post	87.1408	142	15.72124	1.31930
Pair 3	EG_Pre	81.1329	143	12.52448	1.04735
	EG_Post	115.5245	143	25.33322	2.11847
Pair 4	CG_Post	87.1408	142	15.72124	1.31930
	EG_Post	115.5915	142	25.41015	2.13237

तालिका संख्या 1A में दिए युग्म–1: नियंत्रण समूह (पूर्व–परीक्षण) तथा प्रायोगिक समूह (पूर्व–परीक्षण) (CG Pre – EG Pre) का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि नियंत्रण समूह पूर्व और प्रायोगिक समूह पूर्व के माध्याकों का अंतर 1.03 है तथा इसके t अनुपात का मान .70 है जो विश्वस्तता के .05 स्तर पर भी सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तनी की दृष्टि से हमारे प्रायोगिक समूह तथा नियंत्रण समूहों में कोई अंतर नहीं है। परन्तु यदि हम इसी तालिका के युग्म 4 का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि युग्म–4: नियंत्रण समूह (पश्च) तथा प्रायोगिक समूह (पश्च) (CG Post – EG Post) के संदर्भ में दोनों समूहों के माध्याकों का अंतर 28.45 हो जाता है तथा t का मान 12.10 हो जाता है जो .0001 के विश्वस्तता स्तर पर भी सार्थक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शोधकर्त्री द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक उपागम का विद्यार्थियों की वर्तनी को सुधारने में सार्थक प्रभाव पड़ता है।

इस प्रभाव की पुष्टि के लिए हमने युग्म–2 और युग्म–3 भी बनाए। युग्म–2 के अनुसार नियंत्रण समूह पूर्व और नियंत्रण समूह पश्च माध्याकों का अंतर 7.04 है तथा इसके t अनुपात का मान 36.152 है जो विश्वस्तता के .01

स्तर पर सार्थक है। परन्तु यदि युग्म–3 का अध्ययन करें तो पता चलता है कि प्रायोगिक समूह के पूर्व और पश्च परीक्षणों का अंतर 34.39 हो गया जो .01 स्तर पर सार्थक है परन्तु युग्म 4 का माध्यांतर युग्म 2 के माध्यांतर से कही अधिक है जो स्पष्ट करता है कि यद्यपि परम्परागत अध्यापन के परिणाम बुरे नहीं है परन्तु उपचारात्मक अध्यापन इससे काफी अच्छा है।

इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना स्वीकार्य नहीं है। इन परिणामों के प्रकाश में अपनी पूर्व परिकल्पना को संशेधित कर नीचे लिखते हैं।

संशोधित परिकल्पना संख्या उद्देश्य 1

बच्चों की वर्तनी को सुधारने के संदर्भ में परम्परागत शिक्षण की अपेक्षा अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम अधिक प्रभावी है।

उद्देश्य 2 से सम्बन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 2 के अनुसार हमारा आशय था हमारे द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक उपागम की प्रभाविता का केवल लड़कों की वर्तनी के संदर्भ में अध्ययन करना। इसके परीक्षण के लिए हमने पहले की भाँति युग्मित न्यादर्श परीक्षण का प्रयोग किया जिसके परिणाम नीचे तालिका संख्या 2A व 2B में दर्शाए गए हैं।

तालिका **2A:** *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 5 CG_B_Pre – EG_B_Pre	0.23611	18.49057	2.17913	.108	71	.914
Pair 6 CG_B_Pre – CG_B_Post	7.21918	2.51797	.29471	24.496	73	.000
Pair 7 EG_B_Pre – EG_B_Post	32.72222	14.30081	1.688537	19.415	71	.000
Pair 8 CG_B_Post – EG_B_Post	–25.25000	28.74303	3.38740	–7.454	71	.000

तालिका **2B:** *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 5	CG_B_Pre	81.9444	72	15.00412	1.76825
	EG_B_Pre	81.7083	72	12.80783	1.50942
Pair 6	CG_B_Pre	81.7808	73	14.96500	1.75152
	CG_B_Post	89.0000	73	17.02123	1.99218
Pair 7	EG_B_Pre	81.7083	72	12.80783	1.50942
	EG_B_Post	114.4306	72	26.30526	3.10011
Pair 8	CG_B_Post	89.1806	72	17.07013	2.01173
	EG_B_Post	114.4306	72	26.30526	3.10011

तालिका संख्या 2A के युग्म–5 (CG-B Pre – EG-B Pre) का अवलोकन करने से पता चलता है कि लड़कों के नियंत्रण समूह पूर्व तथा प्रायोगिक समूह पूर्व के संदर्भ में t का मान .108 है जो विश्वस्तता के किसी भी मान्य स्तर पर सार्थक नहीं है। परन्तु यदि हम इन्हीं दोनों समूहों के पश्च परीक्षणों के आधार पर अंतर देखें तो वह 25.25 आता है तथा t का मान 7.45 है। t का यह मान विश्वस्तता के .001 स्तर पर सार्थक है। इस वर्तनी शुद्धि में बढ़ोतरी का श्रेय मात्र उपचारात्मक उपागम को ही जाता है।

इस परिणाम की पुष्टि के लिए जरा युग्म 6 व युग्म 7 का अवलोकन भी करें। युग्म–6 के अनुसार नियंत्रण समूह के पूर्व और पश्च परीक्षण का माध्यांतर 7.22 आता है तथा t का मान 24.496 है जो विश्वस्तता के .01 स्तर पर सार्थक है। परन्तु यदि युग्म–7 के परिणामों को देखें तो प्रायोगिक समूह के पूर्व और पश्च परीक्षणों का माध्यांतर 32.72 आता है जो निसंदेह .001 पर सार्थक है परन्तु यह माध्यांतर नियंत्रण समूह के माध्यांतर की अपेक्षा कही अधिक है जो सिद्ध करता है कि लड़कों के वर्तनी सुधार के संदर्भ में उपचारात्मक उपागम, परम्परागत उपागम की तुलना में कही अधिक सार्थक है। इससे हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना निरस्त होती है। अतः हम अब इन परिणामों के आधार पर अपनी संशोधित परिकल्पना निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं।

संशोधित परिकल्पना संख्या 2

केवल लड़कों के वर्तनी सुधार के संदर्भ में अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम सामान्य परम्परागत उपागम की तुलना में अधिक प्रभावशाली है।

उद्देश्य 3 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 3 के अनुसार हमारा आशय लड़कियों के समूह पर हमारे द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक अध्यापन उपागम की प्रभाविता का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य के लिए भी हमने शून्य प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया। इस परिकल्पना के अनुसार बच्चों की वर्तनी सुधार की दृष्टि से उपचारात्मक अध्यापन तथा सामान्य कक्षा अध्यापन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अतः इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए हमने पूर्व परीक्षण–पश्च परीक्षण नियंत्रण समूह अभिकल्प का प्रयोग किया जैसा कि पहले वर्णित अन्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में किया गया है। इस विश्लेषण से सम्बन्धित परिणाम तालिका 3A तथा 3B में दिए गए हैं।

तालिका 3A: *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 9 CG_G_Pre – EG_G_Pre	2.35294	16.80509	2.03792	1.155	67	.252
Pair 10 CG_G_Pre – CG_G_Post	6.85294	2.11084	.25598	26.772	67	.000
Pair 11 EG_G_Pre – EG_G_Post	36.08451	13.13419	1.55874	23.150	70	.000
Pair 12 CG_G_Post – EG_G_Post	32.19118	27.04681	3.27991	9.815	67	.000

तालिका 3B: *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 9	CG_G_Pre	78.4559	68	12.35233	1.49794
	EG_G_Pre	80.8088	68	12.47117	1.51235
Pair 10	CG_G_Pre	78.4559	68	12.35233	1.49794
	CG_G_Post	85.3088	68	14.13396	1.71399
Pair 11	EG_G_Pre	80.5493	71	12.29377	1.45900
	EG_G_Post	116.6338	71	24.44483	2.90107
Pair 12	CG_G_Post	85.3088	68	14.13396	1.71399
	EG_G_Post	117.5000	68	24.47265	2.96774

तालिका 3A के युग्म–9 का अवलोकन करने से पता चलता है कि नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह के पूर्व परीक्षण के अंकों के आधार पर माध्यांतर 2.35 तथा t का मान 1.155 है। t का यह मान .05 व .01 किसी भी विश्वस्तता स्तर पर सार्थक नहीं है। इस का अर्थ हुआ कि ये दोनों समूह प्रयोग से पहले परीक्षण की दृष्टि से समान थे।

अब यदि हम युग्म–12 का अवलोकन करें तथा साथ–साथ तालिका 3B में दिए इनके माध्यों का भी, तो पता चलेगा कि प्रायोगिक समूह का माध्य 80.81 से बढ़ कर 117.50 हो गया परन्तु नियंत्रण समूह का माध्य 78.46 से बढ़कर केवल ही 85.31 हुआ। अर्थात् जहाँ सामान्य अध्यापन के फलस्वरूप नियंत्रण समूह के माध्यांक में 6.85 की (85.31–78.46) की बढ़ोतरी हुई वहीं प्रायोगिक समूह के माध्यांक में (117.5–80.81) में लगभग 36.69 की बढ़ोतरी हुई। तथापि माध्यांतर की मानक त्रुटि (SE_D) को घटाने के पश्चात् यह माध्यांतर 32.19 रह गया। इसका t अनुपात 9.815 है जो विश्वस्तता के .0001 स्तर पर सार्थक है। उपचार के पूर्व इन दोनों समूहों के माध्यांतर .05 पर भी सार्थक नहीं परन्तु प्रायोगिक समूह में वृद्धि के कारण यह माध्यांतर .0001 पर सार्थक हो गया। स्पष्टतः इस बढ़ोतरी का श्रेय हमारे उपचारात्मक उपागम को ही जाएगा।

इस प्रभाव की पुष्टि के लिए जरा युग्म–10 व युग्म–11 का भी अवलोकन करें। युग्म–10 के अनुसार (वही तालिका) नियंत्रण समूह के संदर्भ में पूर्व और पश्च् परीक्षण माध्यांकों का अंतर 6.85 है परन्तु प्रायोगिक समूह की अवस्था में यही अंतर 36.08 हो गया तथा इस अवस्था में t का मान 23.15 है जो .0001 पर सार्थक है। निसंदेह नियंत्रण समूह की अवस्था में भी सार्थक सुधार हुआ है परन्तु प्रायोगिक समूह में आया सुधार अत्यधिक है।

उपर्युक्त परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपचारात्मक उपागम से पढ़ाने पर वर्तनी में जो सुधार आया वह परम्परागत रूप से पढ़ाने पर आए सुधार से काफी अधिक था जो सिद्ध करता है कि बच्चों की वर्तनी को सुधारने के लिए निश्चित रूप से हमारे द्वारा अपनाया गया अध्यापन–अधिगम उपागम प्रभावी उपागम है। अतः हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना निरस्त हो जाती है। फलतः संशेधित परिकल्पना नीचे दी जा रही है।

संशोधित परिकल्पना संख्या 3

लड़कियों के वर्तनी सुधार के संदर्भ में अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम सामान्य कक्षा अध्यापक की अपेक्षा अधिक प्रभावी है।

उद्देश्य संख्या 4 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 4 के अनुसार, "ग्रामीण विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम की प्रभाविता का अध्ययन करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी शून्य प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया गया जो इस प्रकार है:

ग्रामीण बच्चों की वर्तनी सुधार की दृष्टि से सामान्य परम्परागत कक्षा अध्यापन और अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम समान रूप से प्रभावी है। इसका अभिकल्प भी वैसा ही था जैसा अन्य अवस्थाओं में हमने प्रयोग में लाया। सम्बन्धित युग्मित न्यादर्श परीक्षण के परिणाम तालिका 4A तथा 4B में दिए गए हैं।

तालिका 4A: *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 13 CG_R_Pre – EG_R_Pre	0.63889	19.66000	2.31695	.276	71	.784
Pair 14 CG_R_Pre – CG_R_Post	6.45833	2.33128	.27474	23.507	71	.000
Pair 15 EG_R_Pre – EG_R_Post	28.39726	13.51824	1.58219	17.948	72	.000
Pair 16 CG_R_Post – EG_R_Post	21.36111	30.59794	3.60600	5.924	71	.000

तालिका 4B: *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 13	CG_R_Pre	76.8333	72	13.22822	1.55896
	EG_R_Pre	76.1944	72	12.88042	1.51797
Pair 14	CG_R_Pre	76.8333	72	13.22822	1.55896
	CG_R_Post	83.2917	72	15.04588	1.77317
Pair 15	EG_R_Pre	76.2740	73	12.80870	1.49914
	EG_R_Post	104.6712	73	25.33117	2.96479
Pair 16	CG_R_Post	83.2917	72	15.04588	1.77317
	EG_R_Post	104.6528	72	25.50844	3.00620

तालिका 4A के युग्म 13 का अवलोकन करने से पता चलता है कि ग्रामीण बच्चों के नियंत्रण समूह तथा प्रायोगिक समूह के माध्यांकों का अंतर .64 तथा t अनुपात .276 था जो विश्वस्तता के किसी भी मान्य स्तर पर सार्थक नहीं है। स्पष्टतः इन दोनों समूह के वर्तनी सम्बन्धी माध्यांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं था। अब जरा इसी तालिका के युग्म 16 का अवलोकन करें जो इन्हीं दोनों समूहों के उपचारोत्तर माध्यांकों को दर्शाता है। माध्यांकों का यह अंतर अब 21.36 हो गया है। तालिका 4.10.2 में दृष्टिपात करने से पता चलता है कि युग्म 16 नियंत्रण समूह का माध्यांक 76.83 से बढ़ कर केवल 83.29 हो पाया जबकि प्रायोगिक समूह का माध्यांक 76.19 से बढ़कर 104.65 हो गया। निसंदेह दोनों अवस्थाओं में माध्यांकों में सार्थक बढ़ोतरी हुई है परन्तु प्रायोगिक समूह की बढ़ोतरी नियंत्रण समूह की बढ़ोतरी से काफी अधिक है। इस बढ़ोतरी का श्रेय मात्र हमारे द्वारा अपनाए गए विशेष उपचारात्मक उपागम को ही जाता है। इन परिणामों के आधार पर हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना निरस्त हो जाती है। अतः इस सम्बन्ध में संशोधित परिकल्पना नीचे दी जा रही है।

संशोधित परिकल्पना संख्या 4

ग्रामीण विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार के संदर्भ में अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम सामान्य कक्षा अध्यापन की तुलना में अधिक प्रभावी होता है।

उद्देश्य संख्या 5 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 5 के अनुसार, हमारा आशय था शहरी विद्यालयी बच्चों के संदर्भ में अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम की प्रभाविता का अध्ययन करना। इस संदर्भ में भी हमने शून्य प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया जिसके अनुसार शहरी बच्चों की वर्तनी सुधार की दृष्टि से सामान्य कक्षा अध्यापन तथा हमारे द्वारा अपनाए गए विशेष उपचारात्मक अध्यापन उपागम में को सार्थक अंतर नहीं है। इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए भी वहीं पूर्व परीक्षण – पश्च परीक्षण नियंत्रण समूह अभिकल्प का प्रयोग किया गया। इस विश्लेषण के परिणाम नीचे तालिका 5A तथा तालिका 5B में दिए गए हैं।

तालिका **5A:** *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 17 CG_U_Pre – EG_U_Pre	2.74286	15.24932	1.82264	1.505	69	.137
Pair 18 CG_U_Pre – CG_U_Post	7.64286	2.16718	0.25903	29.506	69	.000
Pair 19 EG_U_Pre – EG_U_Post	40.64286	11.08862	1.32534	30.666	69	.000
Pair 20 CG_U_Post – EG_U_Post	35.74286	23.22523	2.77595	12.876	69	.000

तालिका **5B:** *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 17	CG_U_Pre	83.4571	70	13.66227	1.63295
	EG_U_Pre	86.2000	70	10.02981	1.19879
Pair 18	CG_U_Pre	83.4571	70	13.66227	1.63295
	CG_U_Post	91.1000	70	15.51638	1.85456
Pair 19	EG_U_Pre	86.2000	70	10.02981	1.19879
	EG_U_Post	126.8429	70	19.91477	2.38027
Pair 20	CG_U_Post	91.1000	70	15.51638	1.85456
	EG_U_Post	126.8429	70	19.91477	2.38027

तालिका 5A के युग्म 17 का अवलोकन करने से पता चलता है कि शहरी विद्यालयों में पढ़ने वाले नियंत्रण समूह और प्रायोगिक समूह में पूर्व परीक्षण के आधार पर माध्यांकों का सार्थक अंतर नहीं है क्योंकि इनका t अनुपात केवल 1.505 है जो सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों समूहों का वर्तनी ज्ञान समान है।

अब जरा इसी तालिका के युग्म 20 का अवलोकन करें जिसमें इन्हीं समूहों के द्वितीय परीक्षण के माध्यांकों का विश्लेषण किया गया है। इस अवस्था में t अनुपात 12.88 है जो विश्वस्तता के .001 स्तर पर भी सार्थक है और यह जानने के लिए कि यह अंतर किस कारण आया आइए तालिका 5B में माध्यों का अवलोकन करें। स्पष्ट है कि नियंत्रण समूह का माध्यांक बढ़कर 91.1 हो गया जबकि प्रायोगिक समूह का माध्यांक 126 हो गया। अतः हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस भारी बढ़ोतरी का श्रेय मात्र विशेष उपचारात्मक उपागम को ही जा सकता है।

इस प्रभाव की पुष्टि के लिए आइए युग्म–18 व युग्म–19 के परिणामों पर भी दृष्टिपात करें। युग्म–18 में नियंत्रण समूह के संदर्भ में माध्य लाभांक दर्शाए गए हैं तथा युग्म 19 में प्रायोगिक समूह के माध्य लाभांक दर्शाए गए हैं। इस तालिका के अवलोकन से पता चलता है कि नियंत्रण समूह में यह माध्य लाभांक 7.64 है जबकि प्रायोगिक समूह में यह 40.64 है यद्यपि दोनों अवस्थाओं में माध्य लाभांक का t अनुपात विश्वस्तता स्तर पर सार्थक है परन्तु प्रायोगिक समूह का माध्य लाभांक की अपेक्षा कही अधिक है।

उपर्युक्त विश्लेषण और परिणामों के फलस्वरूप हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना निरस्त होती है। अतः इसे संशोधित रूप नीचे व्यक्त किया जाता है।

संशोधित परिकल्पना संख्या 5

शहरी विद्यालय बच्चों के संदर्भ में वर्तनी सुधार की दृष्टि से अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम सामान्य कक्षा अध्यापन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है।

उद्देश्य संख्या 6 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 6 के अनुसार, हमारा आशय अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन–अधिगम उपागम के लड़के और लड़कियों की वर्तनी पर पड़ने वाले सापेक्ष प्रभाव का अध्ययन करना था। इसके लिए भी हमने शून्य प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया। पहले हमने लड़कों के प्रायोगिक समूह के माध्य लाभांक का परिकलन किया तथा इसी प्रकार फिर लड़कियों के प्रायोगिक समूह के माध्य लाभांक का परिकलन किया। इन दोनों लाभांकों माध्यांतर प्राप्त किया उसका t का मान भी निकाला। यह प्रक्रिया नीचे दी जा रही है।

EGG Pre – EGG Post = EGG diff ... (i)

EGB Pre – EGB Post = EGB diff ... (ii)

तत्पश्चात् (i) और (ii) के मध्य t अनुपात का परिकलन किया गया। ये परिणाम तालिका 6A तथा 6B में युग्म 1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 6A: *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 21 EG_G_Diff – EG_B_ Diff	3.23944	18.32911	2.17526	1.489	70	.141
Pair 22 EG_R_Diff – EG_U_ Diff	11.45070	18.21364	2.16156	5.297	70	.000

तालिका **6B:** *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 21	EG_G_Diff	36.0845	71	13.13419	1.55874
	EG_B_ Diff	32.8451	71	14.36429	1.70473
Pair 22	EG_R_Diff	28.6197	71	13.63018	1.61761
	EG_U_ Diff	40.0704	71	12.01942	1.42644

तालिका 6A का अवलोकन दर्शाता है कि युग्म 21 में t अनुपात 1.489 है जो दृ05 के सार्थकता स्तर से नीचे है। इसके आधार पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इस उपागम का लड़के और लड़कियों पर समान प्रभाव पड़ता है। अतः हमारी मूल परिकल्पना स्वीकार्य है।

उद्देश्य संख्या 7 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

उद्देश्य 7 के अनुसार, हमारा आशय हमारे द्वारा अपनाए गए उपचारात्मक उपागम के ग्रामीण और शहरी विद्यालयी बालकों पर सापेक्ष अध्ययन करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भी शून्य प्रभाव परिकल्पना का निर्माण किया गया जिसके अनुसार उपर्युक्त अध्यापन उपागम का शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार में समान प्रभाव पड़ता है। इस परिकल्पना से सम्बन्धित परिणाम तालिका 7A तथा 7B के युग्म 22 में दिए गए हैं।

तालिका **7A:** *Paired Samples Test*

	Paired Differences			t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean			
Pair 21 EG_G_Diff – EG_B_ Diff	3.23944	18.32911	2.17526	1.489	70	.141
Pair 21 EG_G_Diff – EG_B_ Diff	3.23944	18.32911	2.17526	1.489	70	.141
Pair 22 EG_R_Diff – EG_U_ Diff	11.45070	18.21364	2.16156	5.297	70	.000

तालिका **7B:** *Paired Samples Statistics*

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 21	EG_G_Diff	36.0845	71	13.13419	1.55874
	EG_B_ Diff	32.8451	71	14.36429	1.70473
Pair 22	EG_R_Diff	28.6197	71	13.63018	1.61761
	EG_U_ Diff	40.0704	71	12.01942	1.42644

इन परिणामों का अवलोकन स्पष्ट करता है कि युग्म 22 की अवस्था में t अनुपात 5.297 हे जो .0001 विश्वस्तता स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट है कि इस उपागम का दोनों प्रकार के विद्यार्थियों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तालिका 7B के युग्म 22 का अवलोकन बताता है कि ग्रामीण समूह में माध्य लाभांक 28.62 है तथा शहरी

समूह में माध्य लाभांक 40.07 है। इससे स्पष्ट है कि अध्येता केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अध्यापन उपागम का प्रभाव शहरी विद्यालयी बच्चों पर अधिक सार्थक है। अतः इस संदर्भ में हमारी शून्य प्रभाव परिकल्पना निरस्त हो जाती है और इसका संशोधित रूप नीचे व्यक्त किया गया है।

संशोधित परिकल्पना संख्या 7

वर्तनी सुधार की दृष्टि से शहरी विद्यालयी बच्चे, ग्रामीण विद्यालयी बच्चों की अपेक्षा उपचारात्मक अध्यापन–अधिगम उपागम का अधिक लाभ उठा पाते हैं।

उद्देश्य संख्या 8 से सम्बन्धित प्रदत्त विश्लेषण, परिणाम, तथा उनकी व्याख्या

इस उद्देश्य के अनुसार, हमारा आशय उच्चारण और वर्तनी के मध्य सहसम्बन्ध का पता लगाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने पूर्व परीक्षण के आधार पर दोनों परीक्षणों (वर्तनी और उच्चारण) के मध्य सहसम्बन्ध मालूम किया। इसी प्रकार यह देखने के लिए कि उपचारात्मक परीक्षण के पश्चात् इस सहसम्बन्ध सूचकांक में कोई आता है अथवा नहीं, पष्च् परीक्षण के आधार पर भी इन दोनों चरांक (वर्तनी तथा उच्चारण) के मध्य एक बार फिर सहसम्बन्ध का परिकलन किया। ये दोनों परिणाम नीचे तालिका 8 में दिए गए हैं।

तालिका 8

चरांक	N	r	Sig.
पूर्व परीक्षण अंक उच्चारण तथा पूर्व परीक्षण अंक वर्तनी	285	.897	.000
पश्च परीक्षण अंक उच्चारण तथा पश्च परीक्षण अंक वर्तनी	285	.903	.000

तालिका 8 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों अवस्थाओं में r का मान क्रमशः .897 तथा .903 है। ये दोनों ही सूचकांक अत्यधिक सार्थक है।

इसका निहितार्थ यह हुआ कि यदि व्यक्ति का उच्चारण शुद्ध है तो पूरी संभावना होगी कि वह शुद्ध रूप में लिखेगा। यह यह भी कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का लेखन शुद्ध है तो उसका उच्चारण भी शुद्ध ही होगा।

अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सर्वप्रथम बच्चों के उच्चारण को शुद्ध करें ताकि स्वतः ही उनका लेखन भी शुद्ध हो जाएगा।

शोध के परिणाम व निष्कर्ष

1. बच्चों की वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों को सुधारने में परम्परागत अध्यापन की अपेक्षा अध्येता–केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम अधिक प्रभावी है।
2. केवल लड़कों की वर्तनी सुधार के संदर्भ में परम्परागत अध्यापन की अपेक्षा अध्येता–केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम अधिक प्रभावी है।
3. केवल लड़कियों की वर्तनी सुधार के संदर्भ में परम्परागत अध्यापन की अपेक्षा अध्येता–केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम अधिक प्रभावी है।
4. ग्रामीण विद्यार्थियों के वर्तनी सुधार के संदर्भ में परम्परागत अध्यापन की अपेक्षा अध्येता–केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम अधिक प्रभावी है।
5. शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों के संदर्भ में वर्तनी सुधार की दृष्टि से परम्परागत अध्यापन की अपेक्षा अध्येता–केन्द्रित तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम अधिक प्रभावी है।

6. अध्येता–केन्द्रित्त तथा कार्यकलाप आधारित अधिगम–अध्यापन उपागम का लड़के और लड़कियों के वर्तनी सुधार पर समान प्रभाव पड़ता है।

7. वर्तनी सुधार की दृष्टि से ग्रामीण विद्यालयों के बच्चों की अपेक्षा इस उपचारात्मक उपागम का शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों पर प्रभाव अधिक पड़ता है।

संदर्भ सूची

कौशिक, जयनारायण (1979) *टैक्नीक्स आफ मैटिरियल डिवलपमैंट फार लैंग्वेज लैब*–नेशनल अवार्ड विनिग पेपर, नई दिल्लीः एनसीईआरटी

कौशिक, जयनारायण (1982) *श्रुतलेख शब्दावली,* नई दिल्ली टीटी आई विस्तार सेवा, दरियागंज

कौशिक, जयनारायण (1986) *शुद्ध हिंदी लेखन,* नई दिल्ली, आर्य बुक डिपो

कौशिक, जयनारायण (2006) *शुद्ध हिंदी लेखन,* नई दिल्लीः आर्य बुक डिपो।

चंद्र, जगदीश (1978) *हिंदी व्युत्पति कोश,* जयपुरः देवनागर प्रकाशन

तिवारी, भोला नाथ (1978) *आधुनिक भाषा विज्ञान,* नई दिल्ली, लिपि प्रकाशन

तिवारी, भोलानाथ तथा भाटिया, के.सी. (1980) *हिंदी भाषा शिक्षण,* नई दिल्लीः लिपि प्रकाशन

पांडेय, रामकमल (1985) *त्रुटि विश्लेषण,* आगराः केंद्रीय हिंदी संस्थान

शर्मा, लक्ष्मी नारायण (1976) *शुद्ध हिंदी इलाहाबादः* लोकभारती प्रकाशन

शर्मा, लक्ष्मी नारायण (1978) देवनागरी लेखन तथा हिंदी वर्तनी, आगराः केंद्रीय हिंदी संस्थान

श्रीवास्तव, मुरलीधर (1980) *हिंदी धातुकोश,* इलाहाबादः रचना प्रकाशन

श्रीवास्तव, रविंद्र नाथ एव तिवारी, भोलानाथ (1980) *हिंदी भाषा–संरचना और प्रयोग,* नई दिल्लीः नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 17-25.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों एवं सम्बन्धित कारकों का अध्ययन

आर.पी. पाठक
शिक्षाशास्त्र विभाग,
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ,
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016
ई मेलः Pathakoham@gmail.com

सारांशः *शिक्षा व्यक्ति व समाज की वर्तमान और भविष्य का निर्माण की अनुपम साधन है भारत सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन कर वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए ? उनके प्रतिवेदन में वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन कर इसे हमारे जीवन, आवश्यकताओं और आकाक्षाओं से जोड़ने की जरूरत है तभी यह सामाजिक, आर्थिक और संस्कृतिक परिवर्तन को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्त कर सकती है। प्रस्तुत अध्यपन में वर्तमान शिक्षा की उत्पादनशीलता से जोड़ा जाए ताकि देशभर में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर की छात्र छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा की प्रति अभिवृत्तियों की जानकारी होगी जिसके आधार पर वे आगे के जीवन में अध्ययन करने, व्यावसाय चयन करने, अपने स्वजीविकोपार्जन के चयन साथ ही स्वावलम्बी बनने और स्वरोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी/छात्र–छात्राएं किसी व्यावसाय, रोजगार जीवकोपार्जन की प्रति कितना अभाव रखते है ? और उस क्षेत्र में पारंगतता, कुशलता अर्जित करने के लिए किन–किन कौशलों, प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होगी। जिसके लिए छात्रा–छात्राओं की उचित निर्देशन एवं परामर्श किया जा सकेगा। प्रस्तुत अध्ययन शोधकत्ताओं प्रशासकों शिक्षाविदों एवं अपनी रूचि का व्यावसाय चयन करने वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं नीतिनिर्माण और कार्यान्वियन में हेतु भी वह अध्ययन उचित दिशा निर्देश कर सकेगा और व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होगा।*

प्रस्तावना

मनुष्य एक कर्मशील सामाजिक प्राणी है। बुद्धि और विवेक के कारण वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है। अपने बुद्धि, और परिश्रम के द्वारा वह ज्ञानकौशल प्राप्त करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वह सदैव ज्ञान के उपार्जन की खोज में सतत प्रयत्नशील रहता है, वह चाहता है कि ज्ञान और कर्म के आधर पर अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाये। कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे उसको सन्तोष की प्राप्ति हो। इस सन्तोष की प्राप्ति के लिए वह ज्ञान के अर्जन एवं उपार्जन में लगा रहता है और यह कार्य उसके समाज में ही सम्भव है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के लिए उसे प्रकृति के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करना पडता है। क्योंकि मनुष्य और प्रकृति का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व असम्भव है। प्राकृतिक संसाध्नों के सदुपयोग के लिए मानवीय संसाधनों का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के लिए कार्य और कार्य के लिए व्यक्ति की उपलब्ध्ता ही भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए ठोस पृष्ठभूमि तैयार करती है। मानव संसाधन का विकास शिक्षा की समुचित व्यवस्था पर आधरित है। शिक्षा मात्रा जीविकोपार्जन का ही मार्ग प्रशस्त नहीं करती, बल्कि मनुष्य को मानव भी बनाती है क्योंकि शिक्षा ज्ञान, कौशल और विकास की सूत्राधर है। शिक्षा हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाती है और दृष्टि को प्रखर बनाती है। इससे कार्य में वैज्ञानिक ढंगों के उपयोग की सम्भावना बढ़ जाती है। चिन्तन एवं समझ में स्वतन्त्रता आती है। इससे हमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्रा के मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलती है।

निःसन्देह शिक्षा व्यक्ति और समाज के वर्तमान और भविष्य के निर्माण का अनुपम साध्न है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा का स्वरूप क्या हो? इस प्रश्न पर विचार करते हुए शिक्षा आयोग (1964–66) के प्रतिवेदन में शिक्षा व्यवस्था में सुधर हेतु कहा गया है– *'वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन कर इसे हमारे जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जोड़ने की जरूरत है तभी यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का साध्न बन सकती है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए शिक्षा को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि इससे उत्पादनशीलता बढ़े, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में वृद्धि हो, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति आए और सामाजिक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का संस्कार बने।'* इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान शिक्षा को उत्पादनशीलता से जोड़ा जाये, इसी कारण शिक्षा आयोग ने पुनः शिक्षा को उत्पादनशील बनाने हेतु अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा है– *'विभिन्न स्तरों पर कार्यानुभव का पाठ्यक्रम में अनिवार्यतः समावेश होना चाहिए। कार्यानुभव को तकनीकी तथा औद्योगिकीकरण की ओर उन्मुख होना चाहिए। यह कृषि सहित उत्पादन के विभिन्न तरीकों में विज्ञान के प्रयोग को स्पष्ट करे। धीरे–धीरे माध्यमिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण होना*

चाहिए। उच्च स्तर पर कृषि शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।' इस कथन से यह स्पष्ट है कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा के हर स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया है। इसी कारण वर्तमान परिस्थिति में सम्पूर्ण देश में शिक्षा का व्यावसायीकरण आवश्यक हो गया है।

इसी विचारधारा को *प्रो. एम. एल. मल्होत्रा* ने एक विचार गोष्ठी में अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था– *'हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था में उच्च प्रशासनिक एवं प्राविध्कि स्तर पर जनशक्ति की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मध्यम स्तर की जनशक्ति के अनरूप भी ऐसे कार्य हैं जिनके बिना न तो उत्पादन बढाया जा सकता है और न ही सेवाओं में सुधर लाया जा सकता है। विभिन्न स्तरीय जनशक्ति की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने के लिए प्राविधिक तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। भारत में शिक्षा मन्त्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण वस्तुतः शिक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास का द्योतक है। यदि शिक्षा तथा विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाये तो शिक्षा का उत्पादनशीलता तथा विकास के बीच घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है।'* इससे स्पष्ट है कि शिक्षा एवं उत्पादनशीलता एक दूसरे से अभिन्न रूप से अन्तर्सम्बन्धित हैं। शिक्षा के क्षेत्रा में इस तरह की भावना भरने एवं प्रेरित करने के लिए माध्यमिक स्तर महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण की संस्तुति की गई थी तथा इस दस्तावेज में यह कहा गया था– *'माध्यमिक स्तर पर 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2000 तक तथा 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को वर्ष 2005 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाये।'*

इस कथन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने भी व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है तथा इसकी गुणवत्ता को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बनाये रखने की बात कही है। इसी कारण इस नीति में यह सुझाव प्रस्तुत किया गया कि– *'ऐसी शिक्षा का निर्माण करने के लिए जो विद्यार्थियों को उनके परिवार और जीवन से अलग–अलग न कर दे, यह आवश्यक है कि हाथ, दिमाग और दिल को एक सूत्र में पिरो दिया जाये। माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों की शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाये। इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पहलू को जोड़ना होगा और साथ में जो विद्यार्थी नौकरी या स्वरोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए व्यवसाय सम्बन्धी अतिरिक्त अवयवों का प्रावधन करना होगा। 'स्कूल की दुनिया एवं काम की दुनिया' के बीच व्यावहारिक रिश्ता स्थापित करना होगा जिसके लिए व्यवसायिकीकरण की दृष्टि से 'काम की दुनिया' में कार्यपीठ और अभ्यासशाला जैसी व्यवस्थाओं को शिक्षा का अंग बनाना होगा।'*

उपर्युक्त कथनों से व्यावसायिक शिक्षा की महत्ता एवं आवश्यकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर इसकी महती आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा को अकादमिक और व्यावसायिक धराओं में बांटना उचित नहीं है बल्कि सभी विद्यार्थियों को केन्द्रिक पाठ्यक्रम के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि देश का हर पढ़ा–लिखा युवा व्यक्ति बेकारी, बेरोजगारी, अनुशासनहीनता, कुण्ठा एवं आक्रोश का शिकार है। इन समस्याओं से निपटने के लिए माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण करना अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि हमें राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी करना है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

वर्तमान समय में देश की जनसंख्या लगभग सवा सौ करोड हो चुकी है जो विश्व के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। देश की आबादी का ज्यादातर भाग कृषिकार्य में संलग्न है तथा अधिक जनसंख्या एवं सीमित साधन हैं, इसलिए यह विकासशील देशों की श्रेणी में है। विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। अतः इस समस्या के निराकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा सबसे उपयुक्त साध्न है। व्यावसायिक शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर है। माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है चूँकि ज्यादातर छात्र–छात्राएँ माध्यमिक स्तर के बाद ही अपने व्यवसाय और रोजगार में चले जाते हैं तथा परिवार का भरण–पोषण करने में लग जाते हैं गरीबी के कारण उनकी यह मजबूरी होती है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक छात्र–छात्रा की आवश्यकता तो होती है लेकिन वे इस शिक्षा को किस मात्रा में ग्रहण कर पायेंगे तथा इसमें वे कहाँ तक सपफल होंगे ये सभी छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति, सामाजिक–आर्थिक स्तर एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हैं। जब तक छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियां व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रा में सकारात्मक नहीं होंगी तब तक वे व्यवसाय में सफल नहीं हो पायेंगे। यदि व्यावसायिक शिक्षा को सामान्यजन तक पहुंचाना है तो लोगों की अभिवृत्तियों को सकारात्मक बनाना होगा तथा

उससे सम्बन्धित बाधओं को दूर करना होगा तथा राज्यों और केन्द्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेक परियोजनाओं, नीतियों आदि की सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। साथ ही साथ स्कूलों, विद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में इस क्षेत्रा की लोकप्रियता को समाज, समुदाय तथा देश को पहल करनी होगी।

समस्या कथन

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर इन शोधकर्ताओं ने शोध के लिए जिस समस्या का चयन कि उस का कथन निम्नलिखित है:

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. व्यावसायिक शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों की तुलना करना।
3. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की छात्रा/छात्राओं की अभिवृत्तियों की तुलना करना।
4. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विभिन्न जातियों की छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति विभिन्न धर्मों की छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. व्यावसायिक शिक्षा के प्रति संयुक्त एवं एकल परिवार की छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों की तुलना करना।
7. माध्यमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।

अध्ययन की परिकल्पनाऐं

अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियां सकारात्मक हैं।
2. व्यावसायिक शिक्षा के प्रति ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं की अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की पृष्ठभूमि की छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. विभिन्न जातियों की छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. विभिन्न धर्मों को मानने वाले छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. संयुक्त एवं एकल परिवार में रहने वाले छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. जाति, धर्म, सामाजिक–आर्थिक स्तर, परिवार का स्वरूप एवं परिवेश छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।

अध्ययन के उपकरण

अध्ययन को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित स्वनिर्मित एवं मानकीकृत उपकरणों का उपयोग किया गया है

1. व्यवसायिक शिक्षा के प्रति छात्र–छात्राओं की अभिवृत्ति के अध्ययन हेतु अध्ययनकर्ता ने एक अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया।
2. सामाजिक–आर्थिक स्तर के मापन हेतु *आर. एल. भारद्वाज* द्वारा निर्मित मानकीकृत मापनी का प्रयोग किया गया है।
3. आवश्यकतानुसार अध्ययन को प्रभावी बनाने हेतु साक्षात्कार एवं निरीक्षण प्रविधियों का भी प्रयोग किया।

जन समष्टि :

अध्ययन के लिए वाराणसी मण्डल के माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले सभी छात्र–छात्राऐं जन समष्टि का प्रतिनिध्त्वि करते हैं।

न्यादर्श :

वाराणसी मण्डल के वाराणसी, जौनपुर, बलिया, एवं गाजीपुर जनपदों के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची को वर्णक्रम में व्यवस्थित कर विद्यालयों का चयन यादृच्छिक ढंग से किया गया। चयनित विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में से 750 छात्रा–छात्राओं का चयन अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है।

अध्ययन अभिकल्प

तालिका 1: *वाराणसी मण्डल में जिलों के आधर पर न्यादर्श में शामिल छात्रा–छात्राओं की संख्या*

क्रम	जिला	छात्रा	छात्राएँ	योग
1.	वाराणसी	155	167	322
2.	जौनपुर	108	28	136
3.	बलिया	66	112	178
4.	गाजीपुर	64	50	114
	कुल योग	**393**	**357**	**750**

तालिका 2: *वाराणसी मण्डल में न्यादर्श के लिए चुने गये छात्रा–छात्राओं की संख्या*
(धर्म के अनुसार)

क्रम	धर्म	छात्रा	छात्रायें	योग
1.	हिन्दू	363	288	651
2.	मुस्लिम	30	69	99
कुल योग		393	357	750

तालिका 3: *वाराणसी मण्डल में न्यादर्श के लिए चुने गये छात्रा--छात्राओं की संख्या*
(जाति के अनुसार)

क्रम	जाति	छात्रा	छात्रायें	योग
1.	सामान्य	139	115	254
2.	अनुसूचित	198	169	367
3.	पिछड़ी	56	73	129

तालिका 4: *वाराणसी मण्डल में न्यादर्श के लिए चुने गये छात्रा–छात्राओं की संख्या*
(परिवार के आकार के अनुसार)

क्रम	परिवार का आकार	छात्रा	छात्राएँ	योग
1.	संयुक्त	277	186	463
2.	एकल	116	171	287
	कुल योग	**393**	**357**	**750**

तालिका 5: *वाराणसी मण्डल में न्यादर्श के लिए चुने गये छात्रा–छात्राओं की संख्या*
(मासिक आय के अनुसार)

क्रम	मासिक आय	छात्रा	छात्राएँ	योग
1.	0–2000	136	144	250
2.	2000–5000	143	114	257
3.	5000 से अध्कि	117	129	243
	कुल योग	**393**	**357**	**750**

तालिका 6: *वाराणसी मण्डल में न्यादर्श के लिए चुने गये छात्रा–छात्राओं की संख्या*
(भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार)

क्रम	भौगोलिक क्षेत्र	छात्रा	छात्राएँ	योग
1.	ग्रामीण	305	162	467
2.	शहरी	88	195	283
	कुल योग	**393**	**357**	**750**

माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले 750 छात्रा–छात्राओं को यादृच्छिक ढंग से न्यादर्श के लिए चुना गया। न्यादर्श के लिए वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत सभी सभी जनपदों, विद्यालयों में जाति, धर्म का ध्यान रखा गया। न्यादर्श को अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्तरीकृत भी किया गया।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन वर्तमान परिवेश से सम्बद्ध है। अतः यह अध्ययन नारमेटिव सर्वे मेथड से सम्पन्न किया गया।

प्रदत्तों का संकलन, संघटन, सांख्यकीय प्रविधियाँ

प्रदत्तों का संकलन उपरिवर्णित उपकरणों के माध्यम से किया गया। इन उपकरणों का प्रयोग न्यादर्श में चुने गये 750 छात्रा–छात्राओं तक ही सीमित था। उपकरणों से प्राप्त निष्कर्षों को सारणीबद्ध किया गया। सारणीयन के

पश्चात् प्राचल (Parametric) एवं अप्राचल (Non-Parametric) सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया। सामान्य रूप से मध्यमान (Mean), मध्यांक (Median), बहुलांक (Mode), प्रतिशत, सहसम्बन्ध (Co-relation), टी–परीक्षण (t-test) इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

आंकडों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधर पर अध्ययन के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं

1. व्यावसायिक शिक्षा के प्रति छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियाँ सकारात्मक हैं। इनकी अभिवृत्तियाँ व्यावसायिक शिक्षा के प्रति ध्नात्मक दिशा में सकारात्मक हैं।
2. ग्रामीण एवं शहरी छात्रा–छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 1.32 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण एवं शहरी छात्रा–छात्राओं के रहन–सहन एवं सुविधओं में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया है। अतः इनकी अभिवृत्ति एक जैसी दिखाई पड़ती है।
3. शहरी छात्रा–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर पर एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का सहसम्बन्ध 0.12433 जो 0.05 स्तर पर सार्थक है। इसके विपरीत ग्रामीण छात्रा–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का सहसम्बन्ध 0.0150 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है।
4. हिन्दू छात्रा–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का सहसम्बन्ध 0.20897 है जो 0.05 तथा 0.01दोनों स्तर पर सार्थक है। इसी प्रकार मुस्लिम छात्रा–छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर एवं व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का सहसम्बन्ध 0.2032 है जो दोनों स्तर पर सार्थक है। अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों वर्गो के छात्रा–छात्राऐं उच्च सामाजिक स्तर के हैं, का दृष्टिकोण सकारात्मक है।
5. सामान्य जाति, पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 0.64 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः निष्कर्ष है कि संयुक्त एवं एकल परिवार में रहने वाले छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं है। सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रा–छात्राओं का टी–मूल्य 2.46 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक है। पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के छात्रा–छात्राओं का टी–मूल्य 1.40 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है।
6. हिन्दू एवं मुस्लिम छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 3.24 है जो दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है। अतः निष्कर्ष है कि हिन्दू छात्रा–छात्राऐं मुस्लिम छात्रा–छात्राओं की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं।
7. संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार से सम्बन्धित छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 0.16 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः निष्कर्ष है कि संयुक्त एवं एकल परिवार में रहने वाले छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
8. पुरुष एवं महिला छात्रा–छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 3.358 है जो 0.05 तथा 0.01 दोनों स्तरों पर सार्थक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि छात्राऐं छात्रों की अपेक्षा व्यावसायिक शिक्षा के प्रति ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। सम्भवतः इसका प्रमुख कारण है कि वर्तमान समाज में छात्राऐं रोजगार के प्रति ज्यादा जागरुक हैं।
9. उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों की तुलना की गई है। उच्च आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग का टी–मूल्य 0.91 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। उच्च आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 0.20 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक अन्तर नहीं रखता है। मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के छात्रा–छात्राओं का टी–मूल्य 2.70 है जो 0.05 तथा 0.01 दोंनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है। अतः निष्कर्ष है कि केवल मध्यम आय वर्ग एवं निम्न आयवर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों में अन्तर है।

10. प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों की तुलना की गई। जिसमें पाया गया कि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 1.67 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। प्रथम एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 2.01 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक पाया गया है। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 3.25 है जो 0.05 तथा 0.01 दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है।

11. कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों की तुलना की गई इसमें पाया गया कि कला एवं विज्ञान वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 1.60 है जो किसी किसी स्तर पर सार्थक नहीं है। कला एवं वाणिज्य वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तिसयों का टी–मूल्य 10.18 है जो 0.05 तथा 0.01 दोनों स्तरो पर सार्थक अन्तर रखता है। कला एवं कृषि वर्ग के छात्रा–छात्राओं का व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 2.56 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर रखता है। विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 9.18 है जो 0.05 तथा 0.01 दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है। विज्ञान एवं कृषि वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 3.39 है जो 0. 05 तथा 0.01 दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है। इसी प्रकार वाणिज्य एवं कृषि वर्ग के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 7.52 है जो 0.05 तथा 0.01 दोनों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है।

12. कृषि पेशा, व्यवसाय एवं नौकरी पेशा से सम्बन्धित छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों की तुलना की गई और यह पाया गया कि नौकरी पेशा एवं व्यवसाय से जुड़े परिवारों के छात्रा–छात्रायें व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं रखते हैं क्योंकि इनका टी–मूल्य 0.06 है जो किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। कृषि एवं नौकरी से जुड़े परिवारों के छात्रा–छात्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 2.45 है जो केवल 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर रखता है। कृषि एवं व्यवसाय से जुड़े परिवारों के छात्रा–छत्राओं की अभिवृत्तियों का टी–मूल्य 3.23 है जो 0.05 तथा 0.01 दानों स्तरों पर सार्थक अन्तर रखता है।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति छात्राएं, छात्रों की तुलना में अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति रखती हैं। हिन्दू छात्रा मुस्लिम छात्रों की अपेक्षा सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं। मुस्लिम छात्रों में यह अभिवृत्ति न्यून स्तर की है। इसके कारणों की जानकारी करके मुस्लिम छात्रों में धनात्मक अभिवृत्ति जागृत की जा सकती है। सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्रों की अभिवृत्तियों में अन्तर दिखाई पड़ता है। इस अन्तर के कारणों का पता करके न्यून स्तर की अभिवृत्ति के छात्रों की अभिवृत्तियों को धनात्मक बनाया जा सकता है। मध्यम आय वर्ग के छात्रों की अपेक्षा निम्न आय वर्ग के छात्रों की व्यावसायिक अभिवृत्तियां धनात्मक हैं। मध्यम वर्ग की इस उदासीनता का पता करके उनमें व्यावसायिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जा सकती है। विभिन्न शैक्षिक उपलब्धि वाले छात्रों की अभिवृत्तियों में भी अन्तर पाया गया। इन छात्रों में भी सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि वर्ग के छात्रों की अभिवृत्तियां भिन्न–भिन्न दिखायी पड़ती हैं। इसका क्या कारण है इसका पता करके सभी छात्रों की अभिवृत्तियों को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति की छात्रायें पिछड़ी एवं सामान्य जाति की छात्राओं से पिछड़ी हैं। अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए सरकार के द्वारा एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा अलग से छात्रावृत्ति, शुल्कमुक्ति, निःशुल्क पुस्तकें, कापियां एवं स्वरोजगार की व्यवस्था करके इनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को उँफचा उठाया जा सकता है। हिन्दू धर्म की छात्राओं की सामाजिक आर्थिक स्तर मुस्लिम धर्म की छात्राओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर की अपेक्षाकृत अच्छा है। मुस्लिम धर्म की छात्राओं के सामाजिक आर्थिक स्तर को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उफपर उठाया जा सकता है। सरकार को मुस्लिम महिलाओं को अतिरिक्त सुविधएं प्रदान कर विशेष कार्य प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ–साथ धर्मिक शिक्षा के अलावा मुस्लिम महिलाओं को आधुनिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वयं सेवी संस्थाओं को मुस्लिम धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं अन्ध–विश्वास के खिलापफ पर्दा–प्रथा और घर से बाहर निकलकर प्रचार–प्रसार करना चाहिए। जिससे वे घर से बाहर निकलकर व्यावसायिक कार्य में बढ़चढ़कर भाग ले सकें।

3. कृषि परिवार से जुड़ी छात्राओं का सामाजिक आर्थिक स्तर नौकरी परिवार से जुड़ी छात्राओं की अपेक्षा खराब है। इसका कारण है व्यापार एवं नौकरी से जुड़े लोगों की आय सुनिश्चित होती है। जबकि कृषि से जुड़े लोगों की आय अनिश्चित होती है। कृषि परिवार से जुड़ी छात्राओं को छात्रावृत्ति, शुल्कमुक्ति, निःशुल्क पुस्तकें, कापियां तथा स्वरोजगार की व्यवस्था करके इनके सामाजिक–आर्थिक स्तर को उफंचा उठाया जा सकता है।

4. व्यावसायिक शिक्षा द्वारा छात्रा–छात्राओं के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रा–छात्राओं को ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को समझने की क्षमता विकसित करना तथा ज्ञान का प्रयोग करने में कुशल बनाना है। छात्रों को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित रूप में नहीं प्राप्त हो सका है। इसके लिए और प्रयास की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त छात्रा–छात्राएं उपकरणों के संचालन एवं मरम्मत में बहुत कुशल नहीं हो सके हैं। इस दिशा में और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू होने से छात्रों में पूर्णरूपेण शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा भाव जागृत नहीं हुआ है। इस दिशा में और प्रयास की आवश्यकता है।

5. केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों एवं योजनाओं का वर्तमान युग में विशेष महत्व है चिंकिन सूची व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्यों के मूल्यांकन में सहायक है। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित लक्ष्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि यह शिक्षा छात्रों के ज्ञानात्मक विकास में उपयोगी है इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु स्थायी अध्यापकों एवं उत्तम प्रयोगशाला की आवश्यकता है। अध्यापकों को प्रतिमाह कम वेतन मिलता है। कम वेतन में अधिकांश अध्यापक पूरी क्षमता और लगन से काम नहीं करते हैं अतः शासन प्रशासन स्तर से अध्यापकों का पारिश्रमिक बढ़ाकर स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। साथ ही उत्तम प्रयोगशाला का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

इस अध्ययन के द्वारा देश भर में अध्ययनरत माध्यमिक स्तर के छात्रा–छात्राओं की व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्तियों की जानकारी होगी, जिसके आधर पर वे आगे के जीवन में अध्ययन करने, व्यवसाय चयन करने, अपने स्वजीविकोपार्जन के चयन साथ ही स्वालम्बी बनने और स्वरोजगार सृजन करने में सहायता मिलेगी और इससे यह लाभ होगा कि छात्रा–छात्राऐं किसी व्यवसाय, रोजगार, जीविकोपार्जन के प्रति कितना लगाव रखते हैं? और उस क्षेत्रा में पारंगतता, कुशलता अर्जित करने के लिए किन–किन कौशलों, प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होगी? जिसके लिए छात्रा–छात्राओं को उचित निर्देशन एवं परामर्श दिया जा सकेगा। यह अध्ययन शोधकर्त्ताओं, प्रशासकों, शिक्षाविदों एवं अपनी रुचि का व्यवसाय चयन करने वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं के नीतिनिर्माण और कार्यान्वयन में हेतु भी यह अध्ययन उचित दिशानिर्देश कर सकेगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष निःसन्देह व्यावसायिक शिक्षा जगत् के लिए उपयोगी एवं लाभप्रद सिद्ध होंगे।

सन्दर्भ सूची

अन्सारी, ए., एण्ड अन्सारी, जी.ए., (1963) द एल. ए. कोडिंग टेस्ट, न्यू हेडली मनसायन

अन्सारी, जी.ए., (1976) लेवल ऑफ एसपाइरेशन एज डीमेन्शन ऑफ परसनाल्टी, न्यू हेडली, मनसायन।

ऑगबर्न, डब्ल्यू.एफ. एण्ड निमकॉफ एम.एफ. (1960) सोशल स्ट्राटीपिफकेयान ए हैण्डबुक ऑफ सोशियोलॉजी, लन्दन, 117

आरान, पी.जी., मेरीहल, पी.जी. एण्ड मटेलशा, आर.एन.ए. (1969) कामन सोशियो इकोनामिक स्टेटस स्केल पफार रूरल एण्ड अरबन एरियाज, रेस, मोनोग्राफ

आलपोर्ट (1951) मैनुअल ऑफ द स्टडी वैलयूज, वोस्टन, 9

इंग्लिश एण्ड इंग्लिश, आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, डॉ. प्रीति वर्मा एवं डॉ. डी.एन. श्रीवास्तव, पृ. 63

उ.प्र0 में व्यावसायिक शिक्षा (केन्द्र पूर्वनिर्धारित, स्थिति आख्या; नवम्बर 2004), शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन, पृ.1

पाठक, आर.पी. (2010) ग्लोबल ट्रेन्ड्स एण्ड डेवलपमेंट ऑपफ एजुकेशन, कनिष्का प्रकाशन, नई दिल्ली

पाठक, आर.पी. (2011) शैक्षिक अनुसन्धन, अटलांटिक प्रकाशन, नई दिल्ली

प्रो. एम.एल. मल्होत्रा, संगोष्ठी रिपोर्ट, 6–8 नवम्बर 1985, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

राय, पारसनाथ (2004) अनुसन्धन परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, संजय प्लेस, आगरा

रायजादा, बी.एस. (1996) शिक्षा में अनुसन्धन के आवश्यक तत्त्व, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

रस्तोगी, के.जी. भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2004, पृ. 169

शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1964 & 66) शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1968, पृ. 112

सिंह, आर एवं त्यागी, एम. (1998) शिक्षा और भारतीय समाज, विश्वभारती प्रकाशन, गाजीपुर, उ.प्र.

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 27-37.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग का उनके व्यक्तिगत कारकों के सन्दर्भ में अध्ययन

छाया सोनी
असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षा संकाय, (कमच्छा)
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
ई–मेलः me-chhaya26@rediffmail.com

बीरमती सिंह
रीडर (सेवानिवृत्त)
शिक्षाशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

अखिलेश चौबे
पूर्व विभागाध्यक्ष
शिक्षाशास्त्र विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सारांश: *प्रस्तुत अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षकों के द्वारा उनके शिक्षण में प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य शिक्षकों से सम्बन्धित व्यक्तिगत कारकों– लिंग, आयु, शिक्षण अनुभव तथा व्यावसायिक स्तर के आधार पर प्रौद्योगिकी प्रयोग को ज्ञात करना है। अध्ययन परिणामों से ज्ञात हुआ कि लिंग, आयु तथा व्यावसायिक स्तर के आधार पर शिक्षकों द्वारा प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है, किन्तु शिक्षण अनुभव के आधार पर सार्थक अन्तर पाया गया। औसत तथा निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर था, परन्तु उच्च एवं निम्न तथा उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में अन्तर नहीं पाया गया। परिणाम यह इंगित करते हैं कि निम्न अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग को बढ़ाने हेतु संस्थान को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए।*

प्रस्तावना

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि शिक्षा मानव के व्यवहार अपेक्षित में परिवर्तन एवं उनके व्यक्तित्व का विकास करती है। वहीं उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र के भविष्य को स्वरूप प्रदान करने के लिए कुशल मानव संसाधन प्रदान करती है। उच्च शिक्षा से व्यक्ति में विचार व्यापकता, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, विभिन्न योजनाएँ बनाने हेतु उपयुक्त क्रियाविधि व समस्याओं की जड़ों को समझने की उचित प्रवृत्ति विकसित होती है और ये समस्त कार्य शिक्षक द्वारा ही सम्भव हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व व उसके गुण, उसके शिक्षण को प्रभावित करते हैं, यह शिक्षक पर ही निर्भर करता है कि वह अपने शिक्षण को रूचिकर, सहज, सरल व प्रभावी कैसे बनाए। वर्तमान में प्रौद्योगिकी एक ऐसा साधन है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षार्थी के अन्तःकरण में विषयवस्तु को स्थायित्व प्रदान करती है।

इसी सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 में उच्च शिक्षा के उन्नयन एवं विविध पक्षों में गुणात्मक सुधार तथा प्रभावी शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी प्रयोग की बात कही गई है। उच्च स्तर पर शिक्षक द्वारा जो भी शिक्षण कार्य होता है, उस कार्य को सम्पन्न करने में आज की माँग को देखते हुए प्रौद्योगिकी का प्रयोग आवश्यक समझा जाता है क्योंकि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उसे कार्यों को क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से करने का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है।

ऐसे अनेक कारक हैं जो शिक्षकों के शिक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी प्रयोग को प्रभावित करते हैं। Robinson (2005) के अनुसार कुछ अभिप्रेरणात्मक और कुछ प्रतिबन्धित कारक उच्च शिक्षा के अध्यापकों के शिक्षण कार्य को सकारात्मक तथा नकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। प्रेरणात्मक कारक जैसे– कार्य–दशाएँ, उपयुक्त अवसर, बौद्धिक चुनौतियाँ आदि ऐसे कारक हैं जो शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग को अभिप्रेरित करते हैं; वहीं समयाभाव, सम्प्रेषण की कमी आदि प्रतिबन्धित कारक हैं जो शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग को बाधित करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यवहारात्मक कारक भी है, जैसे– अध्यापक–अभिवृत्ति, उचित विषयवस्तु तकनीकी प्रयोग को प्रेरित करते हैं वहीं स्वतंत्र व्यवहार का अभाव, व्यवहार सम्बन्धी अवधान की कमी तकनीकी प्रयोग को बाधित करती है (Gedds, 2005)।

Buckenmeyer (2002) ने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि भौतिक संसाधन एवं सकारात्मक अभिवृत्ति का तकनीकी प्रयोग से सार्थक सम्बन्ध है जबकि Luckman (2001) ने उपलक्षित करने वाले कारकों को स्पष्ट किया है कि विश्वास की कमी, अस्पष्ट पहचान, स्व–असामर्थ्य, स्थैतिक बाधाएँ आदि कारक अध्यापकों के शिक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी प्रयोग पर नकारात्मक प्रभाव डालते।

उपर्युक्त शोध अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी प्रयोग करने हेतु प्रेरित करते हैं तथा सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तथा कुछ कारक ऐसे भी है जो शिक्षण कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त शिक्षक से सम्बन्धित कुछ व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं जो शिक्षकों के शिक्षण कार्य में प्रौद्योगिकी प्रयोग करने में महत्त्वपूर्णभूमिका निभा सकते हैं जैसे– लिंग, आयु, शिक्षण अनुभव, व्यावसायिक स्तर आदि। यद्यपि यह कारक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, किन्तु इनसे सम्बन्धित कोई अध्ययन शोधकर्त्री को उपलब्ध न हो सका। प्रस्तुत अध्ययन इसी कमी को पूरा करने का एक प्रयास है।

समस्या कथन

अध्ययन की समस्या को उपयुक्त शब्दों में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं –

"उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग का उनके व्यक्तिगत कारकों के सन्दर्भ में अध्ययन।"

क्रियात्मक परिभाषाएँ

उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षक

प्रस्तुत अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षकों से तात्पर्य लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों में अध्यापनरत् सभी अध्यापकों से है।

व्यक्तिगत कारक

प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत कारक से आशय उच्च शिक्षा स्तरीय अध्यापकों के लिंग, आयु, अध्यापन अनुभव तथा व्यावसायिक स्तर से है तथा इन कारकों को आधार मानकर उनके प्रौद्योगिकी प्रयोग को देखना है।

उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरूष शिक्षकों में, प्रौद्योगिकी के प्रयोग का तुल्नात्मक अध्ययन करना।

प्रौद्योगिकी प्रयोग

प्रस्तुत अध्ययन में प्रौद्योगिकी प्रयोग का तात्पर्य उच्च शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा अपने शिक्षण कार्य में अपनायी जा रही प्रौद्योगिकी के हार्ड वेयर पक्ष से है, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविजन आदि आते हैं।

उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन करना तथा उनकी तुलना करना।
2. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।
3. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।
4. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।
5. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।
6. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।

7. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।
8. उच्च शिक्षा स्तर के स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग का अध्ययन तथा उनकी तुलना करना।

उच्च शिक्षा स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों के शिक्षकों ने प्रौद्योगिकी के प्रयोग का तुल्नात्मक अध्ययन करना।
विभिन्न अनुभव स्तर स्थायी एवं अस्थायी

परिकल्पनाएँ

1. उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरूष शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
2. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
3. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
4. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
5. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
6. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
7. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।
8. उच्च शिक्षा स्तर के स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों के प्रौद्योगिकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।

परिसीमाएँ

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल लखनऊ शहर तक सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में केवल लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ व लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को लिया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं शिक्षा संकायों का ही अध्ययन किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन में केवल शिक्षकों से सम्बन्धित व्यक्तिगत कारकों यथा लिंग, आयु, शिक्षण–अनुभव व व्यावसायिक स्तर का ही अध्ययन किया गया है।
5. प्रस्तुत अध्ययन में केवल टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

अनुसंधान प्रारूप

प्रस्तुत अध्ययन का प्रारूप निम्नलिखित है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अनुसंधान में न्यादर्श के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के चुनिन्दा संकायों से विशिष्ट विभागों एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ अनुदान प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षणरत् शिक्षकों में से 310 शिक्षकों को चयनित कियां गया।

न्यादर्श चयन

प्रस्तुत अध्ययन में स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि से न्यादर्श का चयन किया गया है। चयनित/चुनिंदा एक शब्द का उपयोग करें न्यादर्श का विवरण नीचे सारणी 01 में दिया गया है।

तालिका 1: *अनुसंधान हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या*

संस्था / संकाय	लखनऊ विश्वविद्यालय (विभाग)		अनुदान प्राप्त महाविद्यालय		स्ववित्तपोषित महाविद्यालय	
	कुल संख्या	चयनित संख्या	कुल संख्या	चयनित संख्या	कुल संख्या	चयनित संख्या
कला	90	45	137	34	121	30
विज्ञान	71	35	78	38	47	24
वाणिज्य	20	10	49	25	21	11
शिक्षा	20	10	21	11	75	37
कुल	201	100	285	108	264	102

उपकरण

उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग मापन हेतु शोध द्वारा प्रौद्योगिक प्रयोग मापनी का स्वयं निर्माण किया गया। सर्वप्रथम उपकरण में 42 पदों का निर्माण किया गया। पद वैधता की प्रक्रिया के पश्चात् 38 पदों वाली मापनी निर्मित हुई। इस मापनी की विश्वसनीयता की गणना "'रूलन' तथा 'फ्लैनेगन'" सूत्र द्वारा की गई। इस मापनी का विश्वसनीयता गुणांक $R = 0.97$ प्राप्त हुआ, जो मापनी की उच्च विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है।

आँकड़ों का संग्रहण

प्रस्तुत अध्ययन में उच्च शिक्षा स्तरीय शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग के मापन हेतु शोधकर्त्री द्वारा निर्मित प्रौद्योगिक प्रयोग मापनी का प्रयोग किया गया।

आँकड़ों का संगठन

प्रौद्योगिक प्रयोग के स्तरों का निर्धारण निम्नलिखित रूप में किया गया है–

लिंग के आधार पर प्रौद्योगिकीय प्रयोग का स्तर

मापनी से प्राप्तांकों के आधार पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के प्रौद्योगिक प्रयोग का लिंग के अनुसार अलग–अलग स्तर ज्ञात किया गया।

आयु के आधार पर तकनीकी प्रयोग का स्तर

शिक्षकों की आयु के आधार पर इनके तीन वर्ग किये गए– (1) 35 और उससे कम आयु के अध्यापकों को निम्न आयु वर्ग, (2) 36 से 45 आयु के मध्य के शिक्षकों को औसत आयु वर्ग तथा (3) 46 और उससे अधिक आयु के अध्यापकों को उच्च आयु वर्ग में रखा गया। इन वर्गों के शिक्षकों का मापनी से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर इनके मध्य प्रौद्योगिक प्रयोग के स्तरों को ज्ञात किया गया।

शिक्षण अनुभव के आधार पर प्रौद्योगिकीय प्रयोग का स्तर

शिक्षकों के शिक्षण अनुभव के आधार पर इनके तीन वर्ग किये गए– (1) 10 वर्ष और उससे कम शिक्षण अनुभव वाले शिक्षकों को निम्न अनुभवी शिक्षक वर्ग, (2) 11 से 20 वर्ष के शिक्षण अनुभवी शिक्षकों को औसत अनुभवी शिक्षक वर्ग तथा (3) 21 और उससे अधिक शिक्षण अनुभवी शिक्षकों को उच्च अनुभवी शिक्षक वर्ग में रखा गया।

इन वर्गों के शिक्षकों का मापनी से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर इनके मध्य प्रौद्योगिक प्रयोग के स्तरों को ज्ञात किया गया।

व्यावसायिक स्तर के आधार पर प्रौद्योगिकीय प्रयोग का स्तर

शिक्षकों को व्यावसायिक स्तर के आधार पर दो वर्गों– (1) स्थायी तथा (2) अस्थायी में विभक्त किया गया। इन वर्गों के शिक्षकों का मापनी से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर इनके मध्य तकनीकी प्रयोग के स्तरों को ज्ञात किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण के लिए टी–परीक्षण तथा रेखाचित्र को प्रदर्शित करने के लिए मध्यमान का प्रयोग किया गया। सार्थकता के लिए 0.05 स्तर लिया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण

आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त परिणाम तालिका 2 तथा रेखाचित्र 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2: *अध्ययन के परिणाम*

क्रम सं0	व्यक्तिगत कारक	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	सार्थकता स्तर
1.	लिंग	महिला	143	136.78	29.24	1.04	P>0-05
		पुरुष	167	140.30	30.46		
2.	शिक्षकों की आयु	उच्च आयु वाले शिक्षक	98	138.22	33.61	0.22	P>0-05
		निम्न आयु वाले शिक्षक	123	137.31	27.99		
		उच्च आयु वाले शिक्षक	98	138.22	33.61	0.42	P>0-05
		औसत आयु वाले शिक्षक	89	140.12	28.01		
		औसत आयु वाले शिक्षक	89	140.12	28.01	0.73	P>0-05
		निम्न आयु वाले शिक्षक	123	137.31	27.99		
3.	शिक्षण अनुभव	उच्च अनुभवी शिक्षक	66	136.87	36.31	0.23	P>0-05
		निम्न अनुभवी शिक्षक	169	135.74	28.96		
		उच्च अनुभवी शिक्षक	66	136.87	36.31	1.69	P>0-05
		औसत अनुभवी शिक्षक	75	145.78	23.99		
		औसत अनुभवी शिक्षक	75	145.78	23.99	2.82	P<0-05*
		निम्न अनुभवी शिक्षक	169	135.74	28.96		
4.	व्यावसायिक स्तर	स्थायी शिक्षक	205	140.48	30.47	1.76	P>0-05
		अस्थायी शिक्षक	105	134.35	28.18		

* 0.05 स्तर पर सार्थक

उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षकों के व्यक्तिगत कारकों के विभिन्न समूहों से सम्बन्धित शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में अन्तर की सार्थकता

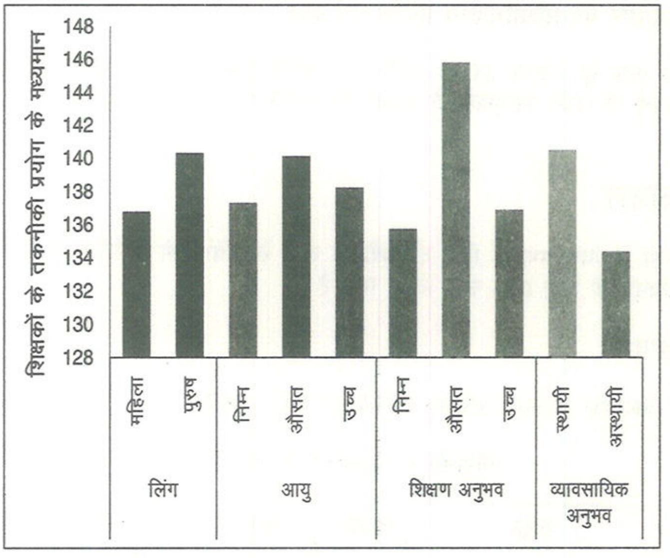

रेखाचित्र 1: *स्तंभ आरेख*

उपर्युक्त तालिका (2) के लिंग कारक सम्बन्धी आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि महिला तथा पुरुष शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमान क्रमशः 136.78 एवं 140.30 और मानक विचलन क्रमशः 29.24 एवं 30.46 है। इन दोनों समूहों के प्रौद्योगिक प्रयोग के अन्तर का टी–मूल्य 1.04 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरुष शिक्षकों का प्रयोग एक–दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है, अर्थात् दोनों का तकनीकी प्रयोग एक समान है।

शिक्षकों की आयु कारक सम्बन्धी आँकड़ों से स्पष्ट है कि उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत तथा औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमान क्रमशः 138.22 एवं 137.31, 138.22 एवं 140.12 तथा 140.12 एवं 137.31 हैं तथा मानक विचलन क्रमशः 33.61 एवं 27.99, 33.61 एवं 28.01 तथा 28.01 एवं 27.99 हैं। इन तीनों समूहों के तकनीकी प्रयोग के अन्तर का टी–मूल्य 0.22, 0.42 एवं 0.73 है जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। स्पष्ट है कि, उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत तथा औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक–दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है, अर्थात् तीनों समूह आयु वर्ग के शिक्षक एक समान तकनीकी प्रयोग करने वाले हैं।

शिक्षकों के शिक्षण अनुभव कारक के विभिन्न समूहों से सम्बन्धित आँकड़े बताते हैं कि उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत तथा औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमान क्रमशः 136.87 एवं 135.74, 136.87 एवं 145.78 तथा 145.78 एवं 135.74 हैं तथा मानक विचलन क्रमशः 36.31 एवं 28.96, 36.31 एवं 23.99 तथा 23.99 तथा 28.96 हैं। इन तीनों समूहों के तकनीकी प्रयोग के अन्तर का टी–मूल्य क्रमशः 0.23, 1.69 एवं 2.82 है। उच्च एवं निम्न तथा उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों का टी–मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च एवं निम्न तथा उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक–दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है, अर्थात् वे एक समान तकनीकी प्रयोग करने वाले हैं। जबकि औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग का टी–मूल्य 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः औसत अनुभवी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग निम्न अनुभवी शिक्षकों की अपेक्षा अधिक है, अर्थात् दोनों का तकनीकी प्रयोग सार्थक रूप से भिन्न है।

शिक्षकों के व्यावसायिक स्तर कारक के समूह सम्बन्धित आँकड़े बताते हैं कि स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमान क्रमशः 140.48 एवं 134.35 तथा मानक विचलन क्रमशः 30.47 एवं 28.18 हैं इन समूहों के तकनीकी प्रयोग के अन्तर का टी–मूल्य 1.76 है। जो 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक–दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है।

तालिका–2 तथा रेखाचित्र–1 में प्रदर्शित लिंग कारक से सम्बन्धित शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमानों के आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिला एवं पुरूष शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक समान है। इसका कारण यह हो सकता है कि वर्तमान में महिलाओं की तकनीकी के प्रति रूचि उत्पन्न हो रही है और वे स्व–प्रेरित होकर अपने शिक्षण कार्य में तकनीकी प्रयोग कर रही है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में नवीन प्रयोगों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति तथा अपने ज्ञान व कौशल के विकास के प्रति अधिक सचेष्टता से भी वे तकनीकी प्रयोग के लिए प्रेरित होकर पुरूष शिक्षकों से तकनीकी प्रयोग में पीछे नहीं हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम Gressard एवं Loyd (1986) तथा Cavas, Cavas, Karaoglan एवं Kisla (2009) के परिणाम के अनुरूप हैं जिसमें लिंग (महिला एवं पुरूष) के आधार पर प्रौद्योगिक प्रयोग के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई भी सार्थक अन्तर देखने को नहीं मिला है।

Dupagne एवं Krendal (1992) के परिणाम प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम के विपरीत हैं, जहाँ पुरूष शिक्षकों की महिला शिक्षकों की अपेक्षा कम्प्यूटर के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति है।

इसी प्रकार आयु कारक से सम्बन्धित शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग के मध्यमानों के आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत तथा औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक–दूसरे के समान है। सम्भवतः उच्च आयु वर्ग के शिक्षकों का व्यवसाय की उच्चतम स्थिति में होने से, प्रशासनिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहने से ये अपने शिक्षण के प्रति उदासीन हो जाते हैं। जबकि, निम्न आयु वर्ग के शिक्षक नवीन उत्साह, नवाचार एवं कार्य करने की इच्छा से अभिप्रेरित होकर, तकनीकी संचालन का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान होना एवं अपने शिक्षण को प्रभावी एवं रूचिपूर्ण बनाने के कारण ये तकनीकी प्रयोग में अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से पीछे नहीं है। इसी तरह, औसत आयु वर्ग के शिक्षक अपनी पदोन्नति हेतु, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए नवीन तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके तथा अपने शिक्षण को रोचक, प्रभावी, सुगम बनाने के लिए तकनीकी प्रयोग करते हैं।

पुनः, संस्थानों में तकनीकी उपकरणों की समान उपलब्धता, समान कार्यक्रमों में सभी शिक्षकों की समान संलग्नता भी तीनों आयु वर्गों के द्वारा एक समान तकनीकी प्रयोग का कारण हो सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम Albirini (2006) के परिणामानुरूप हैं जहाँ ICT (Information & Communication Technology: ICT) के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति और आयु में सार्थक सम्बन्ध नहीं था। Jegede (2009) के अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण में तकनीकी प्रयोग के साथ उनकी आयु का कोई सार्थक सम्बन्ध नही था किन्तु इस अध्ययन के Venkatesh एवं Morris (2000) तथा Henry (2009) के परिणाम के विपरीत हैं, जिसमें निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों की नई तकनीकी के प्रति अभिवृत्ति उच्च आयु वर्ग के शिक्षकों की अपेक्षा अधिक है।

तालिका–2 एवं रेखाचित्र–1 में दिखाए गए शिक्षण अनुभव कारक से सम्बन्धित आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उच्च एवं निम्न तथा उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सम्भवतः उच्च अनुभवी शिक्षकों का व्यवसाय की उच्चतम् स्थिति में होने के कारण इनके दायित्वों में वृद्धि, भिन्न प्राथमिकताएं जैसे–शिक्षणेत, शोध कार्य आदि में अधिक संलग्नता एवं वरिष्ठ होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में अधिक भागीदारी होने से इनके पास समय की कमी होती है। इनमें आयु वृद्धि होने से ऊर्जा का ह्रास तथा नवीन तकनीकी सीखने के प्रति ये उदासीन भी हो जाते हैं जबकि, निम्न अनुभवी शिक्षकों का नये होने के कारण शिक्षण कार्य में अधिक व्यस्त रहना, नवीन तकनीकी प्रयोग के अधिक समय व अवसर न मिलना, समयानुसार अभिप्रेरणा न मिलना, सेवारत् प्रशिक्षण कार्यशाला एवं संगोष्ठी में जाने के कम अवसर मिलना, इनका व्यवसाय में स्थायित्व को अधिक वरीयता देना तथा कम अनुभव के कारण अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना भी तकनीकी प्रयोग कम करने के कारण हैं। इनको शिक्षण कार्य का कम अनुभव होने से ये अपना अधिक समय विषयवस्तु के आधिपत्य एवं सम्प्रेषण में व्यतीत करते हैं।

औसत अनुभवी शिक्षकों का भविष्य में पदोन्नति, उच्च प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, अधिक ऊर्जा से अभिप्रेरित होना, व्यावसायिक उन्नति एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण हेतु सेवारत् प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि में भागीदारी लेना तथा अधिक समय से शिक्षण कार्य करने के कारण अपने शिक्षण में प्रौद्योगिक प्रयोग करने के अपेक्षाकृत अधिक अवसर व समय मिलने से ये निरन्तर तकनीकी प्रयोग के अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं। इन्हें भविष्य में पदोन्नति की प्राप्ति, उच्च प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, उपयुक्त संसाधनों को प्राप्त करने के तरीकों का ज्ञान भी होता है।

इन्हीं कारणों से उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक समान है जबकि, औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षक एक समान तकनीकी प्रयोग नहीं कर रहे हैं अर्थात् औसत अनुभवी, निम्न अनुभवी शिक्षकों से अधिक तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं।

Al-Alwani (2005) एवं Becta (2004) के अनुसार भी समय सीमा शिक्षक के शिक्षण में ICT प्रयोग में बाधा प्रस्तुत करती है।

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम Fowler (2008) एवं National Center for Education Statistics (2000) के परिणाम के अनुरूप हैं जिसमें कम अनुभवी शिक्षक, अधिक अनुभवी शिक्षकों की अपेक्षा कम तकनीकी प्रयोग करते हैं। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम Byrom एवं Bingham (1998) के परिणाम के विपरीत हैं, जिसमें निम्न अनुभवी शिक्षक तकनीकी अधिक प्रयोग करते हैं।

इसी क्रम में व्यावसायिक स्तर कारक के आँकड़ों से स्पष्ट है कि स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग एक समान है। सम्भावना यह है कि स्थायी शिक्षकों का स्थायी पद पर होना, व्यवसाय से निष्कासन का भय न होना, तकनीकी प्रयोग के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति, शिक्षणेत कार्यों में अतिव्यस्तता आदि कारणों से ये तकनीकी प्रयोग के प्रति कम रूचि लेते हैं। इसी तरह, अस्थायी शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नति में अधिक समय देना, इनको तकनीकी प्रशिक्षण के कम अवसर व अवकाश की अनुपलब्धता, सहयोग न मिलना, कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता न होने से इनका प्रौद्योगिक प्रयोग स्थायी शिक्षकों के समान ही रहता है।

इसके अतिरिक्त दोनों स्तर के शिक्षकों को संस्थान से समान कार्य वातावरण मिलना तथा औसत स्तर तक प्रौद्योगिक संसाधनों की प्राप्ति भी एक समान प्रौद्योगिक प्रयोग के सम्भावित कारण हो सकते हैं।

परिणाम

उपर्युक्त शोध अध्ययन के आधार पर इस शोधकर्त्री ने निम्नलिखित परिणामों/निष्कर्ष निकाले।

1. उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरुष शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
2. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
3. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
4. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
5. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
6. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$
7. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर है। $(P > 0.05)$
8. उच्च शिक्षा स्तर के स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों के प्रौद्योगिक प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है। $(P > 0.05)$

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों से अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

1. उच्च शिक्षा स्तर के महिला एवं पुरूष शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न, उच्च एवं औसत तथा औसत एव निम्न आयु वर्ग के शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. उच्च शिक्षा स्तर के उच्च एवं निम्न तथा उच्च एवं औसत अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में सार्थक अन्तर नहीं है।
4. उच्च शिक्षा स्तर के औसत एवं निम्न अनुभवी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है तथा औसत अनुभवी शिक्षक निम्न अनुभवी शिक्षकों की अपेक्षा अधिक तकनीकी प्रयोग करने वाले हैं।
5. उच्च शिक्षा स्तर के स्थायी एवं अस्थायी शिक्षकों के तकनीकी प्रयोग में सार्थक अन्तर है।

सुझाव

कम अनुभवी शिक्षकों का तकनीकी प्रयोग बढ़ाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं–

1. संस्थान की ओर से शिक्षको को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाय जिसमें वे विभिन्न प्रौद्योगिक उपकरणों का प्रयोग कर सकें।
2. शिक्षकों को सन्तुलित एवं योग्यतानुसार कार्यभार दिया जाए।
3. शिक्षकों के शिक्षणेत कार्यों में कमी की जाए।
4. इन्हें विषयवस्तु को तकनीकी द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अभिप्रेरित किया जाए।
5. इनको सेवारत् प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि में सम्मिलित होने के उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएं।

सन्दर्भ सूची

अल–अलवानी, ए (2005) 'बैरीयर्स टू इन्टग्रेटिंग इन्फारमेशन टेक्नालोजी इन सऊदी अरब साइंस एजूकेशन, डॉक्टोरल डिजरटेशन', द यूनीवर्सिट ऑफ कनसास, इन के.ए. बींगीमल्स (2009) 'बैरीयर्स टू द सक्सेसफुल, इन्टीग्रेशन आफ आई.सी.टी. इन टीचिंग एण्ड लर्निम इनवायरमेण्ट : ए रिव्यू आफ द लिटरेचर', इयूरसीया जनरल आफ मैथमेटिक्स, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एजूकेशन, 5(3)239, रिट्राइब्ड : दिसम्बर–27, 2011 फ्रॉम Eurasia_v5 n3_Bingimlas.

अलबरीनी, ए (2006) 'टीचर्स एटीट्यूस टूवार्ड इनफारमशन एण्ड कम्यूनीकेशन टेक्नालॉजीस', जनरल आफ कम्प्यूटर एण्ड एजूकेशन–47, 373–398, इन एम. अफसारी, के.ए. बेकर, डब्ल्यू.एस. लॉयन, बी.ए. समाह एण्ड एफ.एस. फोर्ड (2009) 'फैक्टर्स एफेक्टींग टीचर्स यूज ऑफ इनफारमेशन एण्ड क्म्यूटी कम्यूनीकेशन टेक्नालॉजी', इनटरनेशनल जनरल ऑफ इनसट्रक्सन, 2(1)80, रिट्राइब्ड : दिसम्बर–27, 2011, फ्रॉम http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2009_1_ 5.pdf.

करलिंगर, एफ.एन. (2011) 'फाउण्डेशन ऑफ बेहैविरल रिसर्च', दिल्लीः सुरजीत पब्लिकेशन, पृ. 300, 378–394।

कपिल, एच.के. (1994–95) 'अनुसंधान विधियाँ' (अष्टम संस्करण), आगराः हर प्रसाद भार्गव।

कवास, बी., कवास, पी. क्राओगलन, बी., एण्ड किसला, टी. (2009) 'ए स्टडी ऑफ साइंस टीचर्स एटीट्यूडस टूवार्डस इनफारमेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन टेक्नालॉजीज इन एजूकेशन', द टरकीश ऑनलाइन जनरल ऑफ एजूकेशनल टेक्नालॉजी, 8(2)20–29, रिट्राइब्ड : जून 5, 2011, फ्रॉम http://www.tojet.net/ artic les/822.pdf.

गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता, ए. (2009) 'आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन', इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

गेड्स, जे.एम. (2005) 'रिलेन्सनशिप ऑफ एंटीटीयूड टूवार्डस् ए बिहेवियर सब्जेक्टीव नार्म एण्ड परसीब्ड बिहेवीयरल सेन्ट्रल एज एनटेक्डेन्ट्स टू कम्प्यूटर यूज बाए इलमेन्टरी टीचर्स इन ए पब्लिक सकूल सेटींग', डिजरटेशन अब्सट्रैक्स इण्टरनेशनल (डी.ए.आई.), 66(1)149–ए।

गैरिट, एच. ई. (1989) 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग', नई दिल्ली : कल्याणी पब्लिशर्स।

ग्रेसार्ड, सी.पी., एण्ड लॉयड, बी.एच. (1986) 'वैलीडेसन स्टडीज, ऑफ ए न्यू कम्प्यूटर एटीट्यूड स्केल', एसोसीएशन फॉर एजूकेशनल डाटा सिस्टमस जनरल–18, 295–31, इन बी. कवास, पी. कवास, बी. क्राओगलन एण्ड टी. किसला (2009) 'ए स्टडी ऑफ साइंस टीचर्स एटीट्यूड टूवार्डस इनफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजीज इन एजूकेशन', द टरकीश ऑनलाइन जनरल ऑफ एजूकेशन टेक्नालॉजी, 8(2)22, रिट्राइब्ड : जून 5, 2011, फ्रॉम http://www.tojet.net/artic les/822.pdf.

जेगेड, पी.ओ. (2009) 'ऐज एण्ड आई. सी. टी.–रीलेटेड बीहेवीयर्स ऑफ हायर एजूकेशन इन नाइजीरिया', इशूज एन इनफारमींग साइंस एण्ड इनफारमेशन टेक्नालॉजी, वाल्यूम (6), रिट्राइब्ड : जून 6, 2011, फ्रॉम http://iisit.org/ Vol6/IISITv6p771-777Jegede 638.pdf.

नेशनल सेन्टर फॉर एजूकेशन स्टेटिस्टिक्स (2000) 'यू.एस., डिपार्टमेण्ट ऑफ एजूकेशन ऑफ एजूकेशन टीचर्स टूल्स फॉर द 21 फस्ट सेन्चुरी : ए रिपोर्ट ऑन टीचर्स यूज ऑफ टेक्नालॉजी', एन.ई.सी.एस. 2000–102 बाए इन एम. अफशारी, के.ए. बेकर, डब्ल्य.एस. लॉयन, बी.ए. समाह एण्ड एफ. एस. फोर्ड (2009) 'फैक्टर्स एफेक्टींग टीचर्स यूज ऑफ इनफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी', इन्टरनेशनल जनरल ऑफ इन्स्ट्रक्शन, 2(1)80, रिट्राइब्ड : दिसम्बर 27, 2011, फ्रॉम http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2009_1_ 5.pdf.

डेडे, सी. 'सिक्स चैलेन्ज फार एजूकेशनल टेक्नालॉजी', जार्ज मेशन यूनिवर्सिटी, रिट्राइब्ड : जून 5, 2011, फ्रॉम www.virtual.gmu.edu/pdf/ASCD.pdf.

डूपांगने, एम. एण्ड क्रेन्डल, के.ए. (1992) 'टीचर्स एटीट्यूडस् टूवार्डस कम्प्यूटरस : ए रीव्यू ऑफ लीटरेचर', जनरल ऑफ रीसर्च ऑन कम्प्यूटिंग इन एजूकेशन–24(2) 420–429, इन बी. कवास, पी. कवास, बी. क्राओगलन एण्ड टी. किसला (2009) 'ए स्टडी ऑफ साइंस टीचर्स एटीट्यूड टूवार्डस इनफारमेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजीज इन एजूकेशन', द टरकीश ऑनलाइन जनरल ऑफ एजूकेशन टेक्नालॉजी, 8(2)22, रिट्राइब्ड : जून 5, 2011, फ्रॉम http://www.tojet.net/ artic les/८22.pdf.

फावलर, ई.एल. (2008) 'टीचर्स यूज एण्ड इन्टग्रेशन ऑफ टेक्नालॉजी इन अलबामा के–12 पब्लिक स्कूल क्लासरूम : इन्फ्लूयन्स एण्ड बैरीयर्स', डी.ए.आई., 68(7) 2907–ए।

बाएरम, ई. एण्ड बींघम, एम. (1998) 'फैक्टर्स दैट ऐफेक्ट द इफेक्टीव यूज ऑफ टेक्नालॉजी फॉर टीचिंग एण्ड लर्निंग : लेसन्स लरण्ड फरॉम द एस.ई.आई.आर.–टी.ई.सी. इन्टेन्सीव साइट स्कूल्स' (ऑन–लाइन), रिट्राइब्ड अप्रैल 27, 2007 फ्रॉम http://www.serve.org/seirtec/publications/ lessons.html. इन बी.सी. हॉल एण्ड के.ई. मार्टिन (2008) 'रिलेसनशिप अमांग कम्प्यूटर सेल्फ–एफेकेसी, प्रोफेशनल डेवलपमेण्ट, टीचिंग एक्सपीरियन्स एण्ड टेक्नालॉजी इन्टेग्रेशन ऑफ टीचर्स', पृ.–9, रिट्राइब्ड : जून 11, 2010, फ्रॉम rave.ohiolink.edu/ etdc/view?acc_num=ucin1211466285.

बेक्टा (ब्रिटीश एजूकेशनल कम्यूनिकेशन एण्ड टेक्नालॉजी एजेन्सी–2004) 'ए रिव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर ऑन बैरीयर्स टू द अपटेक ऑफ आई.सी.टी. बाए टीचर्स', रिट्राइब्ड अगस्त 13, 2008 फॉम http://www.becta.org.uk इन के.ए. बींगीमल्स (2009) 'बैरीयर्स टू द सक्सेसफुल, इन्टीग्रेशन आफ आई.सी. टी. इन टीचिंग एण्ड लर्निंग इनवायरमेण्ट : ए रिव्यू आफ द लिटरेचर', इयूरसीया जनरल आफ मैथमेटिक्स, साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी एजूकेशन, 5(3)239, रिट्राइब्ड : दिसम्बर 27, 2011, फ्रॉम Eurasia_v^5 n^3_Bingimlas.

बुकनमेयर, जे.ए. (2002) 'कन्डीशन्स इन्फ्लूएसींग द एडाप्सन ऑफ सेलेक्टेड टेक्नालॉजी बाई हाईस्कूल टीचर्स इन ए सबअरबन डिस्ट्रिक्ट', डी.ए.आई. 62(10)3356–ए।

बेस्ट, जे.डब्ल्यू. एण्ड कहन, जे.वी. (2003) 'रिसर्च इन एजूकेशन' (7वेन्थ एडीसन), नई दिल्ली : प्रिन्टाईस आल ऑफ इण्डिया।

राबिन्सन, डब्ल्यू.ए. (2005) 'मोटीवेटींग एण्ड इन्डीबीटीग फैक्टर्स इन्फ्लूएन्स हायर एजूकेशन फैकल्टी पारटीसिपेसन इन ऑनलाइन लर्निंग एट ए मीडवेस्टर्न यूनीवर्सिटी', डिजरटेसन एबस्ट्रेक्टस इन्टरनेशनल 66(6) 129–ए।

लुकमैन, ए.एल. (2001) 'फैक्टर्स एफ्क्टींग सेकेण्डरी साइंस टीचर्स एप्रेजल एण्ड एडप्टेसन', डी.ए.आई., 62(10)3357–ए।

वेंकटेश, एन. (1996) 'एजूकेशनल टेक्नालॉजी', नई दिल्ली : ए.पी.एच. पब्लिशिंग कार्पोरेशन।

वेंकटेश, बी., एण्ड मॉरिस, एम.जी. (2000) 'वाए डोन्ट मेन इवर स्टॉप टू आस्क फॉर डायरेक्सन? जेंडर, सोशल इन्फ्लूएन्स एण्ड देयर रोल इन टेक्नालॉजी एक्सेप्टेंस एण्ड यूजेस वीहैवियर', एम.आई.एस. क्वाटरली एन एम. आफसारी, के.ए. बेकर, डब्ल्यू.एस. लॉयन, बी.ए. समाह एण्ड एफ. एस. फोर्ड (2009) 'फैक्टर्स एफक्टींग टीचर्स जूय ऑफ इनफारमेशन एण्ड कम्प्यूनिकेशन टेक्नालॉजी', 2(1)80, रिट्राइब्ड : दिसम्बर 27, 2011, फ्रॉम http://www.e-iji.net/dosyalar/ iji_2009_1_ 5.pdf.

श्रीवास्तव, ए.पी. (1991) 'एजूकेशनल टेक्नालॉजी फॉर मास मीडिया डेवलपमेण्ट', इलाहाबाद : चुघ पब्लिकेशन।

सम्पथ, के., पनीरसेलवम, ए. एण्ड सन्थानम, एस. (1998) 'इन्ट्रोडक्शन टू एजूकेशन टेक्नालॉजी' (फोर्थ रिवाइज्ड एडिशन), नई दिल्ली : स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा.लि.।

हेनरी, ए.एम., (2009) 'द रिलेशनशिप ऑफ ऐज, जेण्डर एण्ड पर्सनॉलिटी स्टायल वीध द लेवल ऑफ टेक्नालॉजी इम्प्लीकेशन ऐट द यूनिवर्सिटी लेवल', डी.ए.आई, 69(9)3515–ए।

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 39-47.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा का बदलता स्वरूप

मीना
शोधार्थी (SRF), शिक्षा विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर
ई–मेल : meenayadavjp@gmail.com

कल्पना पारीक
शोध निर्देशिका, राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर तथा सहायक प्रोफेसर,
श्री स्वरूप गोविन्द पारीक स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय,
जयपुर
ई–मेल: drkalpanapareek@gmail.com

सारांश: *मानव के विकास का यदि कोई सर्वाधिक सशक्त साधन है तो शिक्षा किसी उत्पाद का नाम नही अपित एक संपूर्ण प्रक्रिया है। प्रायः लोग कम या संपत्ति को विकास का सूचक मानते है जो एक मिथ्या अवधारणा है। किसी राष्ट्र को स्तर उसक शिक्षा के स्तर से मापा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के साक्षरता दर 200% से भी कम थी जो यद्यपि आज 70% से अधिक हो चुकी है परन्तु शिक्षा के स्तर में अभी कोई सार्थक अन्तर सही आया है परन्तु अच्छी बात यह है कि आज के युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी बड़ी तीव्रता से गतिशील है जिसका उपयोग शिक्षा के प्रचार प्रसार व इसकी गुणवत्ता बढ़ाने में सार्थक रूप से किया जा सकता है। कुछ संस्थाएं इसका प्रयोग कक्षा अध्यापन तथा अन्य रूपों में संतोष जनक रूप से कर रही हैं।*

इस शोध पत्र में सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिक की शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता को उजागर किया गया है। बताया गया है कि किस भांति यह अध्यापक के लिए, अधिगम सरल व सक्षम बनाने के लिए और अन्ततोगत्वा समाज के विकास में उपयोगी हो सकती है। आज के युग में हमारे पास सर्वाधिक कुछ नवीन चुनौतियो हैं जिनका समाधान प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सरलता से किया जा सकता है। और किया भी जारहा है। जैसे किस प्रकार कम्प्युटर, ई मेल, ई–गवर्नेस, ई–कामर्स, ई–एजुकेशन और न जाने कितनी प्रणालियां है जो शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन को गति दे रही है जिससे समय और धन दोनो की बचत होती है। इन सबसे परे आज अध्यापन में भी इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा एक भावी अध्यापक के लिए इन सभी अनुप्रयोगों को जानने व प्रयोग में लाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

सम्पूर्ण विश्व में मानव विकास को ही विकास का पर्याय माना जाता है। केवल आय में बढोतरी से व्यक्ति या समाज का विकास सुनिश्चित नहीं होता। प्रायः ऐसा देखा गया है कि आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्रों में भी विकास का सूचक वहां की जनसंख्या में परिलक्षित नहीं होता अर्थात प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी के बावजूद निरक्षरता, कुपोषण, बीमारियां, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, भ्रूण हत्या, पुरूष व महिलाओं में असमानता तथा ऐसी ही अन्य समस्याएं ज्यो–की–त्यों बनी रहती है, ऐसा विकास एकतरफा विकास ही कहा जाएगा। अतः किसी क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास वहां के मानव संसाधनों के विकास में परिलक्षित होना आवश्यक है। मानव विकास का अभिप्राय उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तीकरण, विकल्पों के विस्तार व अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया से है। इसके अतिरिक्त अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, दासता तथा किसी भी अन्य प्रकार की दुर्बलता से मुक्ति ही मानव विकास की कुंजी है। ज्ञान व विकास का माध्यम शिक्षा हैं, शिक्षा का स्तर मानव विकास के स्तर को परिलक्षित करता है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है तथा किसी समाज, राज्य व राष्ट्र के विकास का पैमाना भी है। किसी भी देश का वर्तमान एवं भविष्य उस देश में रहने वाले लोगों की शिक्षा–दीक्षा पर ही निर्भर करता है। आम तौर पर भारत जैसे विशाल देश में जहां पर विभिन्न धर्मो के अन्तर्गत अनेक जातियों के लोग रहते हैं, जिनका खान–पान, वेश–भूषा, भाषा, क्षेत्र सब अलग–अलग हैं। जो विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा तथा क्षेत्रफल के मामले में सातवां स्थान रखता है, इतने बड़े देश में किसी भी योजना का क्रियान्वयन करने के लिए पहले एक सुनिश्चित योजना बनाकर ही उसको सफल बनाया जा सकता है। प्राणियों की श्रेणी में से मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने का श्रेय शिक्षा को दिया जाता है। शिक्षा जीवन की आवश्यकता है, मनुष्य का जीवन एक खाली कैनवास की तरह है जिस पर शिक्षा रंगो का मेल बढ़ाती है। शिक्षा ही समाज का अस्तित्व निर्धारित करती है। बालक जब जन्म लेता है तो उसका लालन–पालन परिवार व माता के संरक्षण में होता है, पर जब वह बडा होता है और इस धरती के अस्तित्व को पहचानने लगता है तब शिक्षा रूपी माता की ऊंगली पकड़कर ही वह हर क्षेत्र से परिचित होता है। शिक्षा बालक या व्यक्ति को अतिरिक्त कुछ न देकर उसमें जो कुछ प्रकृति प्रदत्त क्षमतायें, योग्यताऐं तथा अभिवृत्तियाँ हैं उनको आलोकित कर उनका परिमार्जन करती है। महात्मा गांधी शिक्षा की इस विशेषता को आधार मानकर शिक्षा की परिभाषा देते है कि *"शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रकटीकरण या अभिव्यक्ति है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में है।"*

जन्म के समय बालक असामाजिक एवं असहाय होता है। उसकी न कोई संस्कृति होती है, न कोई आदर्श, किन्तु जैसे–जैसे वह बडा होता जाता है, वह सामाजिक प्राणी बनता जाता है। उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की

सम्पूर्ति भोजन द्वारा हो जाती है, किन्तु उसे सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी बनाने में शिक्षा की महती भूमिका होती है। शिक्षा व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोधन और रूपांतरीकरण करके उसे समाज का एक सक्रिय सदस्य बनाती है। जिससे वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर सकता है।

> *''शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपने जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला–कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बना सकता है।''*

रविन्दनाथ टैगोर के अनुसार, *''शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह सत्य की खोज कर सकें, उसके साथ एक रूप हो सकें और उसे अभिव्यक्त कर सकें।''*

महात्मा गांधी के अनुसार, *''शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है।''*

अरविन्दु के अनुसार – *''बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक अंतरंग और सजीव है उसको अभिव्यक्त करना होना चाहिए। वह उसके अंतरंग गुण और शक्ति का सांचा है।''*

स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार – *''जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति तथा अविद्या आदि दोषों को छोडकर सदैव आनन्दित हो सके, वह शिक्षा है।''*

प्राचीनकाल में शिक्षा गुरूकुल में गुरू के सानिध्य में रह कर वहीं पूर्ण की जाती थी, धीरे–धीरे इस प्रणाली में परिवर्तन होता गया तथा गुरू के साथ–साथ पुस्तकों का स्थान भी महत्वपूर्ण होता गया। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक सम्पूर्ण विश्व औधोगिक क्रांति से संचालित होता रहा परन्तु इसके बाद से विश्व–व्यवस्था में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।

भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगो की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुल निर्माण के इस महत्त्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी, जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन–सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।

समय का चक्र निरन्तर गतिमान है। युग बीतता है, नया युग आता है। प्रत्येक युग में व्यक्ति और समाज अपनी प्रथाओं, अपने रीति–रिवाजो, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीकर फिर नये युग की बाट जोहता है, नये युग की प्रतीक्षा करता है।

आज की शिक्षा में शिक्षक अपने को केवल पुस्तकीय ज्ञान या पाठयक्रम तक ही सीमित नहीं रख सकता । शिक्षण प्रक्रिया में आज ऐसी नव शिक्षक पीढ़ी का नव निर्माण करना आवश्यक है जिसका न केवल अपने विषय पर एकाधिकार हो, बल्कि वह विद्यार्थियो की सभी बौद्धिक जिज्ञासा को परिपूर्ण करता हो, उसे अपने शिक्षण में दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सेटेलाइट, ई–मेल, फैक्स आदि आधुनिक सूचना माध्यमों से अपने को परिपूर्ण रखें तथा शिक्षणाभ्यास में भी नये–नये सूचना के संसाधनो से अपने को परिपूर्ण रखें ।

किसी देश के विकास एवं कल्याण में शिक्षा का निश्चित ही अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक चीनी कहावत है – ''यदि एक वर्ष की योजना है तो अनाज बोओ, दस वर्ष की योजना है तो पेड़ लगाओ और सौ वर्ष की योजना है तो मनुष्य बनाओ' हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का निर्माण शिक्षा से ही होता है क्योंकि शिक्षा मनुष्य में अपेक्षित अभिवृतियों का निर्माण करती है। अतः हम व्यक्ति को जिस प्रकार की शिक्षा, वातावरण प्रदान करते हैं उसका व्यक्तित्व उसी के अनुरूप निर्मित होगा। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परम्परा आदि सांस्कृतिक सम्पति को इस प्रकार हस्तांतरित करता है कि उनके ह्दय में देशप्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्ज्वलित हो जाती है।

शिक्षा के प्रारूप में इसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया गया है। इनमें साक्षरता दर, महिला –पुरूषों की साक्षरता में असमानता, प्राथमिक शिक्षा में बालक–बालिकाओं का दाखिला अनुपात, बालक–बालिकाओं के विद्यालय छोडने

का प्रतिशत, कुल साक्षरों का शैक्षणिक स्तर, उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी व ग्रामीण छात्रों की शिक्षा स्तर में असमानता, शिक्षण सुविधाएं तथा अध्यापक–विद्यार्थी अनुपात आदि सम्मिलित किए गए है।

साक्षरता दर – धरातलीय विश्लेषण

वर्ष 2001 के आंकडो के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 थी जो वर्ष 2011 में बढकर 74.04 प्रतिशत हो गई अर्थात जहां पहले दो – तिहाई से कम आबादी साक्षर थी वहीं अब लगभग तीन चौथाई आबादी साक्षर है। पहले साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 75.26 था और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 53.67 प्रतिशत, किंतु अब साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 82.14 और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 65.46 है अर्थात पिछले एक दशक में पुरूष साक्षरता में मात्र सात प्रतिशत बिंदु की वृद्धि हुई जबकि स्त्री साक्षरता में इस दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो उल्लेखनीय है।

तालिका 1: *भारत में पुरूष और महिला साक्षरता दर 1951–2011*

जनगणना वर्ष	7 + जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत			पुरूष – महिला अंतर
	पुरूष	महिलायें	व्यक्ति	
1951	24.2	8.9	18.3	18.3
1961	40.4	15.4	28.3	25.0
1971	46.0	22.0	34.4	24.0
1981	56.4	29.8	43.6	26.6
2001	75.3	53.7	64.8	21.6
2011	82.1	65.5	74.0	16.7

कुछ लोग इस सफलता का श्रेय सर्वशिक्षा अभियान को देते है जिसकी शुरूआत 2001–02 में प्राथमिक शिक्षा को लोक व्यापी बनाने के लिए की गई थी। परंतु इससे स्त्री साक्षरता की स्पष्ट स्थिति मालूम नहीं होती। विभिन्न राज्यों में स्त्री साक्षरता की स्थिति भिन्न–भिन्न है। स्त्री साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक 91.98 प्रतिशत है तथा दूसरे स्थान पर मिजोरम 89.4 प्रतिशत है। जिन राज्यों में स्त्री साक्षरता की स्थिति चिंताजनक है – वे है राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश, दोनों राज्यों में 2001–2011 की अवधि में कुल 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और दोनों ही राज्यों में महिला साक्षरता का प्रतिशत 60 से भी कम है। इस प्रकार की विषमताएं अनेक प्रकार की जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है। इससे समाज में शिक्षा का न्यून महत्व, महिलाओं का निम्न स्थान आदि तो उजागर होता ही है, साथ ही समाज के विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक विचारधारा तथा समाज में महिलाओं का सर्वांगीण विकास भी बाधित नजर आता है।

बचपन बचाओं आंदोलन ने नौ राज्यों के 33 जिलों और 146 ग्राम पंचायतों के 251 सरकारी विद्यालयों का अध्ययन किया जिसमें निम्नलिखित तथ्य सामने आए (टाइम्स ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 2011) :

- अभी भी 24 प्रतिशत बच्चे विद्यालय की पढाई बीच में ही छोड देते हैं। उत्तरप्रदेश में यह दर 30 प्रतिशत है जबकि बिहार में 25 प्रतिशत।
- 20 प्रतिशत विद्यालय गरीब बच्चों से भी प्रवेश शुल्क लेते है और 40 प्रतिशत विद्यालय शिक्षण सामग्री हेतु शुल्क लेते हैं, मात्र 33 प्रतिशत बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है।
- 37 प्रतिशत विद्यालय मात्र पाठय–पुस्तके उपलब्ध कराते है, परन्तु नोटबुक, पोशाक तथा बस्ता नहीं देते।
- यद्यपि मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को विद्यालय में कभी की भर्ती किया जा सकता है मगर 30 प्रतिशत विद्यालय ऐसी अनुमति नहीं देते।
- 16 प्रतिशत विद्यालयों के पास पीने के पानी की सुविधा नहीं है।
- 33 प्रतिशत विद्यालयों में लडकों और लडकियों के लिए अलग–अलग शौचालय नहीं है।

- 42 मिलियन विद्यालय बालको के लिए 1 मिलियन कक्षा–कक्ष तथा कई नये प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता है।
- मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को एक अप्रैल 2010 से लागू किया गया, परंतु वर्ष 2010–11 के दौरान दिल्ली राज्य में 9,789 बच्चों की विभिन्न विद्यालयों में भर्ती नहीं की। इसके अलावा जनवरी 2011 में 199 विद्यालयों ने नर्सरी में भर्ती हेतु आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र नहीं दिया। यद्यपि कानून में प्रावधान है कि प्रवेश के लिए किसी प्रकार की जांच–पड़ताल नहीं हो, मगर सैंकडो बच्चों को इस प्रक्रिया से गुजरना पडा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्षरता वृद्धि महज संख्या एवं मात्रा का सूचक है। इसमें गुणवत्ता का मानक नहीं है। 'प्रथम' नामक स्वयंसेवी संगठन ने पाया कि कक्षा पांच–छह उत्तीर्ण बच्चे भी पढ–लिख नहीं पाते और न ही साधारण जोड–घटा कर पाते है यानि, वे न्यूनतम अधिगम स्तर भी हासिल नहीं कर पाते।

उपर्युक्त सभी समस्याओं के लिए एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो चुटकियों में सारी समस्याओं का समाधान कर सके। शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन व इसे वैज्ञानिकता प्रदान के लिए हमें ऐसी पद्धति की व्यवस्था करनी होगी जो शिक्षा को सभी व्यक्तियों की देहरी तक ले जा सके और यह पद्धति है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षा में प्रयोग। निःसंदेह आज विद्यालयों में इस बात की महती आवश्यकता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से हम अपने आपको तैयार करें। यदि हमें कुछ कर दिखाना है तो हमें विज्ञान के साथ चलना होगा। कवि दुष्यन्त के शब्दों में–

कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता।
एक पत्थर तो तबीयत से उछालों यारो।।

हमें प्रयास का दामन नहीं छोड़ना है और यह संभव है – सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के प्रभाव से ही मानव पक्षी की तरह आकाश में उड़ता है तथा मछली की भांति अथाह सागर में तैरता है। सूचना व संचार के साधनों के माध्यम से सम्पूर्ण संसार एक परिवार की भांति नजर आता है अर्थात् सिमटता हुआ संसार दिखाई देता है। सूचना व संवेग वर्तमान युग में तीव्र गति से विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में प्रसारित हो रहे हैं। आज संचार के साधनों के माध्यम से सूचना पहुंचाना सरल और सुगम ही नहीं, अपितु समय और धन की बचत भी करता है। सूचनाओं का प्रसारण वृहद् स्तर पर करने के लिए इन बहुआयामी साधनों का प्रयोग किया जाता है। संचार के साधन – टेलीफोन, मोबाईल, ई–मेल, इन्टरनेट, कम्प्यूटर, टेली प्रिन्टर, दूरदर्शन इत्यादि साधनों से अभूतपूर्व क्रान्ति दृष्टिगत होती है। मोबाईल के द्वारा त्वरित गति से सूचनाओं का संचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आज *"कर लो दुनिया मुट्ठी में"*। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी विकास तथा उपयोग आज सभी कार्यालयों, विभागों और संस्थाओं में तीव्र गति हो रहा है।

विद्यालयी शिक्षा भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव से अछूती नहीं है। हजारों अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा (पत्राचार) पाठ्यक्रम निर्माण पाठयोजना, कक्षा शिक्षण, परीक्षा के प्रश्न–पत्र, अंक–तालिका, प्रमाण–पत्र, परिणाम इत्यादि क्षेत्रों में इन साधनों का प्रयोग बहुधा हो रहा है। विद्यालय शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नया अध्याय जोड़ा है। आज का विद्यालयी छात्र इन्टरनेट और ई–मेल के माध्यम से नित नूतन खगोलीय, भौगोलिक, वैज्ञानिक और सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है। आज शिक्षार्थी को सूचना व प्रौद्योगिकी के साधनों के माध्यम से शिक्षण अधिगम, प्रभावी सम्प्रेषण, और शिक्षा में नवाचारों से शीघ्रतिशीघ्र जानकारी उपलब्ध हो रही है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ई–मेल, ई–गवर्नेंस, ई–कामर्स, ई–एजूकेशन, मोबाइल और भी न जाने कितनी ऐसी प्रणालियाँ है जिन्होंने मनुष्य के जीवन को न केवल सुगम ही बनाया है अपितु श्रम शक्ति के समुचित व अधिकतम उपयोग का मार्ग भी प्रशस्त किया है। भूमण्डलीकरण और वैश्वीकरण के इस युग में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षा जगत पूर्णतः प्रभावित है। आज के बालक को वैज्ञानिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी के इन साधनों का समावेश और प्रयोग विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपेक्षित है।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी – अर्थ व परिभाषा

सूचना और संचार के साधनों से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे साधन (मशीने) जिनके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है।

"प्रौद्योगिकी शब्द आंग्लभाषा (अंग्रेजी) के टेक्नॉलोजी शब्द के समानार्थक है जो विशेष तकनीकी के द्वारा निर्मित साधन सूचनाओं और संवेगों को त्वरित रूप से संचारित करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले प्रयुक्त ये साधन आज सभी क्षेत्रों के आधार स्तम्भ बन चुके हैं।

सूचनाओं का प्रसारण द्रुत गति से करने के लिए संचार के साधनों का प्रयोग करना और शीघ्र प्रत्युतर व परिणाम प्रदान (प्राप्त) करना इनका प्रमुख कार्य है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन

जब मनुष्य ने आदिम अवस्था से विकसित हो कर अपने को आगे बढ़ाया तो उसे आवश्यकता पड़ी संचार की। प्रारम्भ में मनुष्य ने अपनी सुरक्षा हेतु समूहों में रहना प्रारम्भ किया। फिर इन समूहों ने मनुष्य के स्वभाव के अनुसार एक दूसरे से मित्रता की। यदि किसी समूह पर कोई संकट आता तो वह उसकी जानकारी दूसरे समूह को शोर मचाकर, ढोल–नगाड़े पीटकर या फिर रात्रि में अग्नि की मशालें जलाकर संकेत देते थे। फिर आगे की कड़ी में हरकारे आये जो भाग–भाग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना देते थे। इन हरकारों ने रूप बदला और दौर आया पशु–पक्षियों द्वारा संदेश पहुंचाने का। आगे विकास हुआ एक विकसित सूचना तन्त्र बना डाक व्यवस्था सामने आई लेकिन सैम्यूअल मोर्स ने तो **"मौर्स की (कुंजी)"** के द्वारा संदेशों के संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाना बाकायदा एक प्रणाली बनी। **मार्कोनी** ने इस सूचना प्रणाली में बेतार के तार से एक नया इतिहास रचा लेकिन किसे पता था कि **जे.एल. बेयर्ड** द्वारा बनाया गया वह अपरिष्कृत दूरदर्शन आगे एक तूफान लाने वाला है जो मनुष्य के रहने के तरीके को ही बदल डालेगा। उस पर पास्कल का गणना यन्त्र आगे जाकर कम्प्यूटर में बदलेगा। अमेरिका के उन फौजी इन्जीनियरों द्वारा विकसित कम्प्यूटरों से सूचना प्रेषण आगे जाकर इन्टरनेट (इन्टरनेशनल नैटवर्क) में बदल जायेगा।

अतः हम देखते है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के निम्न साधन हैं –

- **टेलीप्रिन्टर, फेक्स, फेसिमल**
- **टेलीविजन, रेडियो**
- **कम्प्यूटर**
- **इन्टरनेट**
- **ई–मेल**
- **मोबाइल, पेजर, वायरलेस सैट**
- **लैपटॉप, पामटॉप**
- **उपग्रह**
- राडार
- टेलीकॉन्फ्रेंसिंग

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की कार्यप्रणाली

उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा सूचनाएं त्वरित गति से विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचायी जा सकती है वह भी बिना किसी बाधा के। सूचना एवं संचार की कार्यप्रणाली को हम निम्न प्रकार समझ सकते है।

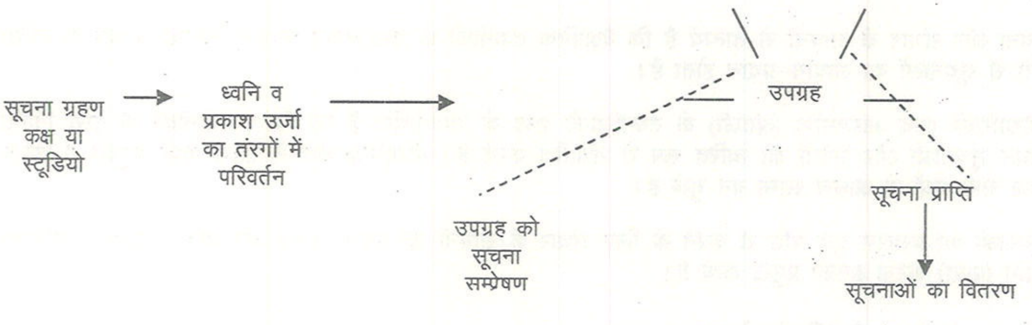

शिक्षा के क्षेत्र. में कम्प्यूटर व इंटरनेट ने ज्ञान एवं शिक्षा के एक स्वतंत्र बाजार को प्रस्तुत किया है जिससे शिक्षार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्ञानार्जन कर सकता है। इंटरनेट ने अधिगम प्रक्रिया को अत्यन्त सरलीकृत तथा सुविधाजनक रूप में प्रस्तुत किया है। ई–मेल की सहायता से सूचनाओं का आदान–प्रदान पलक झपकते ही होता है। एक अध्यापक अपने कक्षा–कक्ष में बैठ कर दुनिया के किसी भी देश के किसी भी विद्यालय में हो रहे शैक्षिक नवाचारों को प्राप्त कर उन्हें अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता हें कक्षा–कक्ष में वह दूरदर्शन रेडियों एवं इन्टरनेट द्वारा शिक्षा के नवीन परिवर्तनों की जानकारी दे सकता है। इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का एक रोचक व बहुआयामी कार्यक्रम है "रेडियों कॉन्फ्रेसिंग"। इसमें दिल्ली से प्रसारित कक्षा कार्यक्रम में अनेक बच्चे भाग ले सकते हैं। वे न केवल दर्शक या श्रोता की भूमिका में रहते है, बल्कि जिज्ञासा भी प्रकट कर सकते है यहाँ तक की एक दूसरे के विचारों का खंडन भी कर सकते है। दिल्ली में बैठा अध्यापक शुरूआत में विषय प्रवर्तन करके कुछ सवाल करता है। उपग्रह की सुविधा से बैंगलुरू का छात्र उसका उत्तर देता है। अन्ततः दिल्ली में कार्यक्रम का संचालन करने वाला अध्यापक जिज्ञासाओं का शमन करता है। यह सभी हॉटलाइन, वीडियो कान्फ्रेसिंग, इंटरनेट और उपग्रह सेवा में विद्यमान रहते है। इन सूचना व संप्रेषण तकनीक के साधनों की सहायता से शिक्षा का प्रचार व प्रसार अधिक सुगम व त्वरित गति से हो सकता है।

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के परिणाम आज शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक रूप से प्रभावशाली परिलक्षित होते हैं। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी को अति आवश्यक मानकर इसका विकास विभिन्न देशों में लगातार किया जा रहा है। जॉन लीथम का कथन है – **"शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व अधिगम में आधुनिक विधियों व प्रौद्योगिकी का क्रमबद्ध प्रयोग करना है। यह शिक्षक की परम्परागत तथा उभरती हुई भूमिकाओं का मेल करवाती है।"** बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के सारे जीवन और क्रियाकलाप में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना एवं बच्चे के मन, शरीर तथा आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से भी सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। **कोठारी आयोग (1966)** ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया – **"नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शिक्षा संस्थाओं को शिक्षण के स्थान पर अधिगम संस्थाओं में परिवर्तित कर सकता है।"**शिक्षण अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी की उपयोगिता निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है –

(1) शिक्षक के लिए उपयोगिता

सूचना एवं संप्रेषण संचार प्रौद्योगिकी का प्रभाव शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया पर पड़ता है। यह सीखने के सिद्धांतों के स्थान पर शिक्षण के सिद्धांतों पर अधिक महत्त्व देता है। कक्षा के सफल अध्यापक बनने के लिए सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी निम्नलिखित ढंग से उपयोगी सिद्ध होती है –

- शिक्षण–अधिगम में व्यक्तिगत–विभिन्नताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यूह रचनाओं (Stretagies) नई–नई शिक्षण–विधियों की जानकारी देती है, जिससे उस समस्या का समाधान आसान हो जाता है।
- यह शिक्षण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, जिससे तर्क–संगत जानकारी देने में अध्यापक को सुविधा होती है।
- दृश्य–श्रव्य सामग्री सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की देन है। जिससे इसका उपयोग सार्थक बन जाता है। अध्यापक इसकी सहायता से दूर–दराज बैठे विद्यार्थियों तक जानकारी पहुँचा सकता है। जैसे – पत्राचार पाठ्य–सामग्री, रेडियो, दूरदर्शन, दूरस्थ–सम्मेलन समीक्षा (Tele-Conferencing) दूरभाष आदि माध्यम से शिक्षा ग्रहण की जा सकती है।
- शिक्षण की संरचना तथा प्रकृति को समझने में सहायता करती है।
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होती है।
- यह शिक्षक की कार्य कुशलता में वृद्धि करती है।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से किसी संस्था में उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक उपयोग संभव है।
- विद्यार्थी के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करती है।
- विद्यार्थी की सृजनात्मक अनुभूति तथा मौलिक चिन्तन को बढ़ावा देती है।
- यह शिक्षकों को कई नए अनुसंधान–कार्यों के लिए मदद करती है।
- सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी अध्यापक के समय तथा उर्जा की बचत करती है।
- शिक्षण–प्रक्रिया को सरल तथा उपयोगी बनाती है।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में स्मृति स्तर से बोध स्तर और चिन्तन स्तर तक सभी स्तरों का प्रयोग होता है।
- बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से अधिक से अधिक छात्रों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है। जैसे– अभिक्रमित अध्यापन, सैटेलाइट द्वारा, पत्राचार द्वारा अध्ययन तथा अध्यापन आदि।
- सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी द्वारा विद्वानों के विचारों को मौलिक रूप में संचित किया जा सकता है तथा उनके विचारों को किसी भी समय सुनकर व देखकर अध्यापक लाभ उठा सकते हैं।
- सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से अध्यापक को विशिष्टीकरण में सहायता मिलती है तथा इससे अध्यापक को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से शिक्षण में गुणात्मक सुधार सम्भव है।
- यह पाठयोजना निर्माण से लेकर शिक्षण करने तक के सभी पहलुओं पर आई समस्याओं के निराकरण करने में सहायक है।

इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से शिक्षक की प्रबन्धक, निर्देशक और सलाहकार के रूप में भूमिका उभर कर सामने आएगी।

(2) सीखने के क्षेत्र में उपयोगिता

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी शिक्षण में प्रभाव लाकर सीखने की परिस्थितियों को सरल बनाने में सहायता करती है। सीखने की परिस्थितियों में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करती है–

- सीखने के लिए प्रेरणा देकर रूचि जागृत करने में।
- सीखी गई विषयवस्तु को स्थायी करने हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान करवाने में।

- इंटरनेट के द्वारा नवीन अनुसंधानों पर आधारित नवीन सूचनाओं की प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्ति में।
- कम्प्यूटर सहाय अधिगम द्वारा शिक्षार्थियों को अपनी गति के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करने में।
- सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साधनों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते समय शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि शिक्षार्थियों की रूचि विषयवस्तु पर बनी रहे। इस हेतु वे शिक्षण सामग्री को नवीनतम जानकारियों के साथ भाषा की रोचक शैली पर, चित्र, एनीमेशन एवं फिल्म के उपयोग से रूचि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं ताकि खेल–खेल में विद्यार्थी सीख सके।

(3) समाज के लिए उपयोगी

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के द्वारा शिक्षा का प्रसार घर–घर आसानी से किया जा सकता है। सीमित साधनों वाले देश में जन शिक्षा (Mass Education) के रूप में सूचना एंव संप्रेषण प्रौद्योगिकी बहुत सहायता करती है। आज जन–साधारण के पास रेडियों, ट्रांजिस्टर, टेपरिकॉर्डर, टी.वी., कम्प्यूटर आदि हैं। इन सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साधनों को शिक्षा के प्रचार–प्रसार में काम लिया जा सकता है। समाज के प्रत्येक भाग में इन साधनों के माध्यम से शिक्षक का, महान नेता का, संत का, समाज सुधारक का विचारपूर्ण भाषण पहुँचाया जा सकता है। सूचना एंव संप्रेषण प्रौद्योगिकी की सहायता से समाज के लिए उपयोगी ज्ञान का संचय भी आसानी से किया जा सकता हैं। अतः वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली प्रयोग किया जा रहा है तथा इसमें प्रगति के अनेक अवसर है।

निष्कर्ष

शिक्षा का स्तर व्यक्ति के विकास स्तर को तय करता है और यह सामाजिक बदलाव वैज्ञानिक विचारधारा लाने में सहायक है। बहुत सी सामाजिक समस्याओं जैसे– लिंगभेद, कुपोषण आदि का निदान एवं समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता तथा महिलाओं का सर्वांगीण विकास आदि शिक्षा के स्तर से निर्धारित होती है।

21वीं सदी में हमारे पास अगर नवीन उपलब्धियां है तो नवीन चुनौतियां भी, विसंगतियों के कई हल हैं तो कई नई विसंगतियां भी, समस्याओं से निपटने को अगर हम तैयार है तो जटिलतर समस्यायें भी मौजूद हैं। सबको शिक्षित करने की राह दुर्गम, कंटकाकीर्ण और दुस्तर जरूर है, परंतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ मुश्किल नहीं। आज विज्ञान की प्रगति अपने चरम पर है। ऐसा नहीं है कि आगे विकास ही नहीं हो सकता, जो बातें कल तक असंभव प्रतीत होती थी वह आज संभव ही नहीं अपितु आमजन की पहुँच में है। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। मनुष्य का मस्तिष्क कितना सोच सकता है यह उसकी पराकाष्ठा है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ई–मेल, ई–गर्वनेस, ई–कॉमर्स, ई–एजूकेशन, मोबाइल और भी न जाने कितनी ऐसी प्रणालियाँ हैं जिन्होंने मनुष्य के जीवन को न केवल सुगम ही बनाया है अपितु श्रम शक्ति के समुचित एवं अधिकतम उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। विद्यालयी शिक्षा में तो एक चमत्कारी परिवर्तन आया है। आज विद्यार्थियों को इस तकनीक को अपनाना एक आवश्यकता बन गई है या यों कहें की आज के इस प्रतियोगिता के दौर में जो छात्र इस तकनीक को नहीं अपनाते या जिन्हें वह वातावरण नहीं मिलता वे इस दौड़ में अपने को पीछे खड़ा पाते हैं। शिक्षा पर ध्यान देना आज की जरूरत है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराकर शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का युक्तियुक्त समाधान किया जा सकता है। संभव है कि प्रारंभिक स्तर पर इस नवीन तकनीक को अपनाने में कुछ विषमताएं आए परंतु उचित सहयोग और समन्वय से भविष्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

संदर्भ सूची

मासिक पत्रिका योजना, जुलाई 2011, अंक 7, जनगणना का दशकीय सफर, पृ.सं. 7,29–31

मासिक पत्रिका, कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2010, अंक 11, शिक्षा मानव विकास का आधार स्तंभ, पृ.सं. 14–16

मिश्रा, महेन्द्र कुमार "शैक्षिक तथा उदीयमान भारतीय समाज", पृ.सं. 51,102

लाल, बसन्त कुमार "समकालीन भारतीय दर्शन", पृ.सं. 162,166,192

शिक्षण पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर, फरवरी 2006, खण्ड 44 से 45, अंक 3–4, पृ.सं. 40–42

शिक्षण पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर, अक्टूबर, 2005 से मार्च 2006, खण्ड 46–47, अंक – 3–4, पृ.सं. 19,20,34,35

शर्मा. संदीप तथा पारीक. अल्का "शैक्षिक तकनीकी एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन", शिक्षा प्रकाषन जयपुर. पृ.सं. 9,10।

सक्सैना, एन.आर.स्वरूप, "शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त", पृ.सं.45

J. Stiemen. Managing Director, IICD (November 2007). *ICT for Development and Education*, pp. 16-21, [Online]. Available:http://www.iicd.org/files/icts-for-education.pdf

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 49-52.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार।

मनोगामक योगयताओं का स्कूली छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का सहसंबंधात्मक अध्ययन

रश्मि मिश्रा
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग,
नेताजी सुभाष महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : nspe@rediffmail.com

सारांश: *प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मनोगामक योग्यताओं यथा हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता एवं प्रतिक्रियात्मक समय का छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना है । प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से हाईस्कूल में अध्यनरत 450 छात्रों का चयन किया गया। न्यायदर्श के हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता के आंकलन के मिरर ड्राईंग परीक्षण तथा प्रतिक्रियात्मक समय का मापन नेल्सन परीक्षण द्वारा किया गया जबकि शैक्षणिक उपलब्धि का आंकलन छात्रों के पूर्व के वर्ष की कक्षा के प्राप्तांको द्वारा किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता एवं प्रतिक्रियात्मक समय का सार्थक सहसंबंध छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ पाया गया। निष्कर्षतः मनोगामक योग्यता के महत्वपूर्ण आयाम हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता की उपादेयता विद्यार्थियों की शैक्षणिक उप्लब्धि के संदर्भ में प्रतिपादित होती है।*

प्रस्तावना

ब्लूम शिक्षण के टेक्सानॉमी में शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोगामक ज्ञान के संवर्धन पर विशेष बल दिया है । ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में मनोगामक योग्यताओं के विकास क्रम का महत्वपूर्ण संबंध होता है। मनोगामक योग्यताओं का विकास देशकाल व वातावरण के भौगोलिक परिस्थितियों से निश्चित ही प्रभावित होती है। प्रत्येक क्षेत्र विशेष के अपने भौगोलिक वातावरण संबंधी भिन्नता के कारण छात्र–छात्राओं की शिक्षा ग्रहण एवं ज्ञार्नाजन प्रक्रिया अलग–अलग होती है।

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बालक का भविष्य उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पर निर्भर करता है। शैक्षिक प्रक्रियाओं में शैक्षणिक उपलब्धि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सभी सभ्यताओं एवं संस्कृति में शैक्षणिक उपलब्धि की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इसका महत्व किशोर बालक–बालिकाओं के लिए और भी अधिक होता है क्योंकि शैक्षणिक उपलब्धि पर ही उनकी भावी जीवन की नींव टिकी होती है।

मनोगामक क्षमता का अर्थ मांसपेशियों की गतिविधियों से है जिनका संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। मनोगामक क्षमता का दुसरे शब्दों में गामक प्रत्यक्षीकरण योग्यता या संवेदी गामक कौशल भी कहा जाता है। अतः मनोगामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों की ऐसी सुनिश्चित एवं निश्चित पैटन में की गई गतिविधियां होती है जिसे मस्तिष्क से मिली सूचनाओं द्वारा किया जाता है।

यह तथ्य भी सर्वविदित है कि हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता एवं प्रतिक्रियात्मक समय को प्रमुख मनोगामक योग्यताओं के रूप में माना गया है। हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता का तात्पर्य ऐसे गामक कौशल से है जिसमें मस्तिष्क का केन्द्रिय स्नायु तंत्र दृश्य एवं स्पर्शीय सूचनाओं का उपयोगी विश्लेषण करता है जिसके आधार पर उपयोगी गामक क्रियाएं होती हैं। हाथ व ऑखो की समन्वयन क्षमता व्यक्ति का नैसर्गिक गुण है जिसे कुछ सीमा तक तकनीक द्वारा सुधारा जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा हाथ व ऑखो की समन्वयन क्षमता पर किये गये अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि किसी शारीरिक क्रिया को करने में जब हाथ व ऑख दोनो का उपयोग किया जाता है तब ऑखे ही किसी कार्य को करने के लिए हाथों की गति एवं क्रिया को निर्देशित करती है। ऑखों द्वारा ही सर्वप्रथम वस्तु की मुलभूत जानकारी अर्थात वजन, आकार, आकृति प्रदान की जाती है उसके बाद वस्तु को उठानें में लगने वाले दबाव का निर्धारण होता है। छोटे कार्यो के लिए ऑखे उस कार्य की जानकारी देकर भविष्य में किये जाने वाले कार्य की तैयारी करती हैं जबकि किसी जटिल गामक कार्य जैसे शल्य चिकित्सा आदि में ऑखें निरंतर दृश्य संकेत प्रदान करती हैं जिससे गामक कार्य करते समय हाथों से कोई त्रुटि न हों।

Jensen, 2006 के अनुसार प्रतिक्रियात्मक समय का अर्थ संवेदी उद्दीपक के प्रकट होने एवं उस पर व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया से होता है। साइकोमैट्रिक मनोविज्ञान में इसे सूचनाओं के संधारण का सूचक माना गया है।

Senel et al., 2006 के अनुसार शरीर क्रिया विज्ञान में प्रतिक्रियात्मक समय परीक्षण का प्रयोग संवेदी – गामक योग्यता के मापन के लिए किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान में प्रतिक्रियात्मक समय का अर्थ संकेत (उद्दीपक) एवं उसकी प्रतिक्रिया में लगने वाले समय से हैं।

शैक्षणिक उपलब्धि को केन्द्र बिंदु मानकर अनेक शोधकर्ताओं यथा Bong (1999), Trusty et al. (2000), Duke (2000), Redd, Brooks & McGravey (2001), Feder and Majnemer (2007), Pereira (2011), Rajni Kumari and Gartia (2012), आदि ने शोध अध्ययनों के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों को इस प्रकार चिन्हित किया है – समाजार्थिक स्थिति, लिंग, शालेय वातावरण, परिवार में सदस्यों की संख्या, अध्यापक की शिक्षण शैली, व्यक्तित्व, आत्म विश्वास, मनोगामक योग्यताएं, अध्ययन आदतें, बुद्धि, शालाओं में उपलब्ध सुविधाएं, विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिवृत्ति, शारीरिक दक्षता, गामक दक्षता, दृश्य गामक योग्यता, तथा मस्तिष्क गोलार्द्ध प्रबलता।

संबंधित साहित्य के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि भारतीय स्कूली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर मनोगामक योग्यताओं अर्थात हाथ व ऑखों की समन्वयन योग्यता एवं प्रतिक्रियात्मक समय के प्रभाव का अध्ययन सामने नही आया है, अतः अध्ययनकर्ता द्वारा मनोगामक योग्यताओं का स्कूली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का सहसंबंधात्मक अध्ययन करने का निश्चय किया।

परिकल्पनाएं

1. स्कूली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया जायेगा।
2. स्कूली छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रतिक्रियात्मक समय के मध्य सार्थक सहसंबंध पाया जायेगा।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्ययनकर्ता द्वारा निम्नलिखित अध्ययन पद्धति का चयन किया गया।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से हाईस्कूल में अध्ययनरत् 450 छात्रों का चयन किया गया। चयनित छात्र 14 से 17 वर्ष आयु समूह के थे। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक पद्धति से किया गया।

परीक्षण विधि

हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता:– न्यादर्श के हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता के ऑकलन हेतु मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया गया। इस परीक्षण में रेखाकंन के दौरान की गयी त्रुटियों के आधार पर समन्वयन क्षमता का आंकलन किया जाता है। न्यादर्श द्वारा इस परीक्षण में की गई कम से कम त्रुटि उसके बेहतर हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता का परिचायक होता है।

प्रतिक्रियात्मक समय:– अध्ययन में चयनित न्यादर्श के प्रतिक्रियात्मक समय का मापन नैल्सन परीक्षण द्वारा किया गया। इस परीक्षण के स्केल के गिराए जाने पर न्यादर्श द्वारा उसे हाथ की ऊंगलियों एवं अंगुठे से पकड़ा जाता है। न्यादर्श द्वारा स्केल के पकड़ने के स्थान को चिन्हिंत कर प्रतिक्रियात्मक समय का मापन परीक्षण निर्माता द्वारा सुझायी विधि से किया गया।

शैक्षणिक उपलब्धि:– शैक्षणिक उपलब्धि का आंकलन छात्रों के पूर्व के वर्ष की कक्षा के प्राप्तांको द्वारा किया गया।

प्रक्रिया

प्रत्येक न्यादर्श की हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता का आंकलन अध्ययनकर्ता द्वारा प्रत्येक न्यादर्श पर मिरर ड्राईंग परीक्षण करवाकर किया। इसी प्रकार प्रतिक्रियात्मक समय का मापन नैल्सन परीक्षण में सुझायी विधि द्वारा किया गया। मिरर ड्राईंग परीक्षण, नैल्सन परीक्षण एवं पूर्व के वर्ष में अर्जित शैक्षणिक उपलब्धि के प्राप्तांक प्रत्येक

न्यादर्श हेतु सारणीकृत किये गये। मनोगामक योग्यताओं एवं शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए Pearson Correlation coefficient "r" का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणामों को तालिका क्रमांक 1 में प्रस्तुत किया गया है।

सांख्यिकीय विश्लेषण

तालिका 1: *चयनित छात्रों के समूह में शैक्षणिक उपलब्धि का हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता, प्रतिक्रियात्मक समय के साथ सहसंबंध (N=450)*

समूह	शैक्षणिक उपलब्धि
हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता	–.186**
प्रतिक्रियात्मक समय	–.129**

** .01 का सार्थकता स्तर पर

तालिका क्रमांक 1 के अनुसार हाथ व ऑखों की समन्वयन क्षमता का .01 के सार्थकता स्तर पर शैक्षणिक उपलब्धि के साथ ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया, (r = – 0.186)। इसी प्रकार प्रतिक्रियात्मक समय का .01 के सार्थकता स्तर पर शैक्षणिक उपलब्धि के साथ ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया (r= -0.129) । प्रस्तुत अध्ययन में प्रयुक्त चरों की प्रकृति के अनुसार निम्नतम प्राप्तांक को श्रेष्ठ एवं उच्चतम प्राप्तांक को निम्न स्तर की मनोगामक योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः इस आधार पर प्राप्त परिणामों के अनुसार हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता में सुधार होने एवं प्रतिक्रियात्मक समय में कमी अच्छी शैक्षणिक उपलब्धि की ओर इंगित करते है।

आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए :

1. हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता का सार्थक सहसंबंध छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ पाया गया।
2. प्रतिक्रियात्मक समय का सार्थक सहसंबंध छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ पाया गया।

विवेचन

अध्ययन हेतु स्थापित सहसंबंधात्मक परिकल्पनाओं के विश्लेषण से यह बात सामने आयी कि हाथ व ऑख की समन्वयन योग्यता एवं प्रतिक्रियात्मक समय का सार्थक सहसंबंध विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ है यही परिणाम प्रतिक्रियात्मक समय के संदर्भ में भी पाये गये। अध्ययन से प्राप्त परिणाम इस तथ्य की ओर वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ संकेत है कि हाथ व ऑख की समन्वयन क्षमता एवं प्रतिक्रियात्मक समय निश्चित रूप से शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। इससे मिलते–जुलते अध्ययन में Nourbaksh (2006) ने भी गामक एवं प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं का सार्थक सहसंबंध शैक्षणिक उपलब्धि के साथ सार्थक स्तर पर सिद्ध पाया था। इसी प्रकार Gligorovic (2011) ने एक अध्ययन में पाया कि सीखने हेतु विद्यार्थियों के गामक–प्रत्यक्षीकरण कौशल का विकास अति आवश्यक होता है।

प्राप्त परिणाम इस दिशा की ओर संकेत करते है कि केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा सूचनाओं के संधारण एवं गामक कौशल्य में सूक्ष्म संबंध होता है। अतः जब उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कम समय लगता है तब स्वयं ही समन्वयन योग्यता में वृद्धि होती है। अतः उच्च कोटि की समन्वयन योग्यता एवं उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रियात्मक व्यक्त करने में लगने वाला कम समय यह इंगित करता है कि व्यक्ति सूचनाओं की प्राप्ति, आदान–प्रदान, संधारण एवं संस्लेषण की प्रक्रिया संवर्धित है। इसके परिणामस्वरूप कक्षा में अध्यापक द्वारा पाठ या प्रयोगशाला में परीक्षण करते समय उच्च कोटि की मनोगामक योग्यता के विद्यार्थियों में दी जा रही अध्ययन सामग्री को आत्मसात करने एवं समझने की क्षमता अधिक होती है जिसका सीधा प्रभाव उसकी शैक्षणिक उपलब्धि पर दिखायी देता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से प्राप्त परिणाम इस तथ्य की ओर वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ संकेत है कि मनोगामक योग्यताएं शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है।

संदर्भ सूची

Bloom, B.S. Engelhart, E.J., Furst, W.H. and Krathwohl, D.R. (1979). *Taxonomy of educational objectives the classification of educational goals handbook I: cognitive domain.* London: Longman Group Ltd.

Bong, M. (1999). Personal factors affecting the generality of academic self-efficacy judgments: Gender, ethnicity, and relative expertise. *Journal of Experimental Education*, 67, 315-331.

Duke, N. (2000). For the rich it's richer: Print environments and experiences offered to first-grade students in very low- and very high-SES school districts. *American Educational Research Journal*, 37(2), 456–457.

Feder, K.P. and Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency and intervention. *Developmental Medicine Child Neurology*, 49(4) : 312-7.

Gligorovic, M.; Sestic, M.R.; Nikolic, S. and Stosovic, D.I. (2011). Perceptual-motor abilities and prerequisites of academic skills. *Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd)*, Vol. 10, br. 3. 405-434.

Jensen, A.R. (2006). *Clocking the mind: Mental chronometry and individual differences.* Amsterdam: Elsevier.

Nourbaksh, P. (2006). Perceptual-motor abilities and their relationships with academic performance of fifth grade pupils in comparison with Oseretsky scale. *Kinesiology*, 38, 1:40-48.

Pereira, D.M.; Rita de and Braccialli, L.M.P. (2011). Relationship analysis between visual-motor integration ability and academic performance. *Journal of Human Growth and Development*, 21(3): 808-817.

Rajni Kumari and Gartia, R. (2012). Relationship betwcen stress and academic achievement of senior secondary school students. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 1(3), pp. 152-160.

Redd, Z., Brooks, J., & McGarvey, A. (2002). Background for Community-Level Work on Educational Adjustment, Achievement and Attainment in Adolescence: A Review of Antecedents, Programs and Investment Strategies. Report prepared for the John S. and James L. Knight Foundation. Washington, D.C.: Child Trends.

Senel, O., and Eroglu, H. (2006). The correlation between the reaction time and the speed in elite soccer players. *Journal of Exercise Science and Fitness*, 4:126-30.

Trusty, J., Robinson, C., Plata, M., & Ng, K. (2000). Effects of gender, socioeconomic status, and early academic performance on post-secondary educational choice. *Journal of Counseling & Development*, 78, 463-472.

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 53-66.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

कामुकता के तंत्र जाल से युवाओं का संरक्षण: अकादमीय तथा नीतिगत विश्लेषण

प्रभास रंजन
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा विभाग,
बेली रोड, पटना वीमैंस कॉलेज,
पटना–1
ई–मेल : nirbhayapraprabhas@gmail.com

सारांश: *इंटरनेट के प्रयोग के विस्तार के साथ ही पार्नोग्राफी सामग्रियों तक सबकी पहुँच बन गई है। किशोरो एवं अल्पवयस्को का भी इसके प्रति आकर्षण है। उनके उपयोग की पृष्टभूमि को समझना तथा उन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना अकादमीय शोध के साथ–साथ नीतिगत विश्लेषण का भी विषय है। इस सम्बंध में कई सिद्धांत सुझाये गये हैं। अनेक शोध अध्ययनों में इसके मनोरुग्नकारी स्वरुप का पता चलता है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट होता है कि इंटरनेट लिंग निरपेक्ष स्थान नहीं है। यहाँ भी सामान्य जीवन की तरह ही लैंगिक भेद एवं वर्चस्व देखा जा सकता है। पार्नोग्राफी में रूचि रखने के संबंध में यह बात विभिन्न शोधों में स्पष्ट होती है कि इसमें युवकों की अभिरुचि युवतियों से अधिक है। इस विषय में भारत में भारतीय सामाजिक विषमता के मद्दे नजर विशेष अध्ययनों की आवश्यकता है। एक व्यापक विमर्श के लिये वृहद समुदाय की सहमति के साथ कानून व्यवस्था की दुरुस्त कवायद हमें इसके अज्ञात परिणामों से बचा सकती है। इस संबंध में माता–पिता, शिक्षक, समुदाय एवं सरकार सबों को अपनी भूमिकाएँ समझनी एवं निभानी होगी।*

प्रस्तावना

21वीं सदी में आम लोगों की जीवन शैली को कम्प्यूटर तथा इंटरनेट का प्रभाव कुछ उसी तरह से परिवर्तनकारी है जैसे कि सदियों पहले आग या पहिये ने जीवन जीने के तरीके को बदल कर रख दिया था। अकादमीय जगत ने इस परिवर्तन को व्यापक बनाने की दृष्टि से इसे शैक्षणिक पाठ्यचर्या का महत्त्वपूर्ण अंग माना है, तथा विभिन्न योजनाओं एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को इससे परिचित कराने तथा इसे 21वीं शताब्दी का एक आधारिक कौशल बनाने की दिशा में अग्रसर है। इस पूरे अभ्यास में जो पहलू सबसे अनदेखी छोड़ दी गई है वह है इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग। किसी भी नई तकनीक से परिचित कराते समय हम उसके सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हैं। परन्तु इंटरनेट के संबंध में यह बात लागू नहीं होती है। इस नई तकनीक के संबंध में इसके सुरक्षित उपयोग की जिम्मेवारी किसी पर नहीं है। यह मान लिया जाता है कि माता–पिता तथा शिक्षण संस्थान इसकी जिम्मेवारी खुद ही उठा लेंगे। वास्तव में उन्हें इसके खतरों की कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। अक्सर उनकी जानकारी अतिशयोक्तिपूर्ण होती है अथवा उन्हें इसकी गंभीरता का आभास नहीं होता। अनेक बार अभिभावक "हमारे बच्चे अच्छे हैं वे ऐसा नहीं करेंगे" की मानसिकता में होते हैं। यह संदर्भ इंटरनेट पर सहजता से उपलब्ध खुले चित्र–विचित्र कामुक चित्रण का है, जो चित्रों, चलचित्रों तथा कहानियों के रूप में उपलब्ध है। यह क्षेत्र वर्जनाओं और संवादहीनता के बीच फंसे होने के कारण न तो मीडिया के और न ही अकादमीय अध्ययनों का केन्द्र बन पाया है। हालाँकि हम अक्सर किशोरो तथा युवाओं से जुरी खबरें पढ़ते हैं जिसमें वे इन से प्रेरित दिखते हैं। एक इंटरनेट फिल्टर रिव्यू वेबसाइट के अनुसार लगभग 42 लाख वेबसाइटो पर वयस्क सामग्री उपलब्ध है जो कुल वेबसाइटों का 12% है। प्रतिदिन 680 लाख वयस्क सामग्री की खोज से संबंधी आग्रह खोज इंजनोंको प्राप्त होता है। पियर टू पियर डाउनलोडिंग के जरिये प्रत्येक महीने 1500 लाख डाउनलोड किये जाते हैं। इंटरनेट देखने वाले लोगो का 42.7% पार्नोग्राफी देखता है। 34% सामान्य उपयोक्ता को अनचाही वयस्क सामग्री दिख जाती है। 720 लाख लोग हर महीने वयस्क साइट देखते हैं। (Internet Pornography Statistics) इस संबंध में पार्नोग्राफी के विभिन्न पहलुओं को समझने तथा संबंधित लोगो के कर्तव्य निर्धारण की आवश्कता है।

इंटरनेट पार्नोग्राफी का अर्थशास्त्र

इंटरनेट पार्नोग्राफी के आर्थिक आकार के बारे में कोई अंतिम अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन इसे 1 से 97 बिलियन यूएस डालर का होने का अनुमान किया गया है। वॉन्डरसेक, हॉल्ज, प्लेट्जर, किरदा & क्रुएगेल, (2010) ने इंटरनेट पर वयस्क सामग्री की आर्थिक संरचना का अध्ययन किया है। यह व्यवसाय मुख्य रूप से शुल्क आधारित साइटों को प्राप्त धन से चलता है। हालाँकि इसके आय का कोई विश्वसनीय माडल नहीं बन पाया है लेकिन इन लोगो ने एक छद्म पार्नोग्राफी साइट बना कर इसका अध्ययन करने की कोशिश की है। इसके अनुसार

पार्नोग्राफी के सीधे व्यापार के साथ यह इंटरनेट के माध्यम से मालवेयर का बहुत बड़ा स्रोत है। जिसका उपयोग साइवर अपराधी निजी सूचनाएं तथा धन के गैर कानूनी आहरण के लिए कर सकते है। वयस्क वेबसाइटो का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुफ्त वयस्क सामग्री प्रदान करता है। इनका कार्य मुख्यतः इंटरनेट की ट्रैफिक बेचना है। ये ग्राहकों को विभिन्न साइटों पर भेजते हैं जिससे वे वयस्क खोजी इंजनो की सूची में अपनी स्थिति ऊपर रख सकें। उनमें यदि कोई ग्राहक सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके शुल्क का भी एक हिस्सा उन्हें प्राप्त होता है।

भारत में इस प्रकार के ग्राहकों की संख्या का कोई आकलन उपलब्ध नहीं है। एक वयस्क फिल्मों की लोकप्रिय सीने तारिका ने दावा किया है कि उसके साइट पर 80 प्रतिशत लोग भारतीय होते हैं तथा 60 प्रतिशत आय भारत से प्राप्त होती है। (NDTV, 2012)

अकादमीय अध्ययन

कामुक चित्रणों से जुरे मानवीय व्यवहार विशेष कर किशोरो तथा युवाओं पर इसके प्रभाव में विभिन्न क्षेत्रों के लोगो की दिलचस्पी है। यह क्षेत्र एक अंतर्विषयी अध्ययन का विषय है। हालाँकि इस क्षेत्र में भारत में अकादमीय अध्ययनों की संख्या नगण्य है, अन्य जगहों इसे समझने के कई गम्भीर प्रयास किये गये हैं।

विभिन्न अध्ययनों से यह पता चलता है कि पार्नोग्राफी देखने के गंभीर मानसिक तथा भावनात्मक प्रभाव परते हैं। सेबीना, वोलॅक. तथा फिंकलहर (2008) ने इंग्लैण्ड के एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय के 563 प्रतिभागियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें उनसे 18 वर्ष से पूर्व की अवस्था में इंटरनेट पर वयस्क सामग्री देखने के संबंध में सवाल किये गये। 72.8% भागीदारों ने 18 वर्ष से पूर्व वयस्क सामग्री देखी थी जिसमें 93.2% पुरुष एवं 62.1% महिलायें थी। अधिकांशतः वयस्क सामग्री देखने की उम्र 14 से 17 वर्ष की थी। उनमें से एक बड़ी संख्या में लोगों ने असामान्य तथा आपराधिक कामुक गतिविधियों का चित्रण देखा था। इनमें 12% लड़कों तथा 18.7% लड़कियों के अनुसार उन पर इसका गम्भीर भावनात्मक प्रभाव पड़ा था।

एक अन्य अध्ययन में स्वेडिन, एकर्मन, तथा प्रीयीबे (2011) ने 2,015 स्वीडीस 18 वर्षीय छात्रों का अध्ययन किया। इस समुह में ज्यादा वयस्क सामग्री देखने वाले 200 छात्रों का अध्ययन उनकी पृष्टभूमि तथा मनो–सामाजिक विशिष्टताओं के संदर्भ में किया गया। इस अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण बात सामने आती है कि ज्यादा वयस्क सामग्री देखने वालों तथा कम देखने वालो में अंतर करने का आधार छात्रों का बड़े शहर में रहना, माता–पिता दोनो के साथ नहीं रहना तथा माता–पिता का कम ध्यान देना है। स्वेडिन तथा अन्य का निष्कर्ष है कि ज्यादा वयस्क सामग्री देखने वाले छात्रो में अनेक ऐसी अभिवृतियों तथा व्यवहारों की पहचान की जा सकती है जिन्हें खतरनाक लक्षण वाले बच्चो (चाइल्ड एट रिस्क) से जोड़ा जाता है। वे कहते हैं कि यहाँ माता–पिता तथा शिक्षकों को ध्यान देने की जरुरत है क्योंकि वयस्क सामग्री का अत्यधिक उपयोग तथा इंटरनेट का अन्य समस्या जनक उपयोग एक स्वस्थ व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक है। मनोचिकित्सकों तथा परामर्शदाताओं को भी इस संबंध में जागरुक रहना चाहिए क्योंकि अक्सर किशोर वयस्क सामग्री का उपयोग करते हैं और वहाँ अत्यधिक उपयोग से जुरे खतरों की संभावनाएँ हैं, जिसे चिकित्सा या सलाह के लिये उपयोग करना आवश्यक हो सकता है। सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वयस्क सामग्री युवाओं के काम जीवन की सामाजिकता का एकमात्र या सबसे महत्त्वपूर्ण आधार न बन पाये।

एक अन्य अध्ययन में मट्तेबो, टाइडन, हॅग्स्ट्रम–नॉर्दिन, नैल्ससन, लार्सन (2013) ने स्वीडन के मध्य भाग में स्थित दो शहरों के यादृच्छिक रूप से चयनित किये गये 53 विद्यालयों के एक सर्वेक्षण में यह पाया कि 96 प्रतिशत लड़कों (कुल = 453) ने वयस्क सामग्री देखी थी। प्रतिदिन उपयोग करने वाले दस प्रतिशत लड़कों में कई अंतर पाये गये। अनुभव के स्तर पर इन लोगो ने वयस्क जीवन से जुरे अनेक अनुभव प्राप्त कर लिये थे। बल्कि इनमें से कई (25%) ने एक रात की बात (वन नाइट स्टैंड), दोस्तों के साथ दस से अधिक बार संबंध (2%) जैसे अनुभव भी लिए थे। इन लोगो ने सहपाठियों के साथ संबंध में समस्या, विद्यालय से भागने (सप्ताह में एक बार), तम्बाकू तथा शराब के उपयोग की भी सूचना दी।

माटेबो तथा अन्य ने एक अन्य रपट (2014) में उपरोक्त सर्वेक्षण में लड़कियों को भी शामिल किया। इसमें वयस्क सामग्री के उपयोग, काम संबंधी अनुभव, कामुकतापूर्ण दुराचार का अनुभव तथा कामुकता एवम उसके चित्रण के संबंध में उनकी प्रतिक्रियाओं की तुलना की गई। इसमें पाया गया कि केवल 54% लड़कियों (कुल = 213) ने काम

संबंधी चित्रण देखा था। यह पाया गया कि लड़कों में लड़कियों की तुलना में वयस्क सामग्रियों के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृति थी। वयस्क सामग्री का उपयोग करने वाले लड़के तथा लड़कियों में कोई अधिक अंतर नहीं था। कामुक फंतासियो के संबंध में दोनों समान थे। दोनों ने वयस्क सामग्रियों से प्रेरित कामुक क्रियाएं करने की कोशिश की थी। लेकिन लड़कों (6%) की तुलना में लड़कियों (15%) कामुक दुर्व्यवहार का ज्यादा अनुभव किया था। काम संबंधी अनुभवी (मुख, गुदा एवं सामान्य) होने की संभावना दर्शाने वाले फैक्टर थेरू लड़की होना, रोजगार आधारित उच्च विद्यालयी पाठ्यक्रम का विद्यार्थी होना, माता–पिता का अलग–अलग होना, कामुक दुर्व्यवहार का अनुभव होना, लड़कियों तथा लड़कों के समान कामुक रूचि होने की बात करना तथा वयस्क सामग्री के प्रति सकारात्मक रुझान रखना।

एक अधिक बड़े सर्वेक्षण में स्वेडिन तथा प्रीयीबे ने 2007 में स्वीडन के पाँच शहरों के 4339 छात्रों का एक प्रतिनिधि सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में 1.8% लड़कों तथा 1% लड़कियों ने धन या किसी अन्य लाभ के बदले वयस्क संबंध बनाने की बात स्वीकार की, जिसमें कामुक गतिविधि में संलिप्तता की फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी के लिए लिया गया धन भी शामिल है। लेकिन यह समूह प्रत्यक्ष रूप से वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं था। यह समूह आम तौर पर आप्रवासी था, उनके घर में बेरोजगारी का उच्च स्तर था तथा वह किसी रोजगार - व्यावसायिक पाठ्यक्रम का विद्यार्थी था।

वयस्क सामग्रियों के प्रति प्रतिक्रिया के संबंध में किये गये एक अध्ययन में वल्लमय् तथा वेलीन (2006) ने 15 से 25 वर्ष के 876 छात्रों का अध्ययन किया जिसमें 555 छात्राएँ तथा 321 छात्र थे। यह स्वीडन के एक युवा क्लब में एक वर्ष तक आये छात्रों का सर्वेक्षण था जिसमें उनसे उनकी वयस्क सामग्रियों के प्रति अभिवृति, कामुक व्यवहारो से सम्बंधी सूचनाओं के स्रोत के संबंध में सवाल पूछे गये। अधिकांश लड़कियों (61%) ने वयस्क सामग्रियों को नकारात्मक रूप से वर्णित किया और 46.3% इसे स्तर को गिराने वाला बताया। इसकी तुलना में केवल 23.3% लड़कों ने इसे स्तर को गिराने वाला बताया। 29.3% लड़कों ने इसके लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जबकि 62.7% के लिए यह "स्टीमुलेटिंग", "कूल" और "एक्साइटिंग" था। वयस्क सामग्रियों का मुख्य स्रोत इंटरनेट तथा केबल टीवी था। इन्हें देखने के मुख्य कारण लड़कों के लिए उत्तेजना प्राप्त करना तथा लड़कियों ने उत्सुकता को बताया। सेक्स संबंधी जानकारी के इतने विविध तरह के स्रोतों के बावजूद लड़के तथा लड़कियों दोनों को कामुकता संबंधी जानकारी अपने सहपाठियों से ही प्राप्त हुई। एक अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य जो इस शोध में सामने आती है वह है कि जो कम उम्र के छात्र है उनमें वयस्क सामग्रियों के प्रति ज्यादा रुझान देखा गया। "बचपन का अंत तथा किशोरावस्था का आरंभ खतरे का काल है। "यदि लड़के इस उम्र में यह सीख ले कि महिलाएँ कामुकता की पुतलियाँ है जिन्हें केवल कामुक तृप्ति के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो इसके परिणामस्वरुप अस्वस्थ तथा अव्यवहारिक काम भुमिकाओं की अपेक्षाएं पैदा होंगी।" (294) इस शोध में यह भी कहा गया है कि यद्यपि इस अध्ययन में केवल 15 वर्ष के छात्रों को शामिल किया गया है लेकिन इससे कम उम्र के युवाओं में भी यह सामान्य रूप से उपलब्ध होगा। इस रूप में यह आलेख युवाओं को सेक्स शिक्षा प्रदान किये जाने की संस्तुति करता है।

एक दीर्घकालिक अध्ययन में मिचेल, वोलॅक तथा फिंकेल्होरं (2007) ने इंग्लैण्ड में किये एक अध्ययन में 10 से 17 वर्ष के इंटरनेट उपयोग करने वाले छात्रों से दो बार (2000 तथा 2005 में) साक्षात्कार किये। इसमें उन्होंने विशेषकर यह बात पूछी कि पाँच वर्षों के दौरान इंटरनेट के माध्यम से आने वाले अनावश्यक कामुक दुराग्रहों तथा अनचाहे ही वयस्क सामग्री दिख जाने में कमी आई है अथवा नहीं। उन्होंने पाया कि अपेक्षाकृत संपन्न श्वेत छात्र–छात्राओं में इसकी कमी आई है लेकिन कम सम्पन्नता वाले तथा अल्पसंख्यक समुदाय में इसकी कमी नहीं आई है। इन्होंने शिक्षा तथा कानून व्यवस्था की सजगता को इसका कारण बताया है। इन्होने यह भी पाया कि अनचाहे ही कामुक सामग्री दिख जाने कि घटना में 10–12 आयु वर्ग तथा 16–17 आयु वर्ग के लोगों में वृद्धि हुई है। कई मामलों में अभी भी ऑफ लाईन दुर्व्यवहार के प्रयास में कमी नहीं आई है। संभवतः कुछ युवाओं ने अपने पते तथा पहचान संबंधी जानकारी पहले ही दे दी है या आपराधिक वृति वाले लोगों ने उन तक पहुँच बना ली है।

पॉल तथा शिम (2008) ने अमेरिका में किये गये एक अध्ययन में इंटरनेट की वयस्क सामग्री देखने के उद्देश्यों का अध्ययन किया। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में 150 युवक एवं 171 युवतियों ने हिस्सा लिया जिनकी औसत आयु 20 वर्ष था। इसमें पाया गया कि लोग संबंध बनाने तथा उसे जारी रखने के लिए पार्नोग्राफी का उपयोग कर रहे हैं। यह एक नया आयाम है जो इंटरनेट पार्नोग्राफी को सामाजिक मूल्य प्रदान करता है। दूसरा इसके उत्तेजक सामग्री का उपयोग उत्तेजित मनोदशा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा और गम्भीर कारण है आदत वश इसका

उपयोग। यह इस बात का समर्थन करता है कि इंटरनेट पार्नोग्राफी का उपयोग एक रुग्ण व्यवहार भी बन सकता है। इंटरनेट पार्नोग्राफी की लत का अर्थ है लगातार, बार–बार, जबरन तथा अनचाहे उठने वाली इच्छा जो कुछ खास व्यवहार के लिए रुटीन के रूप में या रिवाज की तरह करने को प्रेरित करे। चौथा कारण फैंटेसी है जिसमें व्यक्ति अपने को चित्रित किसी पात्र के साथ एकत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात भी इसमें पायी गयी कि काम तथा काम की विभिन्न स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं था। कई अन्य अध्ययनों की तरह यहाँ भी पुरुषों में वयस्क सामग्री देखने के लिये ज्यादा गहन इच्छा पायी गई। इस शोध में कामभीती तथा कामान्वेशी प्रवृति के साथ उपरोक्त चारो उत्प्रेरकों का स्पष्ट, रैखिक तथा सकारात्मक संबंध पाया गया। हालाँकि इस गैर–रैनडम प्रतिदर्श चयन की व्यापकता कम हो सकती है परन्तु इससे कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है।

कामुकता तथा व्यक्तित्व की विविधता

कुछ अध्ययनों में व्यक्तित्व की भिन्नता के तथ्य पर भी गौर किया गया है। बराक, फिशर, बेल्फ्री तथा लाशांब (1999) के एक प्रायोगिक अध्ययन में वयस्क सामग्रियों को देखने का पुरुषों के महिलाओं के प्रति व्यवहार पर कोई असर नहीं प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अनुपयुक्त व्यवहार के लिए मुख्य रूप पुरुषों के व्यक्तित्व की विशिष्टता जिम्मेदार होती है। इस विशिष्टता को अतिपौरुषता (हाइपरमास्कुलिनिटी) का नाम दिया जाता है। आम भाषा में इसे "माचो" या "मरदाना" कहा जाता है जो एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके मन में महिलाओं के प्रति हेय भावना होती है। अक्सर ऐसे व्यक्ति महिलाओं से जबरन संबंध बनाना पौरुष की पहचान है", ऐसे मिथको में विश्वास करते हैं।

इससे पूर्व बोगाएर्ट (1993) ने व्यक्तिगत की भिन्नता के आधार पर वयस्क सामग्री के चयन के साथ सहसंबंध स्थापित करने की कोशिश की। उसने स्नातको के एक प्रतिदर्श के आक्रामकता, परोपकारिता, प्राबल्य (डॉमिनेंस), अतिपौरुषता, मैकियावेली धूर्तता (मैकियावेलिज्म), मनोरुग्णता, उत्तेजना खोजिता, कामभीती–कामान्वेशी (इरोटोफोबिया–इरोटोफीलिया), तथा कामुकतापूर्ण हिंसा के प्रति आकर्षण का आकलन किया। इन लोगों के काम अनुभव, अतीत अतीत में हुए वयस्क मीडिया अनुभव, काम संबंधी आक्रामक व्यवहार होने का इतिहास तथा वर्तमान काम संबंधी व्यवहार भी देखा गया। इन्हें एक विडियो का सूची में से अपने देखने के लिए एक विडियो चुनने को दिया गया जिसमें सामान्य से ले कर अतिसयता वाले गैर वयस्क एवं वयस्क विडियो के नाम और संक्षिप्त विवरण थे। सामाजिक चयन प्रभाव (सोशल डिजायरावीलिटी) को सांख्यिकीय तकनीक से नियंत्रित करने के बाद भी किसी भी खास व्यक्तित्व विभेद करने वाली विशिष्टता के साथ हिंसक या सामान्य वयस्क सामग्री दर्शाने वाले विडियो प्रकारों का संबंध स्थापित नहीं हो पाया।

अनेक मनोचिकित्सक इंटरनेट के रुग्ण कामुकता में योगदान के बारे में चर्चा करने लगे हैं। ऐसे ही एक मामले की चर्चा करते हुए स्टाइन, ब्लॅक, शपीरा, – स्पिट्जर ने एक व्यक्तिगत मामले का विश्लेषण करते हुए अनेक शर्तों के अन्तर्गत रुग्ण कामुकता की स्थिति के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध वयस्क सामग्री का प्रभाव दर्शाया है। यद्यपि इन अध्ययनों को सामान्य शोध कार्य के लिए प्रयोग में कई सावधानी की आवश्यकता है फिर भी स्टेन द्वारा संदर्भ के रूप में दी गई रुग्ण कामुकता का विवरण समीचीन होगा:

> यह व्यक्ति के सभी चिंतनों तथा अनुभवों में घुसकर जीवन में किसी अन्य उद्देश्य के लिए जगह नहीं छोड़ते हुए, लगातार नैतिक या सही व्यवहार को परे कर, अपनी तुष्टि की माँग करता है और कामुक आनंद के आवेगी और कभी तुष्ट न होने वाले कृत्यों में उलझाता रहता है... यह रुग्ण कामुकता अपने रोगियों के लिए खतरनाक है जो हमेशा राज्य के कानून तथा नैतिकता के नियमों को भंग करने, तथा उसके सम्मान, स्वतंत्रता तथा जीवन पर एक खतरे के रूप में बना रहता है। (स्टाइन तथा अन्य)

इस तथ्य की पुष्टि कुन तथा गॉलिनेट द्वारा मैक्स प्लांक इंस्टीयूट ऑफ ह्युमन डैवलपमेंट, बर्लिन जर्मनी में 2014 में किये गये एक अध्ययन में 64 स्वस्थ पुरुषों के मस्तिष्क पर वयस्क सामग्री के प्रभाव के अध्ययन से भी होती है। उन्होंने पाया कि दिमाग के ग्रे मैटर के आयतन तथा वयस्क सामग्री देखने के घंटों में विपरीत सहसंबंध है। समय में वृद्धि होने से ग्रे मैटर के आयतन में कमी आती है। उनके अनुसार यह मस्तिष्क की पुरस्कार अनुभव प्रणाली के अत्यधिक उत्तेजना के कारण होता है और यह स्थिति वयस्क सामग्री देखने को अधिक बाध्यकारी और पुरस्कार देने वाला बनाता है।

सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार

मानव के काम संबंधी व्यवहार को समझने के लिए अनेक मनो वैज्ञानिक तथा मनो–सामाजिक सिद्धान्तों अभिकल्पना की गई है जिनमें बीर्ने का कामुक व्यवहार क्रम (Sexual Behavior Sequence, Byrne,1977), फिसवेन तथा एजेन का तार्किक क्रिया सिद्धांत, (Theory of Reasoned Action, Fishbein & Ajzen, 1975), आवेश स्थानांतरण सिद्धांत (Excitation Transfer Theory] Zillmann & Bryant] 1984) सामाजिक संवेदन सिद्धांत (Social-Cognitive Theory, Bandura, 1986); मेलेमथ का संलयन माडल (Confluence Model, Malamuth et al., 2001) का उपयोग उन कारकों को समझने में किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर वयस्क सामग्री देखने के लिए प्रेरित करते हैं। इनके आधार पर व्यक्तियों के भविष्य के व्यवहारो की पूर्व कल्पना की जा सकती है।

फिसर तथा बाराक ने कामुक व्यवहार को समझने के लिए बीर्ने, केली तथा फिसर के विभिन्न लेखनो पर आधारित कामुक व्यवहार क्रम को इंटरनेट कामुकता के अनुभवों के आकर्षण तथा उनके परिणामों के अध्ययन के लिए एक व्यापक माडल के रूप में लिया है। जैसा कि चित्र सं 1 में दिखाया गया है कि संरचित तथा असंरचित कामुक उत्तेजकों के प्रति शारीरिक, भावनात्मक, विचारात्मक प्रतिक्रियायें करता है। शारीरिक उत्तेजना, भावनाएँ तथा विचार कामुक व्यवहार के पूर्व तैयारी लिए प्रेरित तथा निर्देशित करते हैं तथा प्रत्यक्ष कामुक व्यवहार के रूप में प्रकट होने की संभावना उत्पन्न करता है। इस माडल के अनुसार प्रत्यक्ष कामुक व्यवहार का सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिणाम होते हैं जिससे उनकी भविष्य में उन उत्प्रेरकों के प्रति होने वाला व्यवहार प्रभावित होता है। इस प्रकार इसका पृष्ठषोषण चक्र पूरा होता है। यह माडल हमें यह बताता है कि पार्नोग्राफी के हिंसक तथा दुराग्रही संबंध के सुखद एवं बार बार अनुभव दर्शकों के मन में इसके प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकता है।

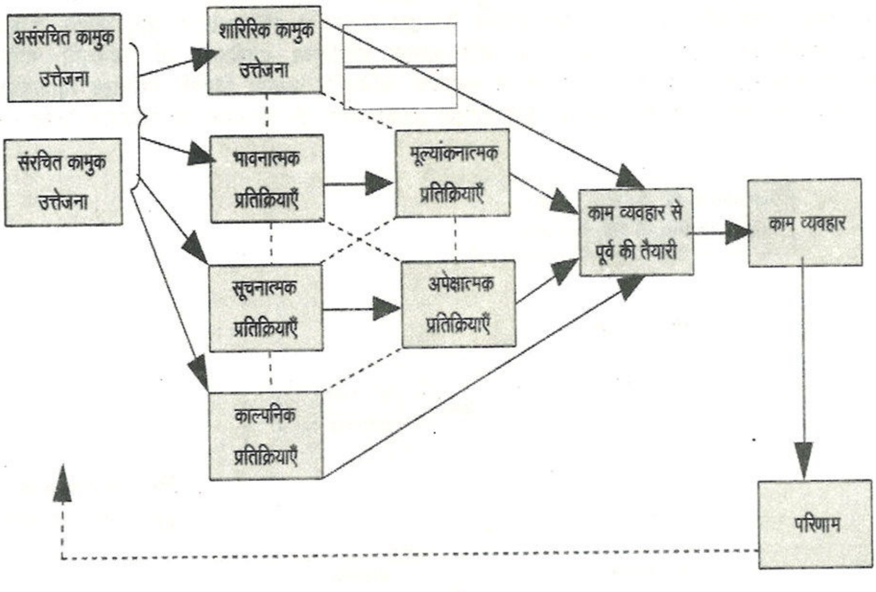

चित्र 1: *बीर्ने का कामुक व्यवहार क्रम माडल (फिशर और बराक, 1989)*

एक अन्य प्रमुख सिद्धांत है आवेश स्थानांतरण सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि एक भावना के प्रति उत्तेजना का अवशिष्ट आवेश दूसरी भावना की उत्तेजित प्रतिक्रिया को बढ़ा देता है, यद्यपि उनका भावनात्मक स्वरुप भिन्न–भिन्न होता है। उदाहरण के लिए फिल्म देखते समय खलनायक के गलत कामों के प्रति उत्पन्न होने वाला क्रोध उसे सजा मिलने पर आनंद में बदल जाता है। यह सिद्धांत क्लार्क हल के अवशिष्ट उत्तेजना आवेश (ड्राइव सिद्धांत) तथा स्टानले शैचर के भावना के द्वि–कारक सिद्धांत के आधार पर डाल्फ जिल्मैन द्वारा विकसित किया

गया। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि भावना उत्तेजित प्रतिक्रिया अधिकांशतः अनिर्दिष्ट होती है और इनका निर्धारण केवल इस बात से होता है कि मस्तिष्क उन्हें किन भावनाओं के रूप में देखता है। जिलमैन (1971) के अनुसार संचार के कारण पर निर्मित उत्तेजना संचारण के काल की समाप्ति के बाद के काल की भावनाओं को गहन तथा शक्तिशाली बना सकती है। लेकिन यह आवेश स्थानांतरण केवल प्रत्यक्ष संवाद पर ही लागू नहीं होता। यह उत्तेजकों की शृंखला (जिनमें मीडिया आधारित सूचनायें शामिल हैं) द्वारा भी हो सकता है। इसकी तीन शर्तें हैं: पहली कि पहली उत्तेजना पूर्ण क्षरण से पूर्व ही दूसरी उत्तेजना प्राप्त हो जानी चाहिए। दूसरी पहले उत्तेजना के अवशिष्ट आवेश का गलत स्थापन दूसरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया में होना चाहिए तथा तीसरा दूसरी उत्तेजना के पूर्व ही व्यक्ति अपने आवेश की उच्चतम सीमा पर पहुँचा नहीं होना चाहिए। आवेश स्थानांतरण सिद्धांत हिंसक, वयस्क आदि मीडिया के प्रभाव के अध्ययनों का एक प्रमुख आधार है। यह सिद्धांत इस संभावना की ओर भी इशारा करता है जिसमें कामुक उत्तेजना के हिंसक उत्तेजना में संलयन से उत्पन्न मानसिक स्थिति के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है।

सामाजिक अध्ययन सिद्धांत का भी वयस्क सामग्री के प्रभाव के अध्ययन में काफी उपयोग किया जाता है। यह जन माध्यम के आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। इसके अनुसार जन माध्यम विभिन्न व्यवहारो के परिणामों के बारे में सूचना देता है (चेक एण्ड मैलेमथ,1985)। इस दृष्टिकोण से पार्नोग्राफी विभिन्न प्रकार के कामुक व्यवहारो की वैधता तथा दूसरे साथी के अपेक्षित व्यवहार के विषय में भी सूचनाएं देता है। आक्रामक व्यवहार दर्शाने वाली पार्नोग्राफी अपने प्रतिरूपण में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखा कर लोगों को ऐसे व्यवहार के लिए प्रेरित करता है।

एक अन्य सिद्धांत के अनुसार माता पिता के बीच हिंसात्मक संबंध तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार विशेष कर यौन दुर्व्यवहार अक्सर उन्हें अपचारी बनाता है। जिसके बाद वे मानसिक रूप से विकसित हुए बिना ही कई वयस्क भूमिकाएँ अपना लेते हैं। मेलेमथ द्वारा विकसित इस सिद्धांत में इसके बाद यह दो स्वरुपों में विकसित हो सकता है जिसे काम संबंधी अनैतिकता तथा आक्रामक पुरुषवादिता कहते हैं। यह माडल (चित्र 2) काम संबंधी अनैतिकता तथा आक्रामक पुरुषवादिता के बीच संबंध दर्शाता है। इस माडल में महिलाओं के प्रति हिंसक कामुक व्यवहार की संभाविता दर्शाने वाले चरों में बलात्कार के प्रति कामुक प्रतिक्रिया, आधिपत्य की अभिवृति, महिलाओं के प्रति आक्रामकता, महिलाओं के प्रति आक्रामकता में सहायक अभिवृति, समाज विरोधी व्यक्तित्व विशिष्टताएँ तथा काम संबंधी अनुभव के आधार पर महिलाओं के प्रति कामुक आक्रामकता की संभावना का अध्ययन किया गया है।

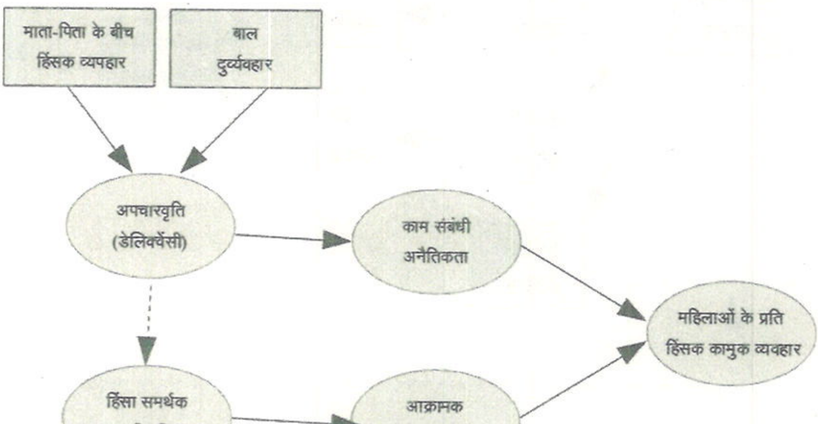

चित्र 2: *मेलेमथ का संलयन सिद्धांत (Malamuth el al, 1996)*

इंटरनेट सुरक्षा संबंधी नीति एवं कानून

इंटरनेट पर वयस्क सामग्री के संबंध में नीति बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है कि वयस्क सामग्री के निर्माण के संबंध में दुनिया भर के देशों में एक राय नहीं है। जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है कि संसार के एक बड़े हिस्से में 18वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के लिए वयस्क सामग्री का निर्माण गैर कानूनी नहीं है। इसलिए इनका निर्माण व्यावसायिक स्तर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए इन सामग्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय में दिये गये एक सत्यापन' में भारत सरकार की ओर से दूरसंचार विभाग के सचिव ने बताया है कि यह कार्य संभव नहीं है क्योंकि पहले तो ये वयस्क सामग्रियाँ अधिकांशतः ऐसे देशों में हैं जहाँ ये कानूनी रूप से बैध है और यहाँ भारत सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दूसरी ओर यह तकनीकी रूप से संभव नहीं है कि भारत में आने वाले सारे ट्रैफिक पर नजर रखी जा सके इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और इसके परिणाम स्वरूप पूरा इंटरनेट धीमा हो जाएगा। क्योंकि औडियो, विडियो, शाब्दिक सामग्री तथा सभी एक साथ भेजे जाते हैं। इसका असर इंटरनेट टेलीफोन सेवाओं, इ मेल तथा वित्तीय हस्तांतरणों पर भी पड़ेगा। (Anand, 2014)

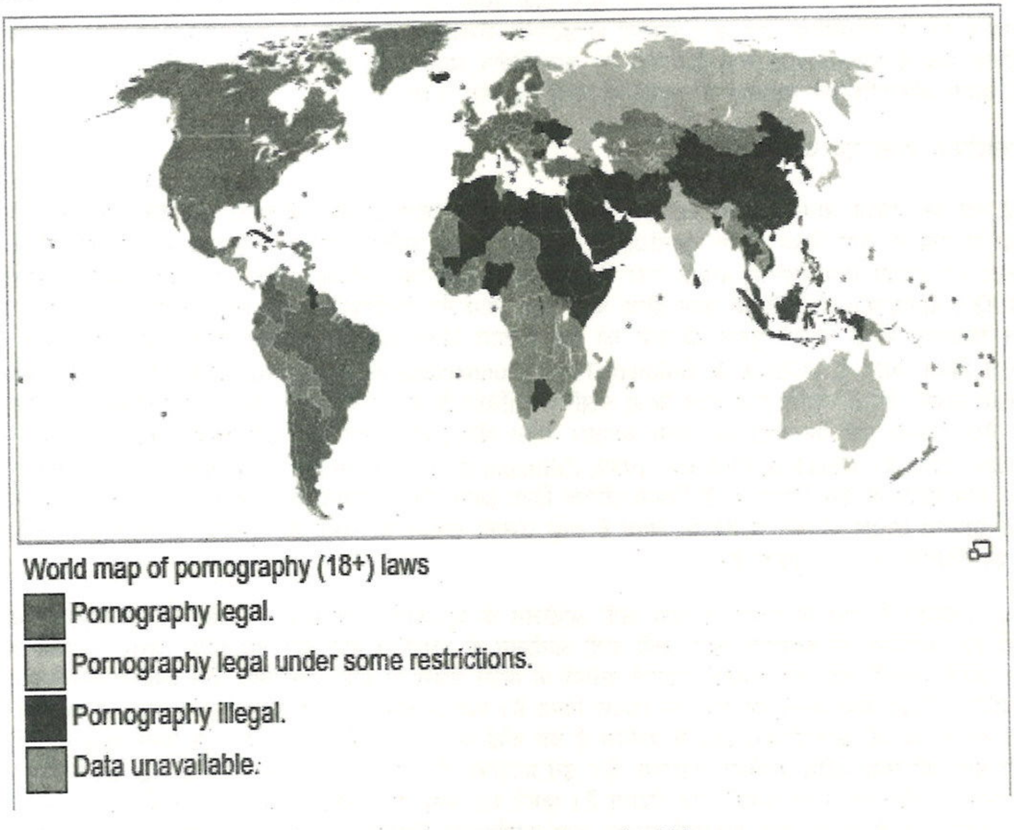

चित्र 3: *विभिन्न देशों में वयस्क सामग्री संबंधी कानून*
(स्रोत: *nuclearvacuum, 2010*)

इन सब के साथ ही अत्यंत ही खर्चीले इस पूरी कवायद की सफलता संदिग्ध है क्योंकि तकनीकी रूप से छद्म (प्रॉक्सी) सर्वरों का उपयोग कर प्रतिबंधित वेबसाइटो को देखा जा सकता है। अक्सर प्रतिबंधित साइट एक नये नाम से अस्तित्व में आ जाते हैं इस संबंध में सावित्री भाभी नामक पात्र पर कार्टूनी वयस्क सामग्री की चर्चा उल्लेखनीय है। भारत में इस पर प्रतिबंध लगने के बाद यह फ्रांस से एक नये अवतार में निकलती है। साथ ही कई अन्य साइटों पर भी यह उपलब्ध है। (दूबे, 2010)। इसके अतिरिक्त सर्वर के छानकों (फिल्टर) को डोमेन नेम की

जगह आइ पी पता (दाशमिक या द्वी आधारिक) डाल कर भी लाँघा जा सकता है। थोड़े से तकनीक ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए टॉर (https://www.torproject.org/) का विकल्प भी है जो इंटरनेट के उपयोक्ता और उनके लक्षित साइट दोनों की पहचान छिपा सकता है। इंटरनेट सेंसरशिप को पार करने के अनेक अन्य तरीके वीकीपीडीया पर देखे जा सकते हैं। (Internet Censorship Circumvention)

इस संबंध में अक्सर चीन का उदाहरण भी दिया जाता है। परन्तु यहाँ यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि चीन की व्यवस्था केवल वयस्क सामग्री के नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है। चीन के राजनैतिक तंत्र की एक बड़ी आवश्यकता वैचारिक नियंत्रण की भी है और उस व्यवस्था में वयस्क सामग्रियों पर नियंत्रण उनकी विचार नियंत्रण वाली व्यवस्था को वैधता प्रदान करने में इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें ऐसे किसी समीकरण से परहेज करना चाहिए। वास्तव में विचारों की अभिव्यक्ति का मुद्दा एक ऐसा राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक मुद्दा है जिस पर नजर बनाये रखने की जरुरत है।

विचारों की अभिव्यक्ति बनाम इंटरनेट पर नियंत्रण

इंटरनेट पर नियंत्रण के मामले में भारत की छवि पाक साफ नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता की परंपरा के बावजूद समय समय पर राजनैतिक तथा अन्य कारणों से इंटरनेट सेंसरशिप होती रही है। कई मानकों में भारत को केवल आंशिक रूप में मुक्त दिखाया गया है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि पार्नोग्राफी के संबंध में उठाये गये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले के साथ गड्ड–मड्ड न हो।

कामोद्दीपक कला एवं जन संस्कृति

कई बार इन वयस्क सामग्रियों का यह कह कर समर्थन किया जाता है कि रति कला (इरोटिका) को एक फिल्म विधा के रूप में काम क्रिया चित्रण (पार्नोग्राफी) से अलग करना चाहिए। वास्तव में वयस्क सामग्री की प्रकृति के आधार पर इसकी तीन श्रेणियां बनायी गयी हैं: रति कला (इरोटिका), हेयता दर्शाने वाले काम क्रिया चलचित्रण (डिग्रेडिंग पार्नोग्राफी) तथा हिंसक काम क्रिया चलचित्रण (वायोलेंट पार्नोग्राफी)। रति कला (इरोटिका) का अर्थ ऐसे चल चित्रांकन से है जिसमें पुरूष या स्त्री को हेय दिखाये बिना, सहमति आधारित हिंसा रहित रति क्रिया को प्रस्तुत किया जाता है, (Check & Guloien, 1989; Donnerstein & Berkowitz, 1981; Fisher & Barak, 1989) जबकि हेयता दर्शाने वाले काम क्रिया चलचित्रण (डिग्रेडिंग पार्नोग्राफी) को जिसमें लोगों विशेषकर महिलाओं को हेय, निचले स्तर का तथा अमानवीय व्यवहार सहन और पसंद करते तथा इस चित्रण को सही करार देते दिखाया जाता है। (Check & Guloien, 1989; Zillmann & Bryant, 1989) हिंसक काम क्रिया चलचित्रण का अर्थ काम क्रिया के ऐसे चित्रण से है जिसमें लैंगिक हिंसा (आम तौर पर पुरुषों का महिलाओं के प्रति) को उपयोगी तथा सामान्य आचार के रूप में दर्शाया जाता है तथा उसकी संस्तुत की जाती है। दुर्भाग्य से यह मामला नारीवाद के एक विक्षेपित रूप से जुड़ता है।

Levy (2005) ने साठ के दशक में नारी वादी आंदोलन के शुरूआती आकांक्षाओं, प्लेबोआ जैसे व्यापारिक स्वार्थों द्वारा इस आंदोलन को हथियाये जाने, नारी वादी आंदोलन के विखंडित होने और तथाकथित उत्तर नारीवाद काल और उसमें उभरती नई जन संस्कृति जिसमें स्त्रीयों के अपने सेक्स के प्रति बंधनरहित होने और शारीरिक प्रदर्शन आधारित प्रसिद्धि प्राप्त करने की होड़ का चित्रण किया है। ष्यह आश्चर्य नहीं कि इसके पुरुष दर्शक हैं आश्चर्य की बात यह है कि जो आबादी इस होड़ में शामिल है वह कोई स्ट्रीपर या पैसे के लिए प्रदर्शन करने वाले नहीं है, ये छुट्टी मना रही मध्य वर्गीय कालेजी लड़कियां हैं।" इन प्रदर्शको की उम्र लगातार कम होती जा रही है। वे नारीवादी आंदोलन के विखंडन में ही इसकी जड़े देखती हैं। ष्हमने वह समय पीछे छोड़ दिया जहाँ हम केवल यह मानते थे और सम्मान करते थे कि कुछ महिलायें कामुक तथा प्रदर्शनवादी दिखना पसंद करती हैं और यह निर्णय ले लिया हैं कि सभी महिलाएँ जो काम उन्मुक्त हैं उन्हें स्ट्रीपर तथा पॉर्न स्टार की नकल करनी चाहिए।

इस प्रकार कामुकता का चित्रण एक राजनीतिक मुद्दा भी है। अनेक महिलाएँ ऐसा विश्वास करती हैं कि सेक्स का उन्मुक्त आनंद लेने का अर्थ वैसे ही आनन्द लेने से है जैसा पुरुष लेते हैं। वे तथाकथित रूप से ष्गर्लिस गर्ल" दिखना नापसंद करती हैं और अपने पुरुष समान गुणों का दम्भ भरती हैं। ये वयस्क सामग्री देखने तथा उसमें हिस्सा लेने को अपना अधिकार मानती है। दूसरी ओर वे महिलाएँ हैं जो आदर्श रूप से वैसा ही दिखना चाहती हैं जैसा महिलाओं से अपेक्षित है। इन सब के बीच महिला उन्मुक्ति का मूल मामला लुप्त हो जाता है जो नारीवाद का मूल लक्ष्य था और महिलाओं की अपनी पहचान की बात करता था।

वास्तव में यह मुद्दा कामोद्दीपक कला के कला होने या न होने का नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति के कामोन्मुखीकरण का है, जिसमें बाजार, उपभोक्तावाद तथा कामुकता का मिश्रण है। जिसमें आनन्द की जगह, आनन्द के दिखावा है। यह कामुकता भावनात्मक नहीं साँचे में ढली सी, सही आकार और रंगों के लिए किसी सर्जन के चाकू से उधार ली गई कामुकता है। इस "गर्ल गौन वाइल्ड" (साफ्ट पार्न प्रदान करने वाली एक लोकप्रिय इंटरनेट कंपनी) संस्कृति का दवाव मुख्य धारा की मीडिया पर विशेषकर सीने जगत तथा टेलीविजन पर भी पड़ता है और लगातार निर्वस्त्र एवं अंतरंग होते दृश्यों के रूप में आयु लिंग के फर्कों से बेपरवाह पूरी आबादी पर थोप दिया जाता है।

वयस्क सामग्री से संबंधित भारतीय कानून

भारत में पर वयस्क सामग्री निर्मित करना, वितरित करना अपराध है, हालाँकि इसे देखने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है यदि उसमें बच्चों का अश्लील चित्रण न हुआ हो। सूचना तकनीकी कानून के अध्याय XI में ऑनलाइन वयस्क सामग्रियों के चित्रण को स्पष्ट तौर पर दण्डनीय अपराध कहा गया है। भारतीय दण्ड संहिता 293 स्पष्ट तौर पर अल्प वयस्कों को वयस्क सामग्री बेचना अपराध बताया गया है। 2008 में इस कानून में संशोधन किया गया जिसमें अनुच्छेद 67B जोड़ा गया जिसके अनुसार किसी प्रकार से बच्चों का अश्लील चित्रण जिसमें एमी (कार्टून चित्रण की जापानी कला) भी शामिल है को देखना, कम्प्यूटर में उतारना, चित्रण करना तथा प्रकाशित करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। बच्चों के साथ यौन दुराचार के चित्रण को देखने वालों को पाँच साल की कैद अथवा चालिस लाख रूपया जुर्माना देना पर सकता है। परन्तु इस कानून के व्यवहारिक रूप से पालन होने पर कई सबाल उठे हैं।

सामान्य निष्कर्ष

- Levine, 2002 ने लिखा है कि युवाओं का काम जीवन वयस्कों के काम जीवन की तरह ही न तो लैंगिक रूप से समानतावादी, न ही आनन्ददायक और न ही सुरक्षित है।
- मुख्यधारा की मीडिया में कामोद्दीपक दृश्यों के खुलेपन के लगातार बढ़ते जाने के साथ ही केवल इंटरनेट ही युवाओं के लिए कामुक दृश्यों का एकमात्र साधन नहीं है, लेकिन यह निजी तौर पर सामान्य तथा विकृत कामुक सामग्री के निर्बाध और कभी खत्म न होने वाला स्रोत है।
- इंटरनेट पर दर्शकों के आयु निर्धारण कर सामग्री दिखाने की कोई विश्वसनीय व्यवस्था नहीं है। एकमात्र नियंत्रण शुल्क वाले साइटों का है, लेकिन वहाँ भी पहले ही पेज पर मुफ्त में कुछ सामग्री उपलब्ध होती है।
- ऐसे किशोरो की भी बड़ी संख्या है जो इंटरनेट पर अनचाहे ही वयस्क सामग्री दिख जाती हैं।
- बच्चे अपने माता–पिता की तुलना में अधिक तकनीकी ज्ञान रखने वाले तथा इंटरनेट का ज्यादा उपयोग करने वाले हैं।
- मोबाइल वयस्क सामग्री के ज्यादा उपयोग किया जाने वाला स्रोत हैं। वर्तमान लेखक के एक सूचनादाता के अनुसार केवल मोबाइल के लिए गये कई वयस्क वेबसाइटो में भारतीय लोगो द्वारा बनाये गये काम दृश्य जिसमें बच्चों को भी शामिल किया जाता है बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। ये दृश्य मोबाइल कैमरे द्वारा लड़कों द्वारा बनाये जाते हैं जिनमें अक्सर इसे दूसरे साथी से छिपा कर रख दिया जाता है। कई बार किसी तीसरे की मदद भी ली जाती है।
- सस्ते चीनी मोबाइलों की बिक्री बढ़ाने के लिए इसके वितरक अक्सर इसमें वयस्क सामग्री प्री–लोड कर देते हैं। (Talwar, 2013)

भारतीय संदर्भ में अकादमीय अध्ययनों की आवश्यकता

कामुक चलचित्रण (पार्नोग्राफी) एक वैश्विक परिघटना है। इसे मानव तथा संचार माध्यम के बीच की अनुक्रिया के एक रूप में देखना चाहिए। इसका अध्ययन भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों में करना कठिन है लेकिन ऑनलाइन सर्वेक्षण आदि का प्रयोग कर इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसके अध्ययन के कई आयाम हैं जिसमें सामाजिक–सांस्कृतिक परिणामों से ले कर मनोभावनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। Fisher तथा Barak ने 2001 में किये गये एक अध्ययन में इस क्षेत्र में अध्ययन के लिए कई सुझाव दिये थे जो आज भी समीचीन हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है इंटरनेट पार्नोग्राफी की एक कार्यकारी परिभाषा देने की। इसके अभाव में यह

एक व्यक्तिगत चुनाव एवं मूल्यांकन का विषय बन जाता है, साथ ही विभिन्न अध्ययनों के मध्य तुलना करना कठिन हो जाता है। इंटरनेट पार्नोग्राफी के स्वरुप तथा प्रक्रिया का आकलन भी इसका एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। वयस्क सामग्रियों के वर्गीकरण का तरीका भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिस पर एक राय होनी चाहिए। पार्नोग्राफी के उपयोग के पूर्व तथा उत्तर स्थितियों के संबंध में मनोमिति (सायकोमेट्रिक) की क्षमता वाले टूल के विकास की भी आवश्यकता है। इंटरनेट सेक्स एडिक्शन के अध्ययन के लिए ऐसे उपकरणों की विशेष आवश्यकता होगी, हालाँकि पश्चिमी परिस्थितियों के लिए ऐसे कई टूल विकसित हुए हैं।

भारतीय परिस्थितियों में पार्नोग्राफी का अध्ययन कई अन्य आयाम भी जोड़ता है। सबसे पहला कि महिलाओं की सामाजिक रूप से हेय स्थिति के साथ मानव को उपभोक्ता वस्तु में बदलने वाली इस नई उपसंस्कृति के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगी। दूसरी उत्तर नारीवाद की हवा जिसमें पश्चिमी महिलाएँ ऐसा मानती है कि उन्होंने स्त्री शरीर के प्रदर्शन तथा स्त्री कामुकता को पुरुष कामुकता से मुक्त कर समलैंगिकता की प्रवृति के रूप में नारीवाद के संघर्ष के उद्देश्यों को पा लिया है, का भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर जब भारतीय सीने जगत इसे अपनी संजीवनी खुराक के रूप में देखता है।

नीति संबंधी निष्कर्ष

राष्ट्रीय नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी

भारतीयों द्वारा निर्मित वयस्क सामग्री मुख्यतः महिलाओं की सहमति के बिना बनाया गया गैर कानूनी उत्पाद है, इस पर उपलब्ध कानूनी दायरे में कार्यवाही की लचर प्रक्रिया को दुरुस्त करना चाहिए।

पार्नोग्राफी के संबंध में भारतीय नीति पर विमर्ष की आवश्यकता है। अमेरिकी कानूनो के अनुसार अल्पवयस्कों के लिए जिसे अश्लील करार दिया जाए वह वयस्कों को बिलकुल सहजता से उपलब्ध होना चाहिए। भारत में भी व्यवहारतः हम ऐसा ही करते हैं। क्या ऐसा करना हमारी जरुरत है? यह मनो वैज्ञानिक तथ्य भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों को अल्पवयस्को को वंचित किया जाता है वह उनके लिए आकर्षण का केन्द्र होता है। क्या पार्नोग्राफी देखने पर ही प्रतिबंध होना चाहिए अथवा नहीं? वास्तव में इसके वैश्विक फैलाव को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझ बनानी चाहिए।

राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को IPv4 से IPv6 में रुपांतरण की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। ताकि प्रत्येक उपकरण के लिए एक स्थायी इंटरनेट प्रोटोकॉल पता मिल सके और सभी उपकरणों के गतिविधियों की निगरानी आसान हो सके। वर्तमान समय में IPv6 के समर्थन का स्तर काफी नीचे है। (IPv6 in India)

मीडिया कौशल का शिक्षण को सभी विद्यालयी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए। जिसमें मीडिया के इस्तेमाल तथा उससे जुरी सावधानियों के साथ–साथ उनकी सीमाओं तथा गलत प्रयोगो की जानकारी दी जा सके।

सेक्स एजुकेशन के संबंध में भी उपयुक्त नीति बननी चाहिए।

राष्ट्रीय नेताओं के लिये पार्नोग्राफी पर नियंत्रण संबंध में तकनीकी विकल्पों का अभाव नहीं है। वयस्क सामग्री तक पहुँचने का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम खोजी इंजन हैं। खोज का आग्रह किये जाने पर वे उन शब्दों या पदों चित्रों को अपने पूरे डाटा बेस (अनुक्रमणिका) से मिलान कर उन सभी वेबसाइटो की कड़ी प्रदान कर देते हैं जहाँ उनकी संदर्भित सामग्री उपलब्ध हैं। ये अनुक्रमिकायें काफी बड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए गूगल की अनुक्रमणिका 100,000,000 गीगाबाइट से भी अधिक हो गई है, जिसे बनाने में एक मिलियन से भी अधिक कंप्यूटिंग घंटे खर्च किए गये हैं। (क्रॉलिंग और अनुक्रमण, 2015)। तकनीकी रूप से ऐसा संभव है कि ऐसे कोड (अल्गोरिद्म) विकसित किये जायें जो खोज सूची से उन परिणामों को हटा दें। गूगल ने बाल अश्लीलता से संबंधित खोजो में ऐसा सफलतापूर्वक किया है। (Dixon, 2013) इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय बहस चला कर इसे अश्लीलता पर नियंत्रण के दायरे को बढ़ाया जा सकता है।

इंटरनेट मुक्ति और स्वतंत्रता के वायदों के बावजूद लिंग निरपेक्ष नहीं है। यहाँ वास्तविक संसार की तरह ही महिलाओं को पर्दे में रहना जरुरी है। कई लेखकों ने यह बात जोर देकर कही है कि नई मीडिया एवं तकनीकी

अपने आप में उन्मुक्ति की क्षमता नहीं रखती, अधिकांशतः यह समाज में पहले से विद्यमान विषमताओं को अपने साथ ले आती है। इसलिये नयी मीडिया के व्यापक शिक्षण द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

वृहद समुदाय की जिम्मेदारी

अमेरिका में मोरालिटी इन मीडिया जैसी संस्थाएं पिछले पाँच दशक से भी ज्यादा समय से सक्रिय हैं। ये मीडिया तथा जन स्थानों में वयस्क सामग्री के प्रयोग का विरोध करती हैं। इंटरनेट पर गैर कानूनी वयस्क सामग्री का विरोध करने तथा जागरुकता फैलाने के लिये चवतदींतउण्बवउ की वेबसाइट चलाती है। यह वयस्क सामग्री कानूनी मामलों पर भी नजर रखती है और विपरीत फैसलो के परिणामों के बारे में लोगो को आगाह करती है। यूरोपीय देशों में भी ऐसी संस्थाएं सक्रिय हैं। भारतीय संदर्भ में भी ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है।

पार्नोग्राफी के संबंध में सरकार के अधिक समुदाय को सक्रिय होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में सबसे पहली आवश्यकता पार्नोग्राफी की एक भारतीय परिभाषा निर्धारित करने की है। क्या हमें पश्चिमी देशों के मानकों के अनुसार इसका निर्धारण करना चाहिए अथवा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना मानक निर्धारित करना चाहिए। सेक्स शिक्षा के संबंध में आम राय बनाने के संबंध में भी कार्य करने की आवश्यकता है। गैर सरकारी संगठनों को इस संबंध में जागरुकता बढ़ाने का प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए।

नारी संगठन इसे नारियो के शोषण के एक बड़े क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं जिसमें स्त्रीयों की अंतरंग तस्वीरो तथा चलचित्रों का उपयोग उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध तथा अधिक समझौते की स्थिति में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ अच्छी लड़की – बुरी लड़की की मानसिकता से बाहर निकल कर काम करने की आवश्यकता है।

इंटरनेट का आगमन इतना तीव्र और व्यापकता में हुआ है कि ये विचार करने से पूर्व कि हमें ये चाहिए या नहीं यह लगभग उन सभी के हाथों में पहुँच चुका है जो किसी रूप में डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसकी सामग्री का कुछ अंश इतना चौंकाने वाली है कि इसके संबंध में कोई गंभीर विमर्श नहीं हो पाता है। इसलिए छात्रों तथा मार्गदर्शकों को सही सेक्स शिक्षा की ओर उन्मुख करते हुए इस विषय पर सकारात्मक बहस आवश्यक है।

शिक्षकों / प्रशासको की जिम्मेदारी

शिक्षकों तथा प्रशासको को इस बारे में सजग होना चाहिए कि इंटरनेट उनके संस्थान में ही एक ऐसा माध्यम है जो कई तरह के अपराध का माध्यम भी हो सकता है। साथ ही साथ यह उनके प्रत्यक्ष निगरानी के बाहर भी रह सकता है। सबसे पहले शिक्षकों तथा प्रशासको को संस्थान में कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के उपयोग के संबंध में स्पष्ट नीति बनानी चाहिए।

इसका पहला और महत्त्वपूर्ण भाग कम्प्यूटर के उपयोग की निगरानी के संबंध में है। प्रशासको को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्प्यूटर लैब के उपयोग के समय एक कम्प्यूटर की तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कम्प्यूटर ट्रैफिक पर नजर रखे। विकल्प के तौर पर नेट नानी जैसे साफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है जो पार्नोग्राफी वेबसाइटो की पहुँच को रोक देता है।

आई सी टी का प्रशिक्षण और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। आम तौर पर ऑफिस तथा इंटरनेट के आधारिक कौशलों को सीखा देने को ही पर्याप्त मान लिया जाता है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। कई ऐसे विकल्प हैं जो खोजी इंजनो के सेटिंग्स में उपलब्ध हैं और उपयोक्ता को अवांक्षित स्थितियों से बचा सकते हैं। जैसे गूगल की सेफ सर्च फिल्टर जैसे विकल्पों का चयन करना चाहिए, हालाँकि यह सेटिंग्स इनकागनिटो ब्राउजिंग में काम नहीं करती फिर भी यह उपयोक्ता को यह विकल्प देती है कि वह अपने खोज परिणामों में किसी अवांक्षित परिणाम से बच सके। अन्य सर्च इंजनो में भी ऐसे विकल्प उपलब्ध हैं। डकडकगो जैसे मुक्त सामुदायिक सर्च इंजन इस मामले में ज्यादा कारगर हैं और यह इनकागनिटो सेटिंग्स में भी काम करता है।

माता–पिता की जिम्मेदारी

माता–पिता का यह समझना चाहिए कि जितनी आवश्यकता बच्चो तथा किशोरो को कम्प्यूटर तथा इंटरनेट की है उतनी ही आवश्यकता उनके उपयोग के निर्देशन तथा निगरानी की है। विशेषकर परिपक्वता का अभाव होने पर बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया पर विपरीत असर प्रड़ सकता है।

माता–पिता को डिजिटल डेवायसों के बारे में भी सजग होना चाहिए। उन्हें यह बात समझना और समझाना चाहिए कि किसी भी डिजिटल कैमरे या कम्प्यूटर पर रिकार्ड की कोई चीज आसानी से उपलब्ध डिलिट या परमानेट डिलिट के विकल्पों द्वारा नहीं हटती बल्कि इसके लिये विशेष साफ्टवेयर द्वारा उस फाइल के स्थान पर सैकड़ो बार नये फाइल लिख कर उसके फिर से प्राप्त करने की संभावना को समाप्त कर सकते हैं।

माता–पिता को अपने किशोरो के सहपाठी समूह विशेषकर अंतरंग मित्रों के बारे में तथा उनकी गतिविधियों के बारे में भी सजग होना चाहिए। उन्हें बच्चों के नये लोगों से होने वाली मित्रता विशेषकर कम्प्यूटर के माध्यम से होने वाली मित्रता के बारे में सजग होना चाहिए।

माता पिता को इस संबंध में भी जागरुक होना चाहिए कि इंटरनेट पर किसी भी तरह के खाते इ–मेल या सोशल साईट की न्यूनतम आयु 13 वर्ष है। माता पिता को इंटरनेट ब्राउजरों के सेटिंग्स के बारे में भी जानना चाहिए। विशेषकर यह तथ्य कि इन ब्राउजरों में इनकागनिटो या प्राइवेट ब्राउजिंग जैसे विकल्प उपलब्ध हैं जिसमें सर्च इंजनो का सेफ सर्च फिल्टर काम नहीं करता है तथा स्थानीय कम्प्यूटर पर इंटरनेट पर किये गये कार्यो का कोई निशान (इतिहास, कुकी आदि) नहीं छोड़ता है। उन्हें नेट नानी जैसे साफ्टवेयर के विकल्प रखना चाहिए जो किसी भी कम्प्यूटर की गतिविधि को कहीं से भी मोनिटर करना संभव बनाता है।

इस प्रकार यह बात गंभीरता और विस्तार से संज्ञान में लेना चाहिए कि युवाओं के लिए इंटरनेट के उपयोग में सावधानी आवश्यक है। विशेषकर किशोरों पर वयस्क सामग्रियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस संबंध में अकादमीय शोधों का विस्तार करने की आवश्कता है जिसमें भारतीय संदर्भ में पार्नोग्राफी के उपयोग की परिस्थितियों तथा किशोरो एवं अल्पवयस्को पर उसके परिणामों का आकलन किया जाना चाहिए। वृहद समुदाय से लोगों को इस विषय पर लोगो को जागरुक करने तथा पार्नोग्राफी के संबंध में भारतीय वृति निर्धारित करने के लिए पहल करनी चाहिए। महिला अधिकारो पर काम करने वाले लोगों को भी इस दिशा में सक्रिय हो कर पीडित महिलाओं की सहायता एवं पुनर्वास के लिए कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को भी इसके नियंत्रण की दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्हे ऐसे तकनीकी साधन अपनाने चाहिए जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई गंभीर प्रभाव पड़े बिना पार्नोग्राफी को युवाओं तथा किशोरो की पहुँच से दूर रखा जा सके। परन्तु इस दिशा में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका माता की है जिन्हें अपने बच्चो का सही मार्गदर्शन करते हुए इंटरनेट का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।

संदर्भ

हाल ही में मोदी सरकार ने इस हलफनामे को उलटने हुए पार्नोग्राफी को फिल्टर करने की बात की है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस आलेख में चर्चित गये सावधानियों क साथ इसे पूरा करना संभव है अथवा नहीं।

Anand, U. (April 28, 2014 12:31 am) Can't ban pornography on Internet: Govt. to SC. Indian Express (Delhi) http://indianexpress.com/article/india/politics/cant-ban-pornography-on-internet-govt-to-sc/

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. [As quoted in Fisher, W A., & Barak, A. (1989)]

Barak, A., Fisher, W.A., Belfry, S. & Lashambe, D.R. (1999). Sex, Guys, and Cyberspace. *Journal of Psychology & Human Sexuality.* 11:1, 63-91, DOI: 10.1300/J056v11n01_04

Byrne, D. (1977). Social psychology and the study of sexual behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin,* 3, 3-30. As quoted by Fisher and Barak (1989).

Check, J.V.P., & Guloien, T.H. (1989). Reported proclivity for coercive sex following repeated exposure to sexually violent pornography, non-violent dehumanising pornography, and erotica. In D. Zillmann & J. Bryant (Eds.), *Pornography: Research advances and policy considerations* (pp. 159-184). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Check, J., & Malamuth, N. (1985). Pornography and sexual aggression: A social learning theory analysis. In M. McLaughlin (Ed.), Communication yearbook 9 (pp. 181-213). Beverly Hills, CA: Sage.

Deshpande S. (2009-02-16). "Browsing child porn will land you in jail". Timesofindia.indiatimes.com. Retrieved 2009-10-16. as quoted in http://en.wikipedia.org/wiki/Pornography_in_India Retrieved January 4, 2015.

Dixpon, H. (18 Nov. 2013). Google vows to block child pornography. The Telegraph.http://www.telegraph.co.uk/technology/google/10456445/Google-vows-to-block-child-pornography.html

Donnerstein, E., & Berkowitz, L. (1981). Victim reactions in aggressive erotic films as a factor in violence against women. *Journal of Personality and Social Psychology*, 41, 710-724.

Dubey.S.(02/02/201013:26:00) भाभी हुई किताबी. Tehelka Hindi. http://www.archive.tehelkahindi.com/feed/indinoo/international/508.txt

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior. An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Fisher W.A. & Barak A. (2001) Internet pornography: a social psychological perspective on internet sexuality. *Journal of Sex Research*. 38, 312–323.

Fisher, W.A., & Barak, A. (1989). Sex education as a corrective. In D. Zillmann & J. Bryant (Eds.), Pornography. Research advances and policy considerations (pp 289-320). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Internet censorship circumvention. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship_circumvention

https://www.torproject.org Other relevant websites are http://www.onion-router.net/; https://tor2web.org/

Internet Pornography Statistics. http://www.internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html (as assessed on January 5, 2015)

IPv6 in India. http://ipv6-test.com/stats/country/IN (assessed on 5th January 2015)

Kühn, S. & Gallinat J. (2014). *Brain Structure and Functional Connectivity Associated With Pornography Consumption: The Brain on Porn.* JAMA Psychiatry, 71(7), 827-34.

Levine, J. (2002). *Harmful to Minors: The Perils of Protecting Children from Sex.* Minneapolis: University of Minnesota Pres.

Levy, A. (2005). *Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture.* Melbourne: Schwartz.

Malamuth, N.M., Christopher, L.H., Linz, D. (1996). The confluence model of sexual aggression: combining hostile masculinity and impersonal sex. The Howorth Press. http://www.sscnet.ucla.edu/comm/malamuth/pdf/96JOR23.pdf

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K.W., & Larsson, M. (2013). Pornography consumption, sexual experiences, lifestyles, and self-rated health among male adolescents in Sweden. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, *34*(7), 460-468.

Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K.W., & Larsson, M. (2014) Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 35*(3), 179-88.

Mitchell, K.J., Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Trends in youth reports of sexual solicitations, harassment and unwanted exposure to pornography on the internet. *Journal of Adolescence Health*, 40, 116-126.

NDTV (December14, 2012). Sunny success: How adult websites make money. http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-sunny-success-how-adult-websites-make-money-314736

Nuclear Vacuum (14July, 2010). World map of pornography (18+) laws. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pornography_laws.svg

Paul, B. & Shim, J.W. (2008). Gender, Sexual Affect, and Motivations for Internet Pornography Use. *International Journal of Sexual Health*, Vol. 20(3), 187-199.

Sabina, C., Wolak J.D., J., & Finkelhor, D. (2008). The nature and dynamics of internet pornography exposure for youth. *Cyberpsychology & Behavior.* 11(6).691-3.

Svedin, C.G. & Priebe, G. (2007). Selling sex in a population-based study of high school seniors in sweden: demographic and psychosocial correlates. Arch Sex Behav. 36. 21-32.

Svedin CG, Akerman I, & Priebe G.(2011). *Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents*. Journal of Adolescence. 34. 779-88.

Talwar. R. (2013). Courting Injustice – The Nirbhaya Case and its Aftermath. New Delhi: The Hay House Publishers (India) Private Ltd.

Wallmyr G, & Welin C.(2006). Young people, pornography, and sexuality: sources and attitudes. J Sch Nurs. 22(5). 290-5.

Wondracek, G., Holz, T., Platzer, P., Kirda, K. & Kruegel, C.(2010), Is the Internet for Porn? An Insight Into the Online Adult Industry. http://iseclab.org/papers/weis2010.pdf

Zillmann, D. (1971). Excitation transfer in communication-mediated aggressive behaviour. *Journal of Experimental Social Psychology.*,7, 419-434.

Zillmann, D., & Bryant, J. (1984). Effects of massive exposure to pornography. In N.M. Malamuth & E. Donnerstein (Eds.), *Pornography and sexual aggression* (pp. 115-138). Orlando, FL: Academic Press.

क्रॉलिंग और अनुक्रमण–खोज की दुनिया–Google (n.d.). Retrieved January 4, 2015, from http://www.google.co.in/intl/hi/insidesearch/howsearchworks/crawling-indexing.html

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 67-73.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार।

बच्चों में भावात्मक संबंधों के विकास पर उनके द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों के प्रभाव का अध्ययन

मीना शर्मा
सहायक आचार्य,
शिक्षक शिक्षा विभाग,
स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर–242226
ईमेल–meenasharmaspn@gmail.com

सारांश: *प्रस्तुत अध्ययन में बच्चों के भावात्मक बन्धनों के विकास पर कहानी सुनने के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन हेतु शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र के 10 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में से एक तिहाई अर्थात 3 स्कूलों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा करते हुए उनमें से कहानी सुनने वाले 70 तथा कहानी न सुनने वाले 50 बच्चों का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया। आंकड़ों का संकलन करने हेतु स्वनिर्मित परीक्षण का प्रयोग किया गया तथा आँकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन तथा टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष निकला कि कहानी सुनने का भावात्मक बन्धनों के विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।*

प्रस्तावना

कोई भी देश तब तक समृद्व नहीं हो सकता, जब तक वहां के बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगें, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। बच्चे वह नींव होते हैं जिसके आधार पर एक सभ्य, सुसंस्कृत, सुचारित्र, प्रणम्य राष्ट्र का निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है जिन बच्चों को प्रारम्भ में ही उचित प्रोत्साहन व संरक्षण प्राप्त हुआ उन्होंने आगे चलकर काल के कपाल पर अपने अमिट हस्ताक्षर अंकित किए हैं। परन्तु यदि बच्चों का प्रारम्भ में उचित निर्देशन न दिया जाए तो उनका और उनके साथ–साथ सम्पूर्ण राष्ट्र का भविष्य प्रभावित हो सकता है।

बच्चों के प्रारम्भिक विकास में कहानियां बहुत सहायक सिद्ध हो सकती हैं। क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही कहानियों में रूचि रखते हैं। कहानियाँ बच्चों को बहुत खुशी देती हैं, उनकी कल्पना शक्ति का प्रसार करती हैं एवं उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास करती हैं। महान दार्शनिक अरस्तू ने कहानियों के महत्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि–

अगर बच्चों को उनकी जिज्ञासा शान्त करने वाली कहानियां सुनायी जाएं तो उनकी उधम एवं तोड़फोड़ करने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है।

सम्बन्धित साहित्य

अनिल गोड़बोले (1988) ने बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में कहानियों के महत्व का अध्ययन किया।
मजूमदार (1990) ने प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रत्यय निर्माण पर कहानी सुनने के प्रभाव का अध्ययन किया।
स्टैन कोकी (1998) ने कहानी कहनाः शिक्षा का हृदय और आत्मा विषय पर शोध पत्र लिखा।
श्रीकांत गुज्जर (2002) ने कहानी कहनाः बच्चे के व्यक्तित्व विकास का एक माध्यम विषय पर शोध पत्र लिखा।
इस्बैल, सोबोल, लिंडौर तथा लारेंस (2004) ने तीन से पांच वर्ष के बच्चों की भाषा योग्यता एवं बोध क्षमता के विकास पर कहानी सुनने और पढ़ने के प्रभाव का अध्ययन किया।
हेवन तथा डकी (2007) ने कहानी सुनाने पर पाठ्यक्रम निर्मित किया।
अग्निहोत्री (2008) ने अपने लेख 'कहानी सुनाने के बाद' मे कहानी सुनाने के लाभ के बारे में बताया है।
पाण्डे (2010) ने 'पढ़ दो एक कहानी' विषय पर लेख लिखा।
अब्दुल्ला (2012) ने शाब्दिक ग्राह्यता पर कहानी सुनने के प्रभाव का अध्ययन किया।
माह्या यारिगारवेश (2013) ने पूर्व विद्यालयी बच्चों की शाब्दिक बुद्धि पर कहानी सुनने या पढ़ने के प्रभाव का अध्ययन किया।

अध्ययन के सैद्धान्तिक आधार

प्राचीन काल में संयुक्त परिवारों में रहते हुए बच्चे अपने दादा–दादी, नाना–नानी आदि से अनेक प्रकार की कहानियां सुनते थे और उन बच्चों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ भावात्मक जुड़ाव भी अत्यधिक पाया जाता था, परन्तु आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों ने ले लिया है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में माता–पिता के पास इतना समय ही नहीं है कि वे बैठकर अपने बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाएं। आज के समय में कहानियों का स्थान कार्टून शोज ने ले लिया है जिनका सर्वथा बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है।

परन्तु फिर भी कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ बच्चों को कहानियां सुनायी जाती हैं, हम इस अध्ययन से यह पता लगाया है कि ये कहानियां आज भी बच्चों के भावात्मक बन्धनों पर अपना प्रभाव डालती हैं अथवा नहीं। इस अध्ययन द्वारा हम ने यह भी देखा कि कहानियों का बच्चों के भाावात्मक बन्धनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन से पूर्व भी कहानियों का बच्चों के व्यतिव विकास, प्रत्यय–निर्माण, भाषा योग्यता एवं बोध क्षमता के विकास एवं शाब्दिक ग्राह्यता पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है परन्तु भावात्मक बन्धनों के विकास पर कहानी सुनने के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है। अतः शोधार्थी ने उपर्युक्त विषय पर शोध कार्य किया है।

समस्या कथन

बच्चों में भावात्मक बन्धनों के विकास पर उनके द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों के प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कक्षा छः के बच्चों के भावात्मक बन्धनों के विकास का अध्ययन करना।
2. कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों की तुलना करना।
3. कहानी सुनने वाले लड़कों तथा कहानी न सुनने वाले लड़कों के भावात्मक बन्धनों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. कहानी सुनने वाली तथा कहनी न सुनने वाली लड़कियों के भावात्मक बन्धनों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले संयुक्त परिवार के बच्चों के भावात्मक बनधनों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले एकल परिवार के बच्चों के भावात्मक बन्धनों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

परिकल्पनाएं (शून्य प्रभाव रूप में)

1. कहानी सुनने वाले बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. कहानी सुनने वाले लड़कों तथा कहानी न सुनने वाले लड़कों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कहानी सुनने वाली लड़कियों तथा कहानी व सुनने वाली लड़कियों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. कहानी सुनने वाले संयुक्त परिवार के बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले संयुक्त परिवार के बच्चों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. कहानी सुनने वाले एकल परिवार के बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले एकल परिवार के बच्चों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत अनुसंधान विश्लेषणात्मक प्रकृति का सर्वेक्षण आधारित सूक्ष्म अनुसंधान है। इसके अन्तर्गत शाहजहाँपुर जनपद के कक्षा छः के बच्चों द्वारा सुनी जाने वाली कहानियों का उनके भावात्मक बन्धनों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समंक निर्मित किए गए हैं तथा अनुसंधान के उद्देश्यों एवं परिकल्नाओं के अनुरूप उन्हें वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करके उपयुक्त संख्यिकीय तकनीकों के द्वारा मूक समंकों को भाषा प्रदान करके निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं।

समष्टि तथा न्यादर्श

प्रस्तुत अनुसंधान में शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र के सभी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा छः के बच्चों को समष्टि के रूप में लिया गया है। शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र में कुल 10 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें कक्षा छः में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को समष्टि के रूप में लिया गया है।

प्रस्तुत अनुसंधान हेतु न्यादर्श का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है। जिसके अन्तर्गत शाहजहाँपुर जनपद के नगर क्षेत्र में स्थित कुल 10 सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में से एक तिहाई संढया का चयन लॉटरी विधि से किया गया है। इस प्रकार कुल तीन विद्यालयों के कक्षा छः के सभी विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध कार्य में बच्चों द्वारा सुनी जाने वाले कहानियों का उनके भावात्मक बन्धनों पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्वनिर्मित भावात्मक बन्धन परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

अंकन प्रक्रिया

भावात्मक बन्धनों से सम्बन्धित प्रश्नों के प्रति व्यक्त की गयी बच्चों की प्रतिक्रिया को अंकात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक सकारात्मक विकल्प को एक तथा प्रत्येक नकारात्मक विकल्प को जीरो प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए भावात्मक बन्धनों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं के योग के आधार पर उसके भावात्मक बन्धनों का निर्धारण हुआ।

प्रदत्त संचयन तथा विश्लेषण

शोध में प्रयुक्त भावात्मक बन्धन परीक्षण से सम्बन्धित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए शोधकर्त्ता ने शाहजहाँपुर जनपद को नगर क्षेत्र में स्थित न्यादर्श के रूप में चयनित तीनों विद्यालयों में जाकर कक्षा छः में पढ़ने वाले बच्चों से सामन्जस्य स्थापित किया एवं परीक्षण को भरने का तरीका बताकर बच्चों से परीक्षण को भरवाया।

परिकल्पना परीक्षण

कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में अन्तर की सार्थकता को जांच के लिए परिकल्पना निर्मित कर टी–परीक्षण विधि का प्रयोग करके उनके मध्य अन्तर की सार्थकता की जाँच की गयी है।

परिकल्पना 1

कहानी सुनने वाले बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पना के परीक्षण हेतु दोनों समूहों के भावात्मक बन्धन प्राप्तांकों के औसत अलग–अलग ज्ञात करके उनके बीच सार्थकता की जांच के लिए तो परीक्षण का प्रयोग किया गया है। इस सन्दर्भ में परिगणित मूल्य तालिका संख्या 01 में निदर्शित है–

तालिका 1

परिगणित मूल्य	भावात्मक बन्धन प्राप्तांक	
	कहानी सुनने वाले बच्चे	कहानी न सुनने वाले बच्चे
माध्य (M)	15.89	6.72
प्रमाप विचलन (S.D.)	2.55	5.45
संख्या (N)	70	50
प्रमाप विभ्रम (SED)	0.83	
माध्य अन्तर ($M_1 + M_2$)	9.17	
क्रान्तिक अनुपात (C.R.)	11.04	
स्वतन्त्रांश (df)	118	
सारणी मूल्य (0.01 सार्थकता स्तर पर)	2.62	
अन्तर	11.04 > 2.62 (सार्थक)	
निष्कर्ष	परिकल्पना अस्वीकृत	

तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धन प्राप्तांकों का माध्य क्रमशः 15.89 तथा 6.72 हैं। माध्यों के अन्तर 9.17 में परिगणित प्रमाप विभ्रम मूल्य 0.83 से भाग देने पर टी. मूल्य प्राप्त हुआ है जो कि 11.04 है। टी. का परिगणित मूल्य स्वतंत्रयांश 118 पर 1 प्रतिशत सार्थकता स्तर के लिए टी. के निर्धारित तालिका मूल्य 2.62 से अधिक है। अतः माध्यों में सार्थक अन्तर है। इस सन्दर्भ में निर्मित परिकल्पना अस्वीकृत होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर है।

परिकल्पना 1, 2, 3 तथा 4

अध्ययन के लिए चार उपपरिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है जिनके सन्दर्भ में परिगणित मूल्य तालिका 2 में प्रदर्शित हैं–

तालिका 2

परिगणित मूल्य	उपपरिकल्पना							
	1		2		3		4	
	लड़के		लड़कियाँ		संयुक्त परिवार		एकल परिवार	
	कहानी सुनने वाले	कहानी न सुनने वाले	कहानी सुनने वाली	कहानी न सुनने वाली	कहानी सुनने वाले	कहानी न सुनने वाले	कहानी सुनने वाले	कहानी न सुनने वाले
संख्या (N)	40	22	30	28	43	17	27	33
माध्य (M)	15.5	8.18	16.4	5.57	13.72	7.65	15.63	6.24
प्रमाप विचलन (S.D)	2.65	1.23	2.45	4.30	2.4	6.45	3.85	4.88
प्रमाप विभ्रम (SED)	0.35		094		1.65		0.11	
माध्य अन्तर (M_1+M_2)	7.32		10.83		6.07		9.39	
क्रान्तिक अनुपात (C.R.)	20.91		11.52		3.68		8.54	
स्वतंत्रांश (df)	60		56		58		58	
सारणी मूल्य (0.01 सार्थकता स्तर)	2.66		2.66		2.66		2.66	
अन्तर	20.91>2.66 (सार्थक)		11.52>2.66 (सार्थक)		3.68>2.66 (सार्थक)		8.54>2.66 (सार्थक)	
परिकल्पना	अस्वीकृत		अस्वीकृत		अस्वीकृत		अस्वीकृत	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपपरिकल्पना–1, 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत सिद्ध होती है क्योंकि क्रान्तिक अनुपात का परिगणित मूल्य 20.91 तालिका मूल्य 2.66 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है तथा यह कहा जा सकता है कि कहानी सुनने वाले लड़कों और कहानी न सुनने वाले लड़कों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर पाया जाता है। मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कहानी सुनने वाले लड़कों के भावात्मक बन्धन कहानी न सुनने वाले लड़कों की अपेक्षा अधिक मजबूत हैं क्योंकि कहानी सुनने वाले लड़कों का मध्यमान (15.5) कहानी न सुनने वाले लड़कों के मध्यमान (8.18) से अधिक है।

उपपरिकल्पना–2, भी 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत सिद्ध होती है क्योंकि क्रान्तिक अनुपात का परिगणित मूल्य 11.52 तालिका मूल्य 2.66 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है तथा यह कहा जा सकता है कि कहानी सुनने वाली लड़कियों और कहानी न सुनने वाली लड़कियों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर पाया जाता है। मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कहानी सुनने वाली लड़कियों के भावात्मक बन्धन कहानी न सुनने वाली लड़कियों की अपेक्षा अधिक मजबूत हैं क्योंकि कहानी सुनने वाली लड़कियों का मध्यमान (16.4) कहानी न सुनने वाली लड़कियों के मध्यमान (5.57) से अधिक है।

उपपरिकल्पना–3, जिसमें संयुक्त परिवार के कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों की तुलना की गयी है भी 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत सिद्ध होती है क्योंकि क्रान्तिक अनुपात का परिगणित मूल्य 3.68 तालिका मूल्य 2.66 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों और कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर पाया जाता है। मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि संयुक्त परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धन कहानी न सुनने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक मजबूत हैं क्योंकि संयुक्त परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों का मध्यमान (13.72) कहानी न सुनने वाले बच्चों के मध्यमान (7.65) से अधिक है।

उपपरिकल्पना–4, जिसमें एकल परिवार के कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों की तुलना की गयी है, भी 0.01 सार्थकता स्तर पर अस्वीकृत सिद्ध होती है क्योंकि क्रान्तिक अनुपात का परिगणित मूल्य 8.54 तालिका मूल्य 2.66 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि एकल परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों और कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर पाया जाता है। मध्यमानों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एकल परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धन कहानी न सुनने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक मजबूत हैं क्योंकि एकल परिवार के कहानी सुनने वाले बच्चों का मध्यमान (15.63) कहानी न सुनने वाले बच्चों के मध्यमान (6.24) से अधिक है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत है।

1. कहानी सुनने वाले तथा कहानी न सुनने वाले बच्चों के भावात्मक बन्धन स्तर में सार्थक अन्तर है।
2. कहानी सुनने वाले लड़कों तथा कहानी न सुनने वाले लड़कों के भावात्मक बन्धन स्तर में सार्थक अन्तर है।
3. कहानी सुनने वाली लड़कियों तथा कहानी न सुनने वाली लड़कियों के भावात्मक बन्धन स्तर में सार्थक अन्तर है।
4. कहानी सुनने वाले संयुक्त परिवार के बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले संयुक्त परिवार के बच्चों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर है।
5. कहानी सुनने वाले एकल परिवार के बच्चों तथा कहानी न सुनने वाले एकल परिवार के बच्चों के भावात्मक बन्धनों में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक निहितार्थ

विद्यार्थियों के लिए महत्व

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञात होता है कि यदि उन्हें अपने भावात्मक बन्धनों को बेहतर बनाना है तो उनके पास यह अवसर है कि वे अच्छी साहित्यिक कहानियाँ पढ़ें तथा सुने। विद्यार्थी अपने जीवन आदर्श के निर्माण एवं मूल्य विकास हेतु महापुरुषों की कहानियाँ सुन सकते हैं। राजा–रानी की कहानियाँ बच्चों को राज–काज, प्रबन्धन, न्याय आदि के गुण सिखाती हैं।

शिक्षकों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए महत्व

प्रस्तुत शोध शिक्षकों को यह जानकारी प्रदान करता है कि वे अपने विद्यार्थियों को कौन सी कहानी सुनायें तथा उनके द्वारा सुनाई गयी विभिन्न प्रकार की कहानियाँ बच्चों में कौन से कौशल तथा कैसे भावात्मक बन्धनों का विकास करेंगी।

नीति नियन्ताओं के लिए महत्व

विभिन्न शैक्षिक एवं सामाजिक नीतियों को बनाने वालों को चाहिए कि वे ऐसे नियम बनायें जिससे कि कहानियों के माध्यम से शिक्षण कर विद्यालय के वातावरण को रुचिपूर्ण तथा विकास अनुकूल बनाया जाए जिससे विद्यार्थियों को विकास के समुचित अवसर प्राप्त हो सकें। कहानियाँ ऐसी हों जो बच्चों में देशभक्ति, सृजनात्मृकता, नैतिकता, मूल्य,

जिज्ञासा, अध्ययन के प्रति रुचि आदि का विकास कर उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करें तथा साथ ही साथ उनमें भावात्मक बन्धनों का विकास भी करें।

सन्दर्भ सूची

अग्निहोत्री, रमाकान्त (2008), ''कहानी सुनाने के बाद'', *प्राथमिक शिक्षक.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अक्टूबर 2008, वर्ष 33, अंक 4, पृ. 31।

पाण्डेय, लता (2010), ''पढ़ दो एक कहानी'', *प्राथमिक शिक्षक.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जनवरी 2010, वर्ष 34, अंक 1, पृ. 22–27।

Abdulla, Elaf S. (2012), "The Effect of Storytelling on Vocabulary Acquisition".

Godbole, Anil (1988), "Storytelling: A way for Developing Child's Personality".

Gujjar, Shrikant (2002), "Story Telling: Away to Develop the Personality of a Child", *The Primary Teacher*. Vol. XXVII, No. 1, p. 76

Haven, K. & Ducey, M. (2007). *Crash course in storytelling*. Westport, CT: Libraries Unlimited.

Isbell, Sobol, Lindauer and Lowrance (2004), "The Impact of Storytelling and Reading Stories on the development of Language and Comprehension of young children ", *Early Childhood Education Journal*, Vol. 32, No. 3.

Majumdar, Braja Gopal (1990), "Story-telling in Education: A way of concept formation", *Fifth Survey of Educational Research*. New Delhi: NCERT, p. 992

Yarigarravesh, Mahya (2013), "The Effect of Story Telling The Verbal Intelligence of Pre-school Children", *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*.

http://www.cibtech.org/J-LIFE-SCIENCES/PUBLICATIONS/2013/Vol_3_No_3/JLS-69-094-%20MAHYA-THE-%20CHILDREN.pdf

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=39919

http://www.jpip.org/pdf/research/edu_psy/abstracts.pdf

http://www.worldroom.tamu.edu/Workshops/CommOfRespect07/StoryTelling/Storytelling%20The%20Heart%20and%20Soul%20of%20Education.pdf

अन्वेषिका अध्यापक शिक्षा की पत्रिका खंड 10(1) जनवरी, 2015, 75-76.
© राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार।

पुस्तक समीक्षा

प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत (2013), ***शिक्षा की गतिशीलता,*** **ISBN-978-96-82114-99-4. पृ.सं. 296 मूल्य ₹520**

भीमसिंह डागर
पूर्व अध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,
रोहतक

प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा लिखित एक ऐसी पुस्तक है जिसमें अत्यंत सरल भाषा में बहुत ही महत्त्वपूर्ण व गंभीर विषयों, भावों, व शैक्षिक समस्याओं को नितांत सहज रूप में अंकित किया गया है। शिक्षा से संबंधित लगभग सभी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक पक्षों को इतनी प्रखरता से अभिव्यक्त किया गया है कि एक सामान्य पाठक भी इन समस्याओं पर चिंतन किए बिना नही रह सकता। पुस्तक में सामान्य जन की शिक्षा, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं और सामाजिक विवशताओं की रोमांचक ढंग से प्रस्तुति की गई है।

लेखक ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की घटती साख के कारणों का जो विश्लेषण किया है वह समाज व राजनैतिक व्यवस्था के लिए एक चक्षु उद्घाटक (eye opener) का काम कर सकता है। इसमें कोई संदेह नही कि आज निजीकरण तथा उदारीकरण के नाम पर शिक्षा का और विशेषतः व्यावसायिक (प्रोफैशनल) शिक्षा का लगभग पूर्णतः बाजारीकरण हो गया है। आज अधिकांशतः शिक्षा संस्थाएं, चाहे वे अध्यापक शिक्षा से संबंधित हों, अथवा इंजिनियरिंग से और यहां तक कि चिकित्साय शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का भी संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो स्वयं में संभवतः स्नातक भी नही है। इन में बहुत से संचालक ठेकेदार, भठ्ठेवाले, दुकानदार अथवा कुछ उद्योगपति भी है जो मात्र शिक्षा को निवेश का एक अन्य साधन समझते हैं। इन सभी संस्थाओं में यदि किसी वर्ग का शोषण हो रहा है तो वह अध्यापक वर्ग है। इस पुस्तक में लेखक ने ठोस तथ्यों के आधार पर इन सभी बातों को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है।

पुस्तक में शिक्षा के विभिन्न आयामों का एक सटीक विश्लेषण किया गया है जो नवीन है, मौलिक है और तथ्य परक है। इन सबका विश्लेषण इतना रोचक व उत्प्रेरक है कि कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ कर सोचने पर विवश हो जाए कि आज हमारी शिक्षा की दशा और दिशा क्या हो गई है और क्यों। मुद्दों की गंभीरता तथा अभिव्यक्ति की सरलता की तुलना मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों से की जा सकती है। लगता है कि यह पुस्तक प्रो. राजपूत के लम्बे शैक्षिक प्रबंधक के रूप में जीवन के वास्तविक अनुभवों को समेटे हुए है। शिक्षा के अन्धाधुंध विस्तार और उसके निरंतर घटते स्तर पर विशेष रूप से ध्यानाकर्षण किया है जो उन सबके लिए जिनका सरोकार भावी पीढ़ी की शिक्षा से है, एक चिंतित कर देने वाला विषय है। लेखक के अनुसार इसके लिए मुख्यतः हमारी दलगत राजनीति, सत्ता में बने रहने की लोलुपता उत्तरदायी है। तेजी से खुल रहे विदेशी शैक्षिक परिसरों की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए, लेखक ने हमें उन के कुप्रभावों से आगाह करने का प्रयास किया है यह प्रयास तथ्यात्मक के साथ साथ तर्काधारित भी है। समाज और सत्ता को एक प्रकार की चेतावनी देते हुए प्रो. राजपूत ने प्रश्न उठाया है कि कब तक हम मात्र ज्ञान के उपभोक्ता बने रहेंगे, रचयिता नहीं। निसंदेह हम सब मानते है कि कुछ विषयों को छोड़कर भारत में शोध का स्तर सामान्य से भी नीचे है। हम अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए विदेशो शोधकर्ताओं को उद्धरित करते है और उसे कसौटी भी मानते है। शोधकर्ता ही नही, शोध को मूल्यांकित करने वाले भी ऐसा ही समझते है। और इस बात में काफी सीमा तक सच्चाई भी है, क्योंकि हमारे शोध पत्रों में (विज्ञानिक विषयों को छोड़ कर) शोध के अभिकल्पन तथा संचालन में प्रायः वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, तथा वैधता का अभाव होता है।

भारत के शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा की विभिन्न प्रकार की समस्याओं, अवरोधों, सर्जनता का अभाव आदि के पीछे जो राजनैतिक व सामाजिक कारण छुपे है, उन्हें यदि हम समझने की इच्छा रखते है तो इस पुस्तक का अध्ययन आप को एक व्यापक तथा गहन सोच देने में सक्षम हो सकता है। क्योंकि इसमें दी गई व्याख्याएं, स्पष्टीकरण, विवेचन तथा विश्लेषण इतने तर्कणापरक तथा तथ्यात्मक है कि कोई भी चिंतनशील व्यक्ति उन्हें स्वीकार किए बिना नही रह सकता।

मेरे विचार में इस पुस्तक की उपायोगिता मात्र अध्यापको अथवा शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े व्यक्तियों तक ही सीमित नही है अपितु उन सभी व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी, अभिप्रेरणादायक है जो देश की शिक्षा की चिंता करते है तथा उस पर चिंतन करते है और देश की भावी पीढ़ी के लिए जिनका सरोकार है

इतना ही नही कि इस पुस्तक में लेखक ने मात्र सरकारी सोच, नीतियों तथा उन का एक तर्कणापरक तथा तथ्यात्मक विश्लेषण कर उनकी सकारात्मक विवेचना की है। प्रो. राजपूत ने सरकारी नीतियों, प्रलेखों, (जैसे चैलेंजिज इन एजुकेशन, आप्रेशन ब्लैक बोर्ड) की गुणवत्ता तथा उपयोगिता की सराहना की है। परंतु इसके साथ साथ उन कारणों को भी उजागर किया है जिस से ये कार्यक्रम असफल रहे।

इसके अतिक्ति पुस्तक में भारत के जनमानस की सभी प्रकार की समस्याओं तथा उनके सामाजिक व राजनैतिक कारणों का भी बड़ी बारीकी से विश्लेषण किया है (पृष्ठ 68) "थी ईडियट्स" की पैरोडी को कितने रोचक व संवेदनशील ढंग से प्रकट किया गया है। इस में कोई संदेह नही कि यह उन सभी सामाजिक विषमताओं, विरोधाभासों, राजनीतिक इच्छशक्ति के अभाव, राजनेताओं की स्वार्थपरकता तथा धन व सत्ता लोलुप व्यक्तियों पर एक कटाक्ष बल्कि कुठाराघात है जिन के कारण देश का सामान्यजन अवहेलना व उपेक्षा का शिकार होता रहा है, कुछ धन कुबेर तथा सत्ता में बैठे लोग आर्थिक विकास के नाम पर देश को लूट रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर विवश हैं, जहाँ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान (भारत रत्न) देने में भी वोट की राजनीति की जाती है और ऐसे व्यक्ति को भी दे दिया जात है जो "भारत रत्न" से सुशोभित हो कर भी पैसे के लिए प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों के प्रोत्साहन या उन्नयन के लिए टी.वी पर विज्ञापन देता रहता है। क्या व्यक्तित्व का अपकर्ष इससे भी नीचे संभव है? क्या पैसे की हवस हमें इस निम्न स्तर तक भी ले जा सकती है? क्या यह वही देश है जहाँ मनीषियों तथा ऋषियों का आत्म सामान इस कोटि का था कि सम्राट भी उन्हें नमन करते थे।

क्या ऐसी अवस्था में एक विश्वस्तरीय ज्ञान की रचना करना संभव हो पाएगा? कब हम ज्ञान के रचयिता बन पाएंगे अथवा सदैव उपभोक्ता ही बने रहेंगे? क्या यह चिन्ता व खेद का विषय नही है कि आज इस 125 करोड़ जनसंख्या वाले देश में एक भी विश्वविद्यालय विश्वस्तर का नही है। प्रो. राजपूत ने इस पुस्तक में ऐसी राजनैतिक और सामाजिक वस्तुस्थिति का विवेचन किया है।

मेरे विचार में शिक्षा की "गतिशीतला" नामक यह पुस्तक लेखक के वैयक्तिक विचारों का संकलन है जो मूल तथा अनुपम है और जो किसी भी भारतीय नागरिक को इस दिशा मे सोचने पर विवश कर सकती है, संभवतः उन तथाकथित नेताओं के विचारों को भी जिन मे सदैव आभासी संवेदनशीलता तथा असकी अभिव्यक्ति तो भरपूर मात्रा में है परंतु मानसिक तथा भावात्मक स्तर पर वे लगभग संवेदनहीन ही है।

तथापि, ऐसा नही कि पुस्तक एक "आदर्श" पुस्तक है। मेरे विचार में "आदर्श" शब्द उस क्षितिज के समान है जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता । इस पुस्तक में भी कुछ छोटी मोटी त्रुटिया देखी जा सकती हैं।

प्रथम, कई स्थानों पर मुद्रण अथवा वर्तनी संबंधी अशुद्धिया मेरी नजर में आई हैं, उदाहरणार्थ "प्रारम्भ" पृष्ठ 5 पर उपयुक्त के सथन पर उपर्युक्त का छपना, पृष्ठ 256 पर "कार्यकलाप" के स्थान पर "कार्यकलापों" का छपना, (क्योंकि कार्यकलाप तो स्वयं ही एक बहुवचन है), पृष्ठ 66 पर साठ–सत्तर की बजाए साठ (सत्तर) छपना, पृष्ठ 248 पर निश्चिंत के स्थान पर निश्चित का छपाना। तथा इसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय" शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्याकरणिक दृष्टि से सही नहीं है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में लेखक ने "प्रजातंत्र" शब्द का प्रयोग किया है जो मेरे विचार में आज के भारतीय संदर्भ में सही नहीं है, क्यों कि "प्रजा" तो राजा की होती है और आज भारत में राजाओं का शासन तो है नही । इस के स्थान पर लोकतंत्र या जनतंत्र का उपयोग ही होना चाहिए। संभवतः हमारे संविधान में भी 'प्रजातंत्र' का प्रयोग नही किया गया है। प्रजातंत्र शब्द आज के भारतीय संदर्भ में अर्थहीन है जबकि यू. के. आदि देशों में इस का प्रयोग पूर्ण रूपेण निरर्थक नही कहा जा सकता

तथापि, इन सभी छोटी मोटी त्रुटियों के बावजूद इस पुस्तक का अध्ययन हमें यह सोचने पर मजबूर करदेता है कि इस देश में शैक्षिक योजनाओं, आयोगों, समितियों, परियोजनाओं आदि के गठन व उन की अनुशंसाओं पर अथाह धनराशि पानी की तरह बहा दी जाती रही है परंतु आज स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी हम एक विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा देने में असफल रहे है। इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकालना बिल्कुल अनुचित नही होगा कि अन्य कारणों के साथ सबसे बड़ा कारण है हमारी कथनी और करनी में अन्तर, राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव, हमारा अज्ञात मार्ग पर चलने का डर तथा प्रयोगीकरण के प्रति उदासीनता तथा घिसे पिटे रास्ते पर चलने की हमारी प्रवृति या उपनति।